2022
नवंबर संस्करण

Adda247 UPSC

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

यूपीएससी, राज्य पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

अभ्यास प्रश्नों के साथ

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
Ayushman Bharat
PM-JAY

Download Our App Now!

BILINGUAL
UPSC
UPSC CSE
KA MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
24 Months Validity

BILINGUAL
TARGET 28th May
UPSC CSE 2023 Prelims
(Paper I + II)
Complete Batch
Start Dec 19, 2022
7 PM

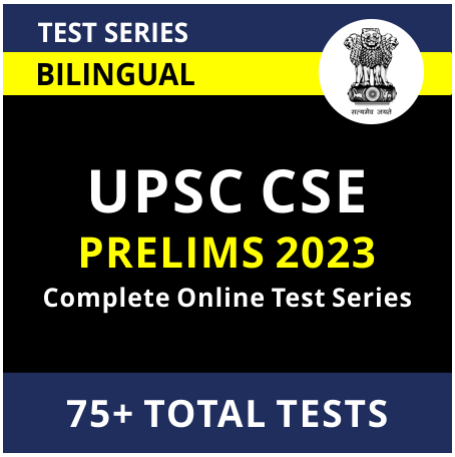
TEST SERIES
BILINGUAL
UPSC CSE
PRELIMS 2023
Complete Online Test Series
75+ TOTAL TESTS

BILINGUAL
NCERT
• Live Course
FOR UPSC & STATE PSC
Start Dec 15, 2022
12 PM to 2 PM

BILINGUAL
CSAT
Foundation Batch
for UPSC &
State PSC
• Live Classes
Starts Dec 20, 2022
12 PM to 2 PM

BILINGUAL
MPPSC ka
MahaPack
Live Classes | Recorded Videos
Test Series | e-books
12 Months Validity

BPSC
KA MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
12 Months Validity

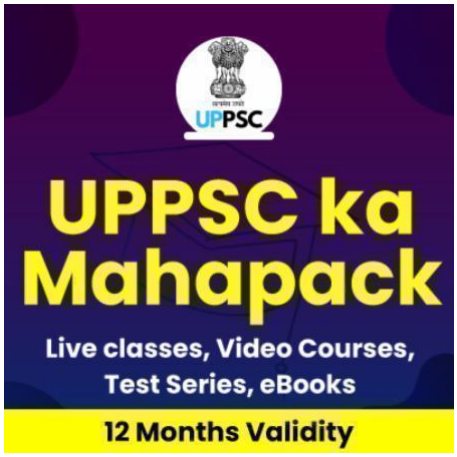
UPPSC
UPPSC ka
Mahapack
Live classes, Video Courses,
Test Series, eBooks
12 Months Validity

Hinglish
HPSC HCS
KA MAHAPACK
Live Classes, Test Series,
eBooks

RPSC RAS
MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
12 Months Validity

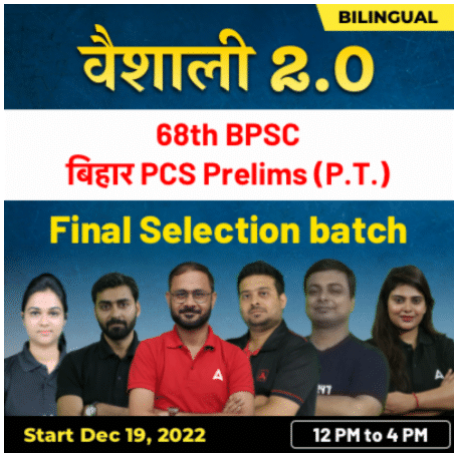
BILINGUAL
वैशाली 2.0
68th BPSC
बिहार PCS Prelims (P.T.)
Final Selection batch
Start Dec 19, 2022
12 PM to 4 PM

TEST SERIES
BILINGUAL
68th BPSC 2023
Combined Competitive
Examination (CCE)
PRELIMS
70+ TOTAL TESTS

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

नवंबर 2022

प्रस्तावना

यूपीएससी सिविल सेवा (मेन्स) 2022 परीक्षा हाल ही में सितंबर के महीने में आयोजित की गई थी और हाल ही में जारी यूपीएससी कैलेंडर 2023 के अनुसार, सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा 2023, 28 मई, 2023 को आयोजित की जाएगी। यूपीएससी सीएसई 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए, यह कहने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स का गहन अध्ययन, समझ और संशोधन जरूरी है!

तैयारी को आसान बनाने के लिए, हम उम्मीदवारों के लिए मासिक करेंट अफेयर्स संकलन प्रदान कर रहे हैं। पत्रिका में व्यापक समाचार लेखों का विषय-वार वितरण शामिल है, जो पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस आदि जैसे स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों पर चर्चा करने के लिए एक अलग खंड - 'संपादकीय विश्लेषण' जोड़ा गया है।

इस पत्रिका के अंत में करेंट अफेयर्स एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न भी उपलब्ध कराए गए हैं। करंट अफेयर्स के अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, उम्मीदवारों को पत्रिका पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए।

'आप खेत को अपने दिमाग में घुमाकर जोत नहीं सकते। शुरू करने के लिए, शुरू करें"

- गॉर्डन बी हिंकले

–

अनुक्रमणिका

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन 7

- आयुष्मान भारत योजना 7
- लेखा महानियंत्रक (सीजीए) 8
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) 8
- फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल 9
- कॉलेजियम के कार्यकरण में मुद्दे 10
- मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 11
- आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 12
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) 13
- राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 15
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 16
- पीएम डिवाइन योजना 18
- स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 18
- मध्यस्थता विधेयक 19
- युवा 2.0 20

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 22

- कृषि एवं वानिकी पर 7वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक 22
- 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) 23
- इंटरपोल महासभा 2022 23
- बी 20 इंडोनेशिया वैश्विक संवाद 24
- जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2022 25
- ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 26
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह 27
- भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग 28
- ओपेक प्लस 29
- संयुक्त राष्ट्र का पुनर्निर्माण 30
- यूनेस्को- मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन 31
- यूएनडब्ल्यूजीआईसी 2022 32

अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास 33

- 5जी अर्थव्यवस्था 33
- खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन 34
- बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 35
- मुद्रास्फीति पर विशेष एमपीसी बैठक 36

- ऑनलाइन खरीद में टोकनाइजेशन 37
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) 38
- अमेरिकी विधान एनओपीईसी 39
- सीआरएआर 39
- विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 40

सामाजिक समस्याएँ 42

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 42
- पोषण माह 2022 43

पर्यावरण और पारिस्थितिकी 44

- लाइफ अभियान के तहत अग्नि तत्व 44
- ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 44
- पराली जलाने पर सीएक्यूएम बैठक 45
- जलदूत ऐप 46
- मिशन लाइफ 47
- पीयूसी प्रमाणपत्र 48
- सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन (एसएमडीएस) 48

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 50

- चंद्रयान -2 50
- महत्वपूर्ण खनिज 50
- जीएसएलवी एमके-III 51
- भारत का डार्क स्काई रिजर्व 52
- MeFSAT डेटाबेस 53
- प्रधानमंत्री ने 5जी सेवाओं का शुभारंभ किया 54
- भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं 55
- टेली-मानस पहल 56
- व्योमित्र मानवाभ (ह्यूमनॉइड) 57
- WISER कार्यक्रम 57

आंतरिक सुरक्षा 59

- सी-295 मालवाहक विमान निर्माण केंद्र 59
- रक्षा उपकरणों में एम-चिप्स 60
- पाकिस्तान को FATF की 'ग्रे लिस्ट' से हटाया 61
- यूएनएससी आतंकवाद निरोधी समिति 62
- ऑपरेशन पवन 63

इतिहास, कला और संस्कृति 65
- काशी-तमिल संगमम 65
- मौसम परियोजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन 66
- राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर 66
- पर्यटन पर्व 2022 67
- सूरसंहारम 2022 68

विविध 70
- होमी जहांगीर भाभा 70
- जतिंद्र नाथ दास 71
- मानव विकास पर शोध कार्य के लिए चिकित्सा का नोबेल 72
- राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 73
- साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 74
- स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार 2022 75

संपादकीय विश्लेषण 77
- ए न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन 77
- एन अनकाइंड हाइक 78
- एक्सहुमिंग न्यू लाइट 79
- सभी के लिए भोजन 79
- गोइंग ग्रीन 81
- हाउ टू डील विद चाइनाज ब्लॉकिंग एट द यूएन? 82
- सीक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ईडब्ल्यूएस कोटा आउटकम्स 83
- यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म 84
- वी नीड ए फॉरेस्ट लेड कॉप 27 86
- क्या भारत को जनसंख्या नीति की आवश्यकता है? 87

अभ्यास प्रश्नावली 89

UPSC adda247

यूपीएससी और पीएससी
परीक्षाओं की तैयारी करें

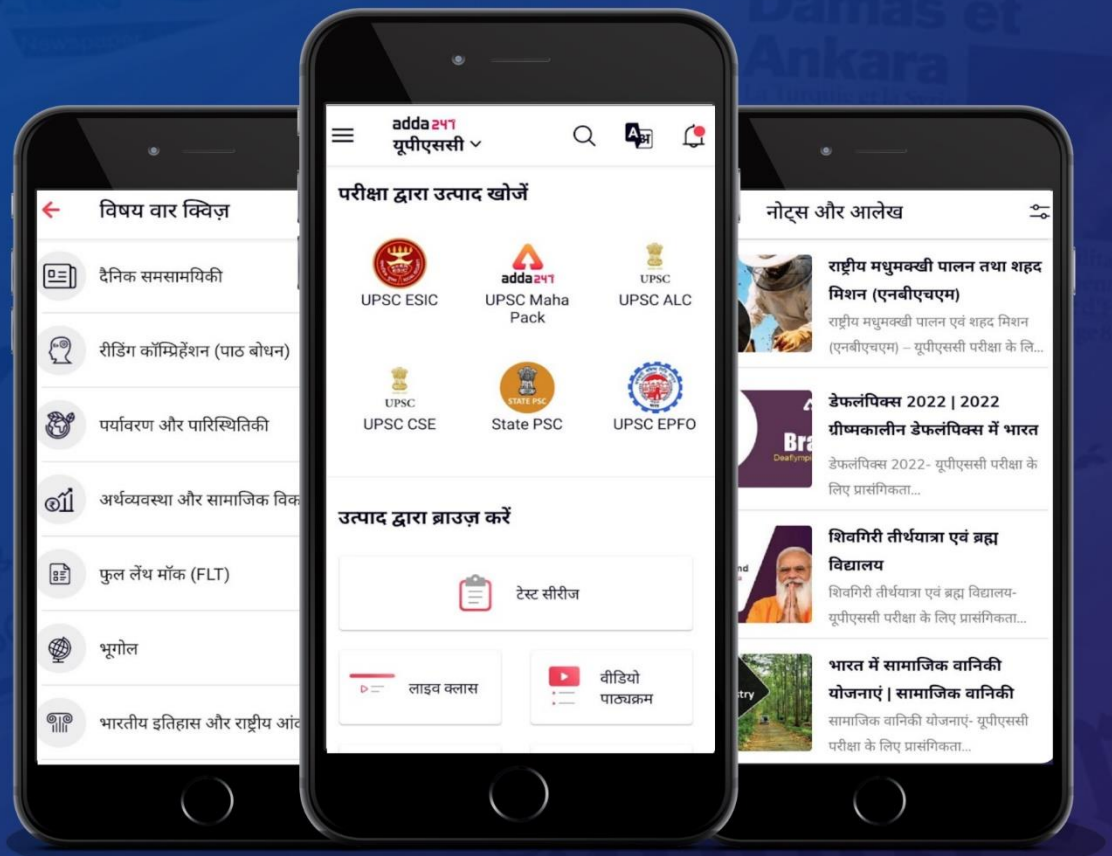

यूपीएससी Adda247 ऐप की विशेषताएं

- दैनिक शीर्ष समाचार और हेडलाइंस
- दैनिक करेंट अफेयर्स लेख
- दैनिक संपादकीय विश्लेषण
- सामान्य अध्ययन नोट्स
- दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी विस्तृत समाधान के साथ
- विषयवार जीएस और सीसैट क्विज़
- मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका
- योजना, कुरुक्षेत्र और डाउन टू अर्थ पत्रिकाओं का सार
- संसद टीवी चर्चाओं का विश्लेषण

Download Our App Now!

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

आयुष्मान भारत योजना

भारत ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के चार वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जो विश्व का सर्वाधिक वृहद सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। .

आयुष्मान भारत क्या है?
• आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो 10 करोड़ से अधिक निर्धन एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को आच्छादित करेगी, जो द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल में भर्ती हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करेगी।
• इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2018 में विमोचित किया गया था।
• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है एवं इसे केंद्र सरकार तथा राज्यों दोनों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
• इसने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) एवं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) को समाविष्ट कर लिया है।

योजना की विशेषताएं

- इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का परिभाषित लाभ कवर होगा।
- योजना के लाभ पूरे देश में सुवाह्य (पोर्टेबल) हैं एवं योजना के तहत आच्छादित किए गए लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक / निजी अस्पताल से नकद रहित लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी।
- यह एसईसीसी डेटाबेस में वंचित मानदंडों के आधार पर निर्धारित की गई पात्रता के साथ एक पात्रता-आधारित योजना होगी।
- लाभार्थी सार्वजनिक एवं सूचीबद्ध निजी संस्थानों, दोनों में लाभ उठा सकते हैं।
- लागत को नियंत्रित करने के लिए उपचार के लिए भुगतान पैकेज दर (सरकार द्वारा अग्रिम रूप से परिभाषित) के आधार पर किया जाएगा।

आयुष्मान भारत के पश्चात भारत का स्वास्थ्य व्यय

भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अभी भी विश्व में न्यूनतम है।

- कुल स्वास्थ्य व्यय 2017-18 में 3.3प्रतिशत से गिरकर 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत हो गया, जबकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार का स्वास्थ्य व्यय (केंद्र एवं राज्य) समान अवधि में 1.35 प्रतिशत से गिरकर 1.28 प्रतिशत हो गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमानों से ज्ञात होता है कि केंद्र की हिस्सेदारी 2018-19 में घटकर 34.3 प्रतिशत हो गई, जो विगत वर्ष में 40.8 प्रतिशत थी, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 59.2प्रतिशत से बढ़कर 65.7 प्रतिशत हो गई।
- कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में तुरत देय (आउट-ऑफ-पॉकेट) व्यय 2018-19 में घटकर 48.2 प्रतिशत हो गया, यद्यपि यह 2019 में वैश्विक औसत 18.1प्रतिशत से काफी अधिक है।

स्वास्थ्य बीमा अंतः प्रवेशन के बारे में क्या?

खुदरा स्वास्थ्य बीमा देश की आबादी का मात्र 3.2 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है।

- 1.36 अरब की जनसंख्या के साथ, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है एवं शीघ्र ही चीन से आगे निकलने की संभावना है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन 8 प्रदान करने के लिए 2018 में प्रारंभ किया गया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), लगभग 700 मिलियन व्यक्तियों की आबादी के अधस्तल पर स्थित 50% की देखभाल करता है।
- शीर्ष 20% आबादी सामाजिक एवं निजी स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से आच्छादित की जाती है।
- अतः, लगभग 30% आबादी अथवा लगभग 400 मिलियन, "लापता मध्य" है - उनके पास स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए कोई वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

उचित स्वास्थ्य देखभाल का महत्व

- कोविड -19 ने खराब स्वास्थ्य सेवा के आर्थिक परिणामों को प्रकट कर दिया है। उच्च तुरत देय (आउट-ऑफ-पॉकेट) व्यय करने से बचत एवं खपत पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
- कार्यस्थल में, खराब स्वास्थ्य शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को दुष्प्रभावित करता है, कारोबार घटाता है तथा उत्पादकता को कम करता है।
- आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत की 7% आबादी प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य देखभाल की लागत के कारण निर्धनता की ओर धकेल दी जाती है।

आगे की राह

- ओपीडी सहित एक व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन एवं रोगों के रोकथाम पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- सरकार को "लापता मध्य" आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल कवर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में, राज्य पूर्व से ही राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) योजना को लागू करने वाले प्राधिकरण को लापता मध्य को कवर करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

लेखा महानियंत्रक (सीजीए)

हाल ही में, सुश्री भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के रूप में कार्यभार संभाला।

- सुश्री दास 27वीं लेखा महानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं।

लेखा महानियंत्रक (कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स/CGA) कौन है?

- **लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के बारे में:** लेखा महानियंत्रक (सीजीए) केंद्र सरकार के लिए लेखांकन मामलों पर 'प्रधान सलाहकार' है एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा तंत्र की स्थापना तथा अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।
  - वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक (CGA) संगठन का प्रमुख होता है तथा इस तंत्र को प्रशासित करने हेतु उत्तरदायी होता है।
- **मूल मंत्रालय:** लेखा महानियंत्रक (CGA) केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का हिस्सा है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** महालेखा नियंत्रक ने संविधान के अनुच्छेद 150 से अपना अधिदेश प्राप्त करता है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** एक पेशेवर लेखा संगठन के रूप में, सीजीए का उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सुदृढ़ करना है।
- **कार्यकरण:** सीजीए का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, ऋण एवं विभिन्न वित्तीय संकेतकों का मासिक तथा वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) एवं केंद्रीय वित्त लेखे संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।
  - इन दस्तावेजों के साथ, 'एक नज़र में खाते' (एकाउंट्स एट ए ग्लांस) शीर्षक से एक एम.आई.एस रिपोर्ट तैयार की जाती है एवं माननीय संसद सदस्यों को प्रसारित की जाती है।

लेखा महानियंत्रक (CGA) के प्रमुख उत्तरदायित्व

कार्य आवंटन नियम 1961 में सम्मिलित वैधानिक अधिदेश लेखा महानियंत्रक के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को नीचे इंगित करता है:

- संघ या राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांत एवं खातों के रूप तथा उनसे संबंधित नियमों एवं नियमावली का निर्माण अथवा संशोधन;
- केंद्र सरकार के नकद शेष का सामान्य रूप से रिज़र्व बैंक के साथ एवं विशेष रूप से, सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित आरक्षित जमा राशियों का समाधान;
- केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखांकन के पर्याप्त मानकों के रखरखाव की देखरेख करना;
- मासिक लेखों का समेकन, राजस्व वसूली की प्रवृत्तियों तथा व्यय की महत्वपूर्ण विशेषताओं इत्यादि की समीक्षा की तैयारी एवं वार्षिक लेखा तैयार करना (सारांश, सिविल विनियोग लेखे सहित) संबंधित शीर्षों के अंतर्गत संघ सरकार के प्रयोजन के लिए वार्षिक प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाना;
- केंद्रीय कोषागार नियम एवं केंद्र सरकार के खाते का प्रशासन (प्राप्ति तथा भुगतान नियम 1983);
- सिविल मंत्रालयों या विभागों में प्रबंधन लेखा प्रणाली के प्रारंभ में समन्वय तथा सहायता;
- केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालयों के समूह 'ए' (भारतीय सिविल लेखा सेवा) एवं समूह 'बी' अधिकारियों का संवर्ग प्रबंधन;
- समूह 'सी' तथा 'डी' से संबंधित केंद्रीय सिविल लेखा कर्मचारियों से संबंधित मामले;
- केंद्रीय सिविल पेंशन भोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पूर्व सांसदों एवं पूर्व राष्ट्रपतियों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों)पब्लिक सेक्टर बैंक्स/पीएसबी) के माध्यम से पेंशन का वितरण।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण VII) के लिए 3 माह की अवधि अर्थात अक्टूबर से दिसंबर 2022 के लिए विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) विस्तार
• सरकार ने पीएमजीकेएवाई को तीन माह की अवधि के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया है ताकि आने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे नवरात्रि, दशहरा, मिलाद-उन-नबी, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि के लिए समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों का समर्थन किया जा सके।
• ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे उत्सव के लिए अत्यधिक उल्लास एवं समुदाय के साथ जश्न मना सकें।
• इसे सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकार ने पीएमजीकेएवाई के इस विस्तार को तीन माह हेतु स्वीकृति प्रदान की है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय संकट के खाद्यान्न की सुगम उपलब्धता का लाभ उठा सकें।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)

- **पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के बारे में:** गरीबों, जरूरतमंदों एवं कमजोर परिवारों / लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड-19 संकट के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) प्रारंभ की गई थी ताकि पर्याप्त खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण उन्हें हानि न हो।
  - पीएमजीकेएवाई के तहत, प्रभावी रूप से इसने लाभार्थियों को सामान्य रूप से वितरित की जाने वाली मासिक खाद्यान्न पात्रता की मात्रा को दोगुना कर दिया है।

- **लाभ:** पीएमजीकेएवाई कल्याण योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट/एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर/डीबीटी) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी सम्मिलित हैं, के लिए प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न निशुल्क प्रदान किया जाता है।
- **वित्तीय व्यय:** पीएमजीकेएवाई के चरण-VI तक भारत सरकार के लिए वित्तीय निहितार्थ लगभग 3.45 लाख करोड़ रहा है, इस योजना के चरण-VII के लिए लगभग 44,762 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के साथ, पीएमजीकेएवाई का कुल व्यय सभी चरणों के लिए लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये होगा।
- **अनाज आवंटन:** पीएमजीकेएवाई चरण VII के लिए खाद्यान्न के मामले में कुल व्यय लगभग 122 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) होने की संभावना है।
  - चरण I-VII के लिए खाद्यान्न का कुल आवंटन लगभग 1121 लाख मीट्रिक टन है।
- **कार्यान्वयन:** पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को निम्नलिखित चरणों में लागू किया गया है –

  - **चरण I एवं II (8 माह):** अप्रैल 20 से नवंबर' 20
  - **चरण- III से V** (11 माह): मई' 21 से मार्च' 22
  - **चरण- VI** (6 माह): अप्रैल' 22 से सितंबर' 22

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु पात्रता

- **निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार-** अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) एवं प्राथमिकता वाले परिवार (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स/पीएचएच) श्रेणी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार की जानी है। एएवाई परिवारों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जानी है:
- विधवाओं या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों अथवा विकलांग व्यक्तियों या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवार जिनके पास निर्वाह या सामाजिक समर्थन का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।
- विधवाएं या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिलाएं या एकल पुरुष जिनके पास परिवार या सामाजिक समर्थन या निर्वाह के सुनिश्चित साधन नहीं हैं।
- सभी आदिम जनजातीय परिवार।
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर / शिल्पकार जैसे कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले एवं अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे पल्लेदार, कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी चलाने वाले, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में फल तथा फूल विक्रेता, सपेरे, कूड़ा बीनने वाले, मोची, निराश्रित एवं अन्य समान श्रेणियां।
- एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के गरीबी रेखा से नीचे के सभी पात्र परिवार।

फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से भारत में 'फुटबॉल4स्कूल' पहल के लिए फीफा एवं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- फुटबॉल 4 स्कूल कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खेल को जीवन का एक तरीका बनाने के साथ-साथ एक पूर्ण नागरिक बनाने के दृष्टिकोण का रूपांतरण करने की दिशा में एक कदम है।

फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स (F4S) पहल

- **फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के बारे में:** फुटबॉल फॉर स्कूल (F4S) यूनेस्को के सहयोग से फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास एवं सशक्तिकरण में योगदान करना है।
  - F4S कार्यक्रम का उपयोग सदस्य संघों (एमए) तथा उनकी सरकारों द्वारा राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- **अधिदेश:** फुटबॉल 4 स्कूल (F4S) पहल प्रासंगिक अधिकारियों एवं हितधारकों के साथ साझेदारी में फुटबॉल गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित कर संपूर्ण विश्व में बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए फुटबॉल को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास करती है।
- **महत्व:** कार्यक्रम को फुटबॉल के माध्यम से लक्षित जीवन कौशल एवं दक्षताओं को प्रोत्साहित करने एवं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी) तथा अन्य प्राथमिकताओं में योगदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **अन्य पहलों के साथ संरेखण:** F4S कार्यक्रम वैश्विक खेल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें सम्मिलित हैं-
  - यूनेस्को की कज़ान कार्य योजना,
  - शिक्षा 2030: इंचियोन घोषणा एवं कार्रवाई की रूपरेखा, तथा
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन/WHO) की भौतिक पर वैश्विक कार्य योजना गतिविधि (ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी/GAPPA)।

फुटबॉल फॉर स्कूल्स (F4S) पहल के घटक

फुटबॉल फॉर स्कूल्स (F4S) कार्यक्रम में सम्मिलित हैं-

- एक नि:शुल्क डिजिटल एप्लिकेशन (फुटबॉल फॉर स्कूल्स), जिसे गूगल प्ले एवं एप्पल एप स्टोर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है;

- कार्यक्रम हितधारकों के लिए प्रासंगिक सामग्री के साथ एक ऑनलाइन शिक्षण मंच;
- उपकरणों का प्रावधान (एडिडास फुटबॉल सहित) जिन्हें विद्यालयों को वितरित किया जाएगा; तथा
- कार्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रत्येक सदस्य संघों को 50,000 अमरीकी डालर का एकमुश्त भुगतान।

फुटबॉल 4 स्कूल (F4S) पहल के लाभ

- मूल्यवान जीवन कौशल एवं दक्षताओं के साथ शिक्षार्थियों (बालकों एवं बालिकाओं) को सशक्त बनाना
- खेल तथा जीवन-कौशल गतिविधियों को वितरित करने के लिए प्रशिक्षण के साथ कोच-शिक्षकों को सशक्त बनाना
- फुटबॉल के माध्यम से जीवन कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए (विद्यालयों, सदस्य संघों एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों) की क्षमता का निर्माण करना) हितधारकों की क्षमता का निर्माण।
- साझेदारी, गठबंधन एवं अंतरक्षेत्रीय सहयोग को सक्षम करने के लिए सरकारों तथा भाग लेने वाले विद्यालयों के मध्य सहयोग को मजबूत करना।

भारत एवं फुटबॉल 4 स्कूल (F4S) पहल
• फीफा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से फुटबॉल को प्रोत्साहित करने एवं युवा शिक्षार्थियों को मूल्यवान जीवन कौशल से सुसज्जित करने हेतु एक साथ सहयोग कर रहे हैं।
• 'फुटबॉल4स्कूल' का लक्ष्य खेल-एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 2.5 करोड़ युवा बालकों एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना है।
• फुटबॉल एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है तथा फ़ुटबॉल4स्कूल कार्यक्रम इसे बच्चों को प्रेरित करने एवं उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करता है।

कॉलेजियम के कार्यकरण में मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की एक बैठक, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया/CJI) तथा चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे, 30 सितंबर को आहूत की गई थी, किंतु यह बैठक नहीं हुई एवं बाद में "बिना किसी अन्य विचार-विमर्श के बंद कर दी गई"।

- आगे के विचार-विमर्श को रोकने वाला तथ्य यह था कि केंद्रीय विधि मंत्री ने 7 अक्टूबर को एक पत्र द्वारा मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित को अपने उत्तराधिकारी को नामित करने के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 8 नवंबर, 2022 को समाप्त हो रहा है। बैठक के स्थगित होने तथा इसके पश्चातवर्ती समापन ने कॉलेजियम के कार्य की रीति पर ध्यान आकर्षित किया है।

कॉलेजियम का क्या कार्य है?

- कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियां करता है, लगभग तीन दशकों से चलन में है।
- इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के साथ-साथ स्थानांतरण के मामले में भी इसकी राय प्रमुखता रखती है।
- इसका विधिक आधार तीन न्यायिक निर्णयों की एक श्रृंखला में पाया जाता है - जिसे आमतौर पर 'न्यायाधीशों के वाद' के रूप में संदर्भित किया जाता है - उच्चतर न्यायपालिका से संबंधित।
- इसके कार्यकरण की रीति को 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर' के रूप में निर्धारित किया गया है।
- संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- 'फर्स्ट जजेज केस' में, न्यायालय ने माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श "पूर्ण एवं प्रभावी" होना चाहिए।
- न्यायाधीशों के द्वितीय वाद ने 1993 में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। इसने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों पर शीर्ष न्यायालय में अपने दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना होगा।
- 1998 में 'थर्ड जजेज केस' वाद, जो कि एक राष्ट्रपतीय अनुमोदन (प्रेसिडेंशियल रेफरेंस) था, ने कॉलेजियम को भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उनके चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की वर्तमान संरचना तक विस्तारित किया।

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करता है?

- अपारदर्शी होने के कारण कॉलेजियम के कामकाज की आलोचना की गई है।
- इसके प्रस्तावों एवं संस्तुतियों को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर रखा जाता है, जिसमें इसके निर्णयों के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जाती है।
- यद्यपि, विचार-विमर्श की प्रकृति एवं क्या किसी विशेष उम्मीदवार की उपयुक्तता पर कोई आंतरिक मतभेद हैं, अज्ञात हैं।
- यह मुख्य रूप से प्रस्तावों को अपनाने एवं उन्हें अग्रेतर कार्रवाई हेतु केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजने की प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है। यदि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, तो कॉलेजियम या तो इसे छोड़ सकता है या इसे दोहरा सकता है। जब कॉलेजियम पुनर्विचार के पश्चात अपने निर्णय को दोहराता है, तो यह सरकार के लिए बाध्यकारी होता है।

प्रसिद्ध 'न्यायाधीशों के वाद' में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की टिप्पणियां

"प्रत्येक शक्ति के प्रयोग में जांच तथा नियंत्रण होना चाहिए, विशेष रुप से जब यह महत्वपूर्ण एवं निर्णायक नियुक्तियां करने की शक्ति है

तथा इसे एक ही व्यक्ति में निहित होने के स्थान पर हाथों की बहुलता से प्रयोग किया जाना चाहिए। संभवतः यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 124 के खंड (2) में इस आवश्यकता को प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से एक या अधिक न्यायाधीशों से परामर्श किया जाना चाहिए। किंतु इस प्रावधान के साथ भी, हमें यह प्रतीत नहीं होता कि सुरक्षा पर्याप्त है क्योंकि परामर्श के उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के किसी एक या अधिक न्यायाधीशों का चयन करने के लिए केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। हम यह सुझाव देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को संस्तुति करने के लिए एक कॉलेजियम होना चाहिए। संस्तुति करने वाला प्राधिकरण अधिक व्यापक-आधारयुक्त होना चाहिए एवं व्यापक हितों के साथ परामर्श होना चाहिए।

हाल के घटनाक्रम से क्या मुद्दे हैं?

- हालिया विकास से तीन प्रश्न उठ सकते हैं। एक यह है कि निर्णय लेने हेतु एक निर्धारित रीति होनी चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत विचार-विमर्श के माध्यम से अथवा संचलन द्वारा या सुविधा के अनुसार दोनों साधनों को अपनाकर।
- दूसरा यह है कि क्या कॉलेजियम के सभी सदस्य लिखित रूप में अपना मत प्रकट करते हैं, या क्या वे मौखिक रूप से अपनी आपत्तियां व्यक्त करते हैं।
- एक संबंधित प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी निर्णय सर्वसम्मति और सहमति से होने चाहिए।
- एक राय है कि बहुमत से एक या दो आपत्ति व्यक्त करने वाली सिफारिश, कार्यपालिका को सिफारिश को अस्वीकार करने या पुनर्विचार की मांग करने का एक अच्छा कारण दे सकती है।
- साथ ही, मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के अंतिम महीने में कॉलेजियम द्वारा कोई विचार-विमर्श नहीं करने की आवश्यकता पर भी बहस होनी चाहिए।
- यह देखते हुए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता द्वारा की जाती है, उनमें से अनेक का कार्यकाल मात्र कुछ महीनों के लिए ही होता है। यह परिपाटी निर्णय निर्माण की गति को मंद कर सकता है।

आगे की राह

- नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने का निर्णय कॉलेजियम का सामूहिक निर्णय है। मुख्य न्यायाधीश समानों में प्रथम से अधिक नहीं है।
- इस मामले में, यह प्रस्ताव कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के लिए एक माह से भी कम समय शेष बचा हो तो कॉलेजियम को बैठक नहीं करनी चाहिए एवं अपना कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहिए, विधिक अथवा नैतिक रूप से तार्किक या उचित नहीं है।
- यह तर्क, यदि यह मान्य है, कॉलेजियम के प्रत्येक सदस्य के मामले में लागू होना चाहिए; जो इस तंत्र को पूर्ण रूप से अव्यवहार्य बना देगा।
- एक माह की अवधि के संबंध में कोई औचित्य नहीं है, यहां तक कि यह मानते हुए कि कुछ ऐसी अवधि होनी चाहिए जब नियुक्तियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

निष्कर्ष

वर्तमान स्थिति के लिए काफी हद तक न्यायपालिका को ही दोषी ठहराया जाता है क्योंकि उसने स्वयं न्यायिक कार्यालय के कुछ विधियों एवं परंपराओं का उल्लंघन किया है। हमें न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता की आवश्यकता है तथा यह एक दस्तावेज है जिसका प्रारूप वे अकेले ही तैयार कर सकते हैं।

मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अडालज के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया।

- त्रिमंदिर में कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने लगभग 4260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।
- इससे पूर्व, श्री मोदी ने गांधीनगर में एक विद्यालय अनुश्रवण केंद्र का उद्घाटन किया था तथा समस्त राज्यों को ऐसे अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने के लिए कहा था जो विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेंगे।

उत्कष्टता के मिशन विद्यालयों के बारे में प्रमुख विवरण

- **मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में:** मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित परियोजना है जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
- **वित्तीयन:** मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की कल्पना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से की गई है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य राज्य में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन के माध्यम से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
- **कार्यान्वयन:** इसके प्रथम चरण के तहत, 5,567 करोड़ रुपये से अधिक की विद्यालय बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी।
- **विशिष्ट पाठ्यचर्या एवं शिक्षाशास्त्र:** इन आवासीय विद्यालयों में विशिष्ट पाठ्यचर्या एवं शिक्षाशास्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों के परामर्श से तैयार किये जायेंगे।
- **शिक्षाशास्त्र का माध्यम:** नए आवासीय विद्यालय कक्षा IX से अंग्रेजी माध्यम के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए कक्षा VI-VIII से द्विभाषी माध्यम पर बल देंगे। यह नवीन शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों के अनुरूप है।

मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस- अतिरिक्त सूचना

- **मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना:** यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक मिशन है। छह वर्ष की अवधि में, परियोजना निम्नलिखित के निर्माण का लक्ष्य रखता है-
  - 50000 नई कक्षाएं - 4,000 कक्षाएं
  - 20,000 कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के साथ-साथ प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 1.5 लाख स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना तथा
  - 5,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना।
- परियोजना को तीन चरणों में विभाजित किया गया है, जिसकी शुरुआत उत्कृष्टता के आवासीय विद्यालयों, उत्कृष्टता के उदीयमान विद्यालयों एवं उत्कृष्टता के महत्वाकांक्षी विद्यालयों से हुई है।
- **महत्व:** यह मिशन गुजरात में नवीन शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में एक कदम आगे है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात को देश एवं दुनिया में एक नवाचार केंद्र (इनोवेशन हब) के रूप में उभरने में सहायता करेगा।
  - यह गुजरात को अमृत काल के लिए अमृत पीढ़ी के निर्माण में भी सहायता करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में
• यह हमारे देश की **तीसरी शिक्षा नीति** है। पूर्व की दो शिक्षा नीतियों को **1968 तथा 1986** में प्रारंभ किया गया था।
○ यह राष्ट्रीय नीति 34 वर्षों के अंतराल के बाद आई है।
• यह **कस्तूरीरंगन समिति** की सिफारिशों पर आधारित है।
• इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर **शिक्षा मंत्रालय** कर दिया।
• यह **5+3+3+4** पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव करता है।

चरण	**वर्ष**	**कक्षा**	**विशेषताएँ**
आधारभूत	3-8	3 वर्ष पूर्व-प्राथमिक तथा 1-2	लचीली, बहु-स्तरीय, गतिविधि-आधारित शिक्षण
प्रारंभिक	9-11	3-5	हल्की पाठ्यपुस्तकें, अधिक औपचारिक किंतु संवादात्मक कक्षा शिक्षण
मध्य	12-14	6- 8	अधिक अमूर्त अवधारणाओं को सीखने के लिए विषय शिक्षकों का प्रवेश, प्रायोगिक शिक्षा
आधारभूत	3-8	3 वर्ष पूर्व-प्राथमिक तथा 1-2	लचीली, बहु-स्तरीय, गतिविधि-आधारित शिक्षण
माध्यमिक	15-18	9-12	संपूर्णता से पढ़ना, आलोचनात्मक विचार, जीवन की आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान देना

आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तीन से आठ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है?

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा को रूपांतरित कर रहा है।
- इसने हमारी शिक्षा प्रणाली को साम्यता एवं समावेश के साथ सभी के लिए उच्चतम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के मार्ग पर स्थापित किया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सर्वाधिक परिवर्तनकारी पहलुओं में नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना है जो 3 से 8 वर्ष के सभी बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा को एकीकृत करती है।
- आरंभिक बाल्यावस्था आजीवन सीखने एवं विकास की नींव रखता है - यह समग्र जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख निर्धारक है।
- इस ढांचे से देश के सभी प्रकार के संस्थानों में उच्चतम गुणवत्ता युक्त मूलभूत शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा है।

आधारभूत चरण 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है?

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क/NCF) नवीन शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, पाठ्यक्रम संगठन, शिक्षा शास्त्र, समय एवं सामग्री संगठन तथा बच्चों के समग्र अनुभव के लिए वैचारिक, परिचालन एवं संचालन दृष्टिकोण के मूल में 'खेल' का उपयोग करता है।
- बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा परिकल्पित अधिगम (सीखने) से बच्चे के विकास के लिए संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक, शारीरिक सभी आयामों में उत्तेजक अनुभव प्रदान होंगे एवं हमारे

सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता की उपलब्धि भी सक्षम होगी।

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा)एनसीएफ) का एक संस्थागत फोकस है, घर के वातावरण के महत्व को अधिक बल नहीं दिया जा सकता है - परिवार, विस्तारित परिवार, पड़ोसियों एवं करीबी समुदाय के अन्य लोगों सहित - जिनमें से सभी का बच्चों पर, विशेष रूप से इस आयु वर्ग में 3-8 वर्ष के बच्चों पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- अतः, यह एनसीएफ इस चरण के दौरान मांगे गए विकासात्मक परिणामों को सक्षम करने एवं उनमें वृद्धि करने में शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता तथा समुदायों की भूमिका से व्यवहार करेगा।

एनसीएफ 2022 के चार खंड

NCF-2022 में चार खंड हैं:

- विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
- आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
- शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा
- प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा।

'पंचकोष' अवधारणा क्या है?
• ढांचे ने बच्चों की शिक्षा के लिए 'पंचकोश' अवधारणा को सूचीबद्ध किया है तथा इसके पांच भाग हैं शारीरिक विकास (फिजिकल डेवलपमेंट), जीवन ऊर्जा का विकास (प्राणिक विकास), भावनात्मक एवं मानसिक विकास (मेंटल डेवलपमेंट), बौद्धिक विकास (इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट) तथा आध्यात्मिक विकास (चैतिक विकास)।
• पंचकोश मानव अनुभव एवं समझ में शरीर- मस्तिष्क परिसर के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है।
• मानव विकास के लिए यह गैर-द्विपक्षीय दृष्टिकोण एक अधिक समग्र शिक्षा की दिशा में स्पष्ट मार्ग तथा दिशा प्रदान करता है।

आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा: आगे की राह

- शिक्षा, तंत्रिका विज्ञान एवं अर्थशास्त्र पर संपूर्ण विश्व से अनुसंधान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि निशुल्क, सुलभ, उच्च गुणवत्ता युक्त आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा सुनिश्चित करना संभवतः सर्वोत्तम निवेश है जो कोई भी देश अपने भविष्य के लिए कर सकता है, जैसा कि एनसीएफ ने आधारभूत चरण के लिए किया है।
- चूंकि बच्चे के कुल मस्तिष्क विकास का 85% से अधिक 6 वर्ष की आयु से पूर्व होता है, अतः उनके मस्तिष्क को उद्दीपित करने एवं उनके शारीरिक तथा भावनात्मक विकास का समर्थन करने के लिए उचित देखभाल प्रदान करना प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है।
- इन सभी कार्यों का उद्देश्य निम्नलिखित तीन विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना है: अच्छा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती बनाए रखना,
- प्रभावी संचारक बनना; तथा
- घनिष्ठ शिक्षार्थी बनना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (नेशनल हेल्थ मिशन/एनएचएम) के तहत मातृत्व मृत्यु अनुपात (मैटरनल मोर्टालिटी रेट/एमएमआर), शिशु मृत्यु अनुपात (इन्फेंट मोर्टालिटी रेट/आईएमआर), यू5एमआर तथा सकल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट/टीएफआर) में त्वरित गिरावट सहित प्रगति से अवगत कराया गया।

- इसने तपेदिक (ट्यूबरक्लोसिस/टीबी), मलेरिया, काला-अजार, डेंगू, कुष्ठ, विषाणु जनित हेपेटाइटिस इत्यादि जैसे विभिन्न रोगों के कार्यक्रमों के संबंध में प्रगति को भी नोट किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

- **पृष्ठभूमि:** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (नेशनल रूरल हेल्थ मिशन/एनआरएचएम) को 2005 में ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से संवेदनशील वर्गों को जिला अस्पतालों (डीएच) स्तर तक सुलभ, वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।
  - 2012 में, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन/एनयूएचएम) की अवधारणा की गई थी एवं एनआरएचएम को दो उप मिशनों अर्थात एनआरएचएम एवं एनयूएचएम के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के रूप में पुनर्नामित किया गया था।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में:** एनएचएम को सार्वभौमिक लाभ के लिए लागू किया गया है - अर्थात पूरी आबादी; समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थापनाओं में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- **लक्ष्य:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है-
  - मातृत्व मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को 113 से घटाकर 90 करना
  - शिशु मृत्यु अनुपात (आईएमआर) को 32 से घटाकर 23 करना
  - 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के मध्य का मृत्यु अनुपात (अंडर फाइव मोर्टालिटी रेट/U5MR) को 36 से घटाकर 23 करना

- सकल प्रजनन अनुपात (टोटल फर्टिलिटी रेट/TFR) को 2.1 तक बनाए रखना
- सभी जिलों में कुष्ठ रोग के प्रसार को <1/10000 की आबादी तथा घटनाओं को शून्य तक कम करना
- मलेरिया की वार्षिक घटना <1/1000 तक कम करना
- संचारी, गैर-संचारी रोग, शारीरिक क्षति तथा उभरती बीमारियों से मृत्यु दर एवं रुग्णता को रोकना तथा कम करना;
- कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर घरेलू व्यय को कम करना
- देश से 2025 तक टीबी महामारी को समाप्त करना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम(के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कार्यान्वयन रणनीति राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूनियन टेरिटरीज/यूटी) को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से आबादी के निर्धन एवं संवेदनशील वर्गों के लिए जिला अस्पतालों (डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल/डीएच) तक सुलभ, वहनीय, जवाबदेह एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य संबंधी आधारिक संरचना, वर्धित मानव संसाधन तथा बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को पाटना है।
- इसने आवश्यकता-आधारित अंतःक्षेपों को सुविधाजनक बनाने, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण में सुधार करने तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण की परिकल्पना की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रगति

2020-21 के दौरान एनएचएम के तहत प्रगति निम्नानुसार है:

- **आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र:** 1,05,147 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्वीकृति 31 मार्च 2021 तक प्रदान की गई थी।
  - 31 मार्च, 2022 तक 1,10,000 के संचयी लक्ष्य के मुकाबले 1,17,440 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन किया गया।
- **महिला एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार:** एनआरएचएम/एनएचएम के शुभारंभ के पश्चात से मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं के मध्य मृत्यु दर (यू5एमआर) एवं आईएमआर में गिरावट में तेजी आई है।
  - भारत में U5MR 2013 में 49 से घटकर 2018 में 36 हो गया है।
  - एसआरएस 2017-19 के अनुसार, एमएमआर और कम होकर 103 हो गया है।
  - एसआरएस 2020 के अनुसार, आईएमआर और कम होकर 28 हो गया है।
  - गिरावट की वर्तमान दर पर, भारत को अपने एसडीजी लक्ष्य (एमएमआर-70, U5MR-25) को नियत वर्ष अर्थात 2030 से बहुत पहले तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।
- **लक्ष्य:** 202 लेबर रूम एवं 141 मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर, राज्य लक्ष्य प्रमाणित हैं एवं 64 लेबर रूम तथा 47 मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर राष्ट्रीय लक्ष्य प्रमाणित हैं।
- **राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं (नेशनल एंबुलेंस सर्विसेज/एनएएस):** मार्च 2021 तक, 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुविधा है कि लोग एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए 108 या 102 डायल कर सकते हैं। 2020-21 में 735 अतिरिक्त आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा वाहन जोड़े गए।
  - 2020-21 के दौरान, 30 अतिरिक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) जोड़ी गईं।
- **24x7 सेवाएं एवं प्रथम परामर्श इकाइयां:** 2020-21 के दौरान प्रथम परामर्श इकाइयां (फर्स्ट रेफरल यूनिट/एफआरयू) के संचालन के रूप में 1140 स्थापनाओं को जोड़ा गया।
- **कायाकल्प:** इस योजना के तहत 2020-21 में 10,717 जन स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त हुए।
- **मलेरिया:** 2020 में मलेरिया के दर्ज किए गए मामलों तथा मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,81,831 एवं 63 थी, जबकि 2014 में दर्ज किए गए 11,02,205 मामलों एवं 561 मौतों की तुलना में, 2014 की समान अवधि में मलेरिया के मामलों की तुलना में 83.50% तथा 88.77% मौतों की गिरावट का संकेत है। ।
- **काला-अजार:** काला अजार (केए) से प्रभावित स्थानिक ब्लॉकों का प्रतिशत, प्रति 10,000 जनसंख्या पर <1 कालाजार मामले के उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करना, 2014 में 74.2% से बढ़कर 2020-21 में 97.5% हो गया।
- **लसीका फाइलेरिया:** 2020-21 में, 272 लसीका फाइलेरिया से प्रभावित स्थानिक जिलों में से, 98 जिलों ने 1 प्रसार आकलन सर्वेक्षण (ट्रांसमिशन एसेसमेंट सर्वे/टीएएस -1) को सफलतापूर्वक स्वीकृति प्रदान की है तथा एमडीए को रोक दिया है एवं ये जिले एमडीए उपरांत निगरानी में हैं।
- **डेंगू:** डेंगू के संबंध में, राष्ट्रीय लक्ष्य व्यक्ति मृत्यु दर (केस फर्टिलिटी रेट/सीएफआर) <1 प्रतिशत को बनाए रखना था।
  - लक्ष्य को प्राप्त किया गया क्योंकि 2014 में मृत्यु दर 0.3% थी एवं 2015 से 2018 के दौरान, सीएफआर 0.2% पर बना हुआ रहा।
  - इसके अतिरिक्त 2020 में, यह 2019 की तरह 0.1% पर बना हुआ है।
- **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम/एनटीईपी):** देश भर में जिला स्तर पर कुल 1,285 कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (सीबीएनएएटी) मशीनें एवं 2,206 ट्रूनेट मशीनें क्रियाशील हैं।
  - 2020 में 29.85 लाख आणविक परीक्षण किए जाएंगे। यह 2017 के दौरान 7.48 लाख की तुलना में 4 गुना अधिक है।

- 2020 में, 30,605 एमडीआर/आरआर-टीबी रोगियों को अल्पकालिक एमडीआर-टीबी पथ्यापथ्य नियमों पर आरंभ किया गया है, 10,489 डीआर-टीबी रोगियों को संपूर्ण देश में नई दवा युक्त पथ्यापथ्य नियम (बेडाक्विलाइन-10,140 और डेलामनिड-349) पर प्रारंभ किया गया है।

- **प्रधान मंत्री राष्ट्रीय अपोहन कार्यक्रम (प्राइम मिनिस्टर नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम/पीएमएनडीपी):** इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लोक जन भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप/पीपीपी) मोड में सभी जिला अस्पतालों में अपोहन (डायलिसिस) सुविधाओं का समर्थन करने के लिए 2016 में प्रारंभ किया गया था।
  - वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 5781 मशीनों को परिनियोजित करके 910 डायलिसिस केंद्रों में 505 जिलों में 35 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) लागू किया गया है।
  - 2020-21 के दौरान, कुल 3.59 लाख रोगियों ने डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाया एवं 35.82 लाख रक्त अपोहन (हेमो-डायलिसिस) सत्र आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय लोक अदालत 2022

हाल ही में, सरकार ने घोषणा की कि निपटान के माध्यम से लंबित मामलों के निपटान के लिए देश भर में 12 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

- लोक अदालत प्रणाली के लाभों एवं पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में उपभोक्ता मामलों के निपटारे की अपेक्षा है।
- राष्ट्रीय लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जहां एक ही दिन में संपूर्ण देश में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला स्तर तक सभी न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत 2022- परिणामों को अधिकतम करने हेतु कदम

- उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं, कंपनियों एवं संगठनों तक एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से संपर्क कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें एवं उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर सकें।
- प्रौद्योगिकी की सहायता से, समस्त हित धारकों के मध्य एक अलग लिंक निर्मित किया एवं प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कोई भी अपना लंबित केस नंबर तथा कमीशन दर्ज कर सकता है जहां मामला लंबित है एवं मामले को सरलता से लोक अदालत में भेजा जा सकता है।
  - लिंक ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।
- डेटा विश्लेषिकी (एनालिटिक्स) के माध्यम से, लंबित मामलों के क्षेत्र-वार वितरण की पहचान की गई है जैसे कि कुल 71379 लंबित मामलों के साथ बैंकिंग, 168827 के साथ बीमा, 1247 के साथ ई-कॉमर्स, 33919 के साथ बिजली, 2316 के साथ रेलवे, इत्यादि।
  - ऐसे उपभोक्ता प्रकरणों के निराकरण की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं।
- विभाग आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाने वाले लंबित उपभोक्ता मामलों को सम्मिलित करने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी/एनएएलएसए) के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया में है।

लोक अदालत

- लोक अदालत **वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों** में से एक है जहां विवाद या विधि के न्यायालय में या मुकदमेबाजी-पूर्व के स्तर पर लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता किया जाता है।

विधिक आधार

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालतों को **वैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया है।
- यह अधिनियम संविधान के **अनुच्छेद 39ए** के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के प्रावधानों का गठन करता है।

शक्तियां

- उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को एक **दीवानी अदालत का आदेश** माना जाता है तथा यह सभी पक्षों के लिए **अंतिम एवं बाध्यकारी** होता है तथा इस प्रकार के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं होती है।
- यदि पक्ष लोक न्यायालय के अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि वे **उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाकर वाद प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र** हैं।

कोई न्यायालय शुल्क नहीं

- जब लोक अदालत में वाद दायर किया जाता है तो किसी प्रकार का **न्यायालय शुल्क देय नहीं** होता है।
- यदि न्यायालय में लंबित मामला लोक अदालत को भेजा जाता है तथा बाद में उसका निपटान हो जाता है, तो मूल रूप से अदालत में शिकायतों/याचिका पर भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क भी पक्षकारों को वापस कर दिया जाता है।

लोक अदालत की संरचना

- एक क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में सम्मिलित होंगे:

- अध्यक्ष के रूप में एक **न्यायिक अधिकारी**, एवं
- एक **अधिवक्ता तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता** सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

लोक अदालत के प्रकार

- **राष्ट्रीय लोक अदालत**
  - ये राज्य प्राधिकरण स्तर से तालुका स्तर तक सभी स्तरों पर संपूर्ण देश में नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं।
- **स्थायी लोक अदालत**
  - इन्हें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों के साथ स्थायी निकायों के रूप में स्थापित किया जाता है जो सार्वजनिक उपादेयता सेवाओं से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए एक मुकदमेबाजी-पूर्व तंत्र प्रदान करते हैं।
  - यदि विवाद के पक्षकार निपटान तंत्र का अनुसरण करने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत के पास वाद के निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है।
  - भारत के विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र 10 लाख से अधिक नहीं है।
- **चलंत लोक अदालत**
  - चलंत (मोबाइल) लोक अदालत ऐसी अदालतें हैं जो विवाद में पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में सहायता करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम

भारत में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1456 था, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 1:1000 के मानक थे।

- इसके अतिरिक्त, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों के वितरण में शहरी तथा ग्रामीण चिकित्सक घनत्व अनुपात 3.8:1 के साथ एक व्यापक विषमता थी।
- परिणाम स्वरूप, हमारी अधिकांश ग्रामीण एवं निर्धन आबादी को अच्छी गुणवत्ता देखभाल से वंचित कर दिया गया तथा उन्हें झोलाछाप चिकित्सकों के चंगुल में डाल दिया गया।
- यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने वाले 57.3% कर्मियों के पास चिकित्सा योग्यता नहीं है।

हमें इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- भारत में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:1456 था, जबकि डब्ल्यूएचओ के 1:1000 के मानक थे।
- इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों के वितरण में शहरी और ग्रामीण डॉक्टर घनत्व अनुपात 3.8:1 के साथ एक बड़ा विषमता थी।
- नतीजतन, हमारी अधिकांश ग्रामीण और गरीब आबादी को अच्छी गुणवत्ता देखभाल से वंचित कर दिया गया और उन्हें झोलाछाप डॉक्टरों के चंगुल में डाल दिया गया।
- यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने वाले 57.3% कर्मियों के पास चिकित्सा योग्यता नहीं है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 क्या है?

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 को लोकसभा द्वारा 29 जुलाई, 2019 को एवं राज्यसभा द्वारा 01 अगस्त, 2022 को पारित किया गया था।
- विधेयक को भारतीय चिकित्सा परिषद (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया/एमसीआई) अधिनियम, 1956 को निरस्त करने एवं एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जो सुनिश्चित करती है:
- (i) पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता, (ii) चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना , (iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, तथा (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।

विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित हैं:

(i) पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता,
(ii) चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना,
(iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, तथा
(iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।

- विधेयक एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान करता है जो चिकित्सा संस्थानों तथा चिकित्सा पेशेवरों के नियमन के लिए नीतियों का निर्माण करने, मानव संसाधन तथा बुनियादी संरचना से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करने, विधेयक के अंतर्गत विनियमित निजी चिकित्सा संस्थानों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटों के 50 प्रतिशत तक के शुल्क निर्धारण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने के कार्य में रुचि रखेगा।

एनएमसी अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान

व्यापक निकाय

- एनएमसी एक सर्वसमावेशक निकाय है, जो नीतियों का निर्माण करता है एवं चार स्वायत्त बोर्डों के क्रियाकलापों का समन्वय करता है।
- ये बोर्ड स्नातक एवं परास्नातक (यूजी एंड पीजी) शिक्षा, चिकित्सा मूल्यांकन तथा रेटिंग एवं नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण का कार्य देखते हैं।
- इन चार स्वतंत्र बोर्डों के होने का उद्देश्य उनके मध्य कार्यों का पृथक्करण करना सुनिश्चित करना है", केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने समझाया।

छात्र हितैषी

- एनएमसी विधेयक के अधिदेशों में से एक चिकित्सा शिक्षा की लागत पर विचार करना है।
- यह देश के सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए सामान्य परामर्श के साथ-साथ एमबीबीएस (नीट/एनईईटी) के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा का भी प्रावधान करता है।
- यह प्रावधान समानांतर काउंसलिंग प्रक्रियाओं में सीट ब्लॉकिंग को रोकता है तथा छात्रों को अनेक महाविद्यालयों से संपर्क करने तथा प्रवेश के लिए अनेक काउंसलिंग प्रक्रियाओं में भाग लेने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
- यह छात्रों एवं उनके परिवारों को अनावश्यक शारीरिक तथा वित्तीय आघात से सुरक्षित करता है।

NEXT/ नेक्स्ट

- एनएमसी अधिनियम के तहत, अंतिम वर्ष की परीक्षा को नेक्स्ट (NEXT) नामक राष्ट्रव्यापी बहिर्गमन परीक्षा में रूपांतरित कर दिया गया है।
- यह एकल परीक्षा निम्नलिखित हेतु अनुमति प्रदान करती है- i) चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस, ii) एमबीबीएस की डिग्री, एवं iii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करती है।
- इससे छात्र अपना सारा समय पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी में खर्च करने के स्थान पर इंटर्नशिप पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं एवं इस प्रकार छात्रों पर बोझ बहुत कम हो जाएगा।
- यही परीक्षा विदेशी स्नातकों के लिए लाइसेंस परीक्षा के रूप में भी कार्य करती है।
- परास्नातक अथवा स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग का भी प्रावधान है। छात्रों को एक ही काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ तथा जिपमेर में सीटों पर प्रवेश मिलता है।
- अधिनियम नेक्स्ट परीक्षा में प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।

शुल्क का विनियमन

- एनएमसी अधिनियम की एक विलक्षण विशेषता यह है कि यह निजी महाविद्यालयों के साथ-साथ डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों पर फीस तथा अन्य सभी शुल्कों के नियमन का प्रावधान करता है।
- इससे पूर्व, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में फीस को विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, राज्यों को अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते समय चिकित्सा महाविद्यालयों (मेडिकल कॉलेजों) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का सहारा लेना पड़ा तथा इस प्रकार राज्य कोटे की सीटों की फीस को विनियमित करने हेतु भली प्रकार से समझना पड़ा।
- देश में एमबीबीएस की कुल सीटों में से करीब 50 प्रतिशत सरकारी कॉलेजों में हैं, जिनकी फीस मामूली है। शेष सीटों में से, 50% एनएमसी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- इसका अर्थ है कि देश में कुल सीटों का लगभग 75% उचित शुल्क पर उपलब्ध होगा। इस बिंदु पर पुनः बल दिया जाना चाहिए कि न केवल फीस, बल्कि फीस एवं अन्य सभी शुल्कों को विनियमित किया जा रहे हैं।
- इसके साथ, चूंकि एनएमसी अधिनियम में फीस विनियमन का प्रावधान है, अतः उनके पास शेष 50% सीटों के लिए शुल्क के नियमन के संबंध में राज्य के संशोधनों के संबंध में विचार करने का अधिकार है।

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता

- सरकार आने वाले वर्षों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन तथा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर-संचारी रोगों के लिए हमारी आबादी की सार्वभौमिक जांच पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- एनएमसी अधिनियम में एक व्यावहारिक तथा दूरदर्शी उपाय के एक भाग के रूप में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, वहां अब एक स्वास्थ्य पेशेवर उपलब्ध होगा जो आबादी को परामर्श प्रदान कर सकता है, आरंभिक चेतावनी प्रदान कर सकता है, सामान्य रोगों का उपचार कर सकता है तथा उच्चतर संस्थानों को शीघ्र अति शीघ्र रेफरल प्रदान कर सकता है।
- डब्ल्यूएचओ द्वारा विकसित एवं विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के पश्चात ऐसे मध्य-स्तर के स्वास्थ्य प्रदाताओं की उपयोगिता की पुष्टि की गई है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में नर्स चिकित्सकों जैसे मध्य स्तर के प्रदाता हैं।
- उपरोक्त पृष्ठभूमि में, एनएमसी अधिनियम में कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर/सीएचपी) को पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है जो आधुनिक चिकित्सा पेशेवर होंगे; वे चिकित्सा की किसी वैकल्पिक प्रणाली के साथ संबंधित नहीं होंगे।

एनएमसी सदस्य

- एनएमसी में राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों के 10 कुलपति तथा राज्य चिकित्सा परिषदों के 9 निर्वाचित सदस्य होने चाहिए।
- इस प्रकार 33 सदस्यों में से 19, जो कुल संख्या के आधे से अधिक है, राज्यों से होना चाहिए एवं सदस्यों के मात्र एक अल्पसंख्यक सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एनएमसी प्रतिनिधि, समावेशी एवं भारतीय राजव्यवस्था के संघीय ढांचे का सम्मान कर रहा है। ।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम: 2022 से लागू किया जाएगा

- एनएमसी विधेयक 2021 में लागू होना था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब इसे किसी भी स्थिति में 2022 में लागू करने की आवश्यकता है।

- 3 फरवरी 2022 को सरकार की ओर से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों (मेडिकल कॉलेजों) या संस्थानों को एक नोटिफिकेशन आया कि एनएमसी सभी मेडिकल संस्थानों पर लागू होगा।

पीएम डिवाइन योजना

हाल ही में, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों हेतु एक नवीन योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन/पीएम-डिवाइन) को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

पीएम डिवाइन योजना

- **पीएम-डिवाइन योजना के बारे में:** पूर्वोत्तर क्षेत्र (नॉर्थ ईस्ट रीजन/एनईआर) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।
  - पीएम-डिवाइन योजना की घोषणा सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को दिए जा रहे महत्व का एक अन्य उदाहरण है।
- **वित्त पोषण:** पीएम-डिवाइन योजना में 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्ष) की चार वर्ष की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा।
  - पीएम-डिवाइन, 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** पीएम-डिवाइन को पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- **महत्व:** पीएम-डिवाइन आधारिक अवसंरचना के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा एवं युवाओं तथा महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा, जिससे रोजगार सृजन होगा।
- **परियोजनाएँ:** आम जनता के लिए स्थायी आजीविका के अवसरों के पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर भविष्य में PM-DevINE योजना के तहत विचार किया जाएगा।
  - परियोजनाओं में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में बुनियादी ढांचा, सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में व्यापक सुविधाएं इत्यादि सम्मिलित होंगे।

पीएम डिवाइन योजना के मुख्य उद्देश्य

पीएम-डिवाइन योजना के उद्देश्य हैं:

- प्रधानमंत्री गति शक्ति की भावना में, आधारिक अवसंरचना को समेकित रूप से निधि प्रदान करना;
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना;
- युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना;
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को समाप्त करना।

पीएम डिवाइन योजना की प्रमुख विशेषताएं

- पीएम-डिवाइन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के पर्याप्त संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि वे धारणीय हों।
- समय एवं लागत में वृद्धि के निर्माण जोखिमों को सीमित करने के लिए, सरकारी परियोजनाओं पर पड़ने वाले अभियांत्रिकी-अधिप्राप्ति-निर्माण (इंजीनियरिंग-प्रोक्योरमेंट-कंस्ट्रक्शन/ईपीसी) के आधार पर, जहां तक संभव हो, लागू किया जाएगा।
- PM-DevINE योजना आधारिक अवसंरचना एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो आकार में बड़ी हो सकती हैं तथा अलग-अलग परियोजनाओं के स्थान पर एक आद्योपान्त)एंड-टू-एंड) विकास समाधान भी प्रदान करेगी।
- यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की किसी अन्य योजना के साथ पीएम डिवाइन योजना के तहत परियोजना समर्थन का दोहराव नहीं है।

हमें पीएम डिवाइन योजना की आवश्यकता क्यों है?
• मूलभूत न्यूनतम सेवाओं (बेसिक मिनिमम सर्विसेज/बीएमएस) के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के मानदंड राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं।
• नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम/यूएनडीपी) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा तैयार बीईआर जिला सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी) सूचकांक 2021-22 के अनुसार महत्वपूर्ण विकास अंतराल हैं।
• पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) की कमी एवं विकास अंतराल को दूर करने के लिए नवीन योजना, पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022

हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किए।

- इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेता शहरों के निवासियों, सफाई कर्मियों एवं स्थानीय प्रशासन को बधाई दी।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022

- इंदौर को लगातार छठी बार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जबकि सूरत एवं नवी मुंबई ने अगले दो स्थानों पर इसका अनुसरण किया।
- तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति की जांच करता है।

- हरियाणा द्वितीय एवं तमिलनाडु तृतीय स्थान पर रहा।

- छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान तथा निकोबार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और सिक्किम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
- 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022' में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके बाद छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र हैं।
- एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी प्रथम स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन (एनपी) एवं महाराष्ट्र का करहड़ है।
- 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद वाराणसी एवं ऋषिकेश का स्थान रहा।
- एक लाख से कम आबादी वाले गंगा शहरों में बिजनौर प्रथम स्थान पर था। इसके बाद क्रमशः कन्नौज एवं गढ़मुक्तेश्वर हैं।
- सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के देवलाली को देश के सर्वाधिक स्वच्छ छावनी बोर्ड के रूप में चयनित किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

- **स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में:** व्यापक स्तर पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरों को शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2016 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स/MoHUA) द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी।
  - स्वच्छ सर्वेक्षण का 7 वां संस्करण स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति का अध्ययन करने तथा विभिन्न सफाई एवं स्वच्छता मानकों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज/यूएलबी) को श्रेणीकृत करने के लिए आयोजित किया गया था।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वेक्षण को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अपने व्यापक कार्यक्रम-एसबीएम (शहरी) योजना के तहत लागू किया जा रहा है।
- **महत्व:** वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों में मिशन को गति प्रदान करने में सहायक रहा है।
  - स्वच्छ सर्वेक्षण ने स्वच्छता मानकों पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए शहरों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है जिससे नागरिकों को स्वच्छता सेवाओं के वितरण में सुधार हुआ है।
- **आच्छादन:** स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में 73 शहरों के मूल्यांकन से इस वर्ष 4,354 शहरों को आच्छादित करने के लिए विकसित हुआ है।

मध्यस्थता विधेयक

मध्यस्थता विधेयक, 2021 राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद की स्थायी समिति को विधेयक की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। समिति की रिपोर्ट हाल ही में राज्यसभा को सौंपी गई है।

- समिति ने अपनी रिपोर्ट में मध्यस्थता विधेयक में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की है, जिसका उद्देश्य मध्यस्थता को संस्थागत बनाना और भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करना है।

मध्यस्थता का क्या अर्थ है?

- **मध्यस्थता:** मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्ष पारस्परिक रूप से चयनित निष्पक्ष एवं तटस्थ व्यक्ति से मिलते हैं जो उनके मतभेदों पर समझौते में उनकी सहायता करता है।
- **पक्षकारों को एक साथ लाता है:** पक्षकार अपने संबंधों को, जैसे पारिवारिक विवाद या व्यावसायिक विवाद के दौरान सुरक्षित कर सकते हैं एवं कभी-कभी पुनर्निर्माण कर सकते हैं।
- **अत्यधिक सुविधाजनक:** पक्षकार काफी हद तक कार्यवाही के समय, स्थान एवं अवधि को नियंत्रित कर सकती हैं। अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) न्यायालयों की सुविधा के अधीन नहीं है।

मध्यस्थता विधेयक, 2021: भारत की आवश्यकता

- जबकि भारत में मध्यस्थता के लिए कोई स्वयं सिद्ध (स्टैंडअलोन) विधान नहीं है, अनेक क़ानून हैं जिनमें मध्यस्थता प्रावधान सम्मिलित हैं, जैसे कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।
- **सर्वोच्च न्यायालय का अधिदेश:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति ने मध्यस्थता को संघर्ष समाधान के लिए एक आजमाए एवं परखे हुए विकल्प के रूप में वर्णित किया है।
- **एक अंतरराष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता:** चूंकि भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है (औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट जो मध्यस्थता से उत्पन्न होता है), घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून निर्मित करना उचित है।

मध्यस्थता विधेयक, 2021: प्रमुख विशेषताएं

- विधेयक का उद्देश्य विवादों, वाणिज्यिक एवं अन्यथा को हल करने के लिए मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना तथा सुविधा प्रदान करना है।
- विधेयक आगे मुकदमेबाजी से पूर्व अनिवार्य मध्यस्थता का प्रस्ताव करता है तथा यह तत्काल राहत के लिए सक्षम न्यायिक

मंचों/ न्यायालयों से संपर्क करने के वादियों के अधिकारों की रक्षा करता है।

- मध्यस्थता प्रक्रिया गोपनीय होगी एवं कतिपय मामलों में इसके प्रकटीकरण के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है।
- मध्यस्थता निपटान समझौते (मेडिएशन सेटेलमेंट एग्रीमेंट/एमएसए) के रूप में मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम विधिक रूप से प्रवर्तनीय होगा एवं निपटान के प्रमाणित रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए 90 दिनों के भीतर राज्य जिला या तालुक कानूनी अधिकारियों के साथ पंजीकृत किया जा सकता है।
- विधेयक भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करता है एवं सामुदायिक मध्यस्थता का भी प्रावधान करता है।
- यदि पक्षकार सहमत हैं, तो वे किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यदि नहीं, तो वे मध्यस्थों के पैनल से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए मध्यस्थता सेवा प्रदाता को आवेदन कर सकते हैं।
- विधेयक उन विवादों को सूचीबद्ध करता है जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं हैं (जैसे कि आपराधिक अभियोजन अथवा तृतीय पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले)। केंद्र सरकार इस सूची में संशोधन कर सकती है।
- मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे पक्षकारों द्वारा 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

मध्यस्थता विधेयक, 2021: चिंताएं

- विधायक के अनुसार, कोई भी वाद ((मुकदमा) दायर करने अथवा न्यायालय में कार्यवाही से पूर्व दोनों पक्षों के लिए मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता अनिवार्य है, चाहे उनके बीच मध्यस्थता समझौता हो या नहीं।
- जो पक्ष बिना उचित कारण के मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता में भाग लेने में विफल रहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यद्यपि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, न्याय तक पहुँच एक संवैधानिक अधिकार है जिसे बंधन लगाया अथवा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता केवल स्वैच्छिक होनी चाहिए और इसे अन्यथा संभव बनाना न्याय से वंचित करना होगा।
- विधेयक के खंड 26 के अनुसार, न्यायालय द्वारा संलग्न मध्यस्थता, जिसमें मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता भी शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए निर्देशों या नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी। हालांकि कमेटी ने इसका विरोध किया। इसमें कहा गया है कि खंड 26 संविधान की भावना के विरुद्ध है। सामान्य विधि प्रणाली (कॉमन लॉ सिस्टम) का पालन करने वाले देशों में, यह एक स्वस्थ परंपरा है कि क़ानून के अभाव में, शीर्ष न्यायालय के फैसले एवं निर्णय समान महत्व रखते हैं। जिस क्षण कोई कानून पारित हो जाता है, वह न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों अथवा निर्णयों के स्थान पर मार्गदर्शक शक्ति बन जाता है। अतः, खंड 26 असंवैधानिक है।
- विधेयक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को स्थानीय मानता है जब इसे भारत में संचालित किया जाता है एवं निपटारे को एक न्यायालय के फैसले अथवा डिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है। सिंगापुर अभिसमय उन समझौतों पर लागू नहीं होता है जिनके पास पहले से ही निर्णय या डिक्री की स्थिति है। परिणाम स्वरूप, भारत में सीमा पार मध्यस्थता आयोजित करने से विश्वव्यापी प्रवर्तनीयता के असीम लाभ अपवर्जित हो जाएंगे।

निष्कर्ष

- विवादों के त्वरित समाधान को सक्षम करने के लिए, हितधारकों के साथ चर्चा के पश्चात विधेयक को लागू किया जाना चाहिए एवं मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। भारत के लिए सरल व्यापारिक लेनदेन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनने हेतु यह एक उचित अवसर है।

युवा 2.0

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को परामर्श प्रदान करने हेतु युवा 2.0- प्रधान मंत्री योजना प्रारंभ की।

- युवा योजना की परिकल्पना इस आधार पर की गई है कि 21वीं सदी के भारत को भारतीय साहित्य के राजदूत बनाने के लिए युवा लेखकों की एक पीढ़ी तैयार करने की आवश्यकता है।

युवा 2.0 योजना क्या है?
• **YUVA 2.0 कार्यक्रम** देश में अध्ययन, लेखन तथा पुस्तक संस्कृति को प्रोत्साहित करने एवं भारत तथा भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट करने के लिए युवा एवं नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है।
• युवा 2.0 (युवा, नवोदित एवं बहुमुखी लेखक) का शुभारंभ युवाओं को भारत के लोकतंत्र को समझने तथा उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
• युवा 2.0 लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए इंडिया@75 प्रोजेक्ट (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है।
• **युवा 2.0थीम:** 'लोकतंत्र (संस्थाएं, कार्यक्रम, लोग, संवैधानिक मूल्य - अतीत, वर्तमान, भविष्य)' एक अभिनव एवं रचनात्मक रीति से।

युवा 2.0 का महत्व क्या है?

- युवा 2.0 योजना लेखकों के एक वर्ग को विकसित करने में सहायता करेगी जो भारतीय विरासत, संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहित करने हेतु विषयों के एक स्पेक्ट्रम पर लेखन कार्य कर सकते हैं।

- युवा योजना उन लेखकों के एक वर्ग को विकसित करने में सहायता करेगी जो भारत में लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर अतीत, वर्तमान एवं भविष्य को शामिल कर सकते हैं।
- यह इच्छुक युवाओं को स्वयं को अभिव्यक्त करने एवं घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक खिड़की भी प्रदान करेगा।

युवा 2.0 का क्रियान्वयन

- शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारत योजना के चरणबद्ध निष्पादन को मेंटरशिप के सुपरिभाषित चरणों के तहत सुनिश्चित करेगा।
- इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों को नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा एवं संस्कृति तथा साहित्य के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करते हुए अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, जिससे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को प्रोत्साहन मिलेगा।
- चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ अंतः क्रिया करेंगे, साहित्यिक उत्सवों इत्यादि में भाग लेंगे।

YUVA 2.0 हेतु चयन प्रक्रिया तथा विजेताओं की घोषणा

- 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक https://www.mygov.in/ के माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा।
- प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन 1 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा।
- विजेताओं की घोषणा 28 फरवरी 2023 को की जाएगी।
- युवा लेखकों को 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023 तक प्रख्यात लेखकों / मार्गदर्शकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।
- मेंटरशिप के तहत प्रकाशित पुस्तकों का पहला सेट 2 अक्टूबर 2023 को विमोचित किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कृषि एवं वानिकी पर 7वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक

हाल ही में, कृषि एवं वानिकी पर 7वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक (आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री/AIMMAF) आभासी रूप से आयोजित की गई थी।

- 7वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक ने भी आसियान-भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का स्वागत किया।

कृषि एवं वानिकी 2022 पर आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत

- भारतीय केंद्रीय मंत्री ने आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में रखने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया।
- उन्होंने क्षेत्र में कृषि विकास के लिए सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आसियान के साथ पारस्परिक रूप से घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर भी बल दिया।
- भारत ने आसियान के सदस्य देशों से बाजरे के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं उपभोग में वृद्धि करने में उसके प्रयासों का समर्थन करने का भी आग्रह किया।
    - पौष्टिक भोजन के रूप में बाजरा (पोषक-अनाज) के महत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय पोषण-अनाज वर्ष 2023 का उल्लेख करते हुए इस पर प्रकाश डाला गया।
    - पोषक अनाज अल्प संसाधन आवश्यकताओं एवं अधिक कुशल कृषि-खाद्य प्रणालियों के साथ पोषक तत्वों के निर्माण में सहायता करते हैं।

कृषि एवं वानिकी पर आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक में प्रमुख घटनाक्रम

- आसियान-भारत सहयोग (वर्ष 2021-2025) की मध्यावधि कार्य योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई।
- बैठक में कृषि तथा वानिकी में आसियान-भारत सहयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
- महामारी पश्चात की पुनर्प्राप्ति के कार्यान्वयन के लिए आसियान-भारत सहयोग के तहत निरंतर उपाय करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
    - कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव को कम करने के लिए आसियान तथा भारत में सुरक्षित एवं पौष्टिक कृषि उत्पादों का निर्बाध प्रवाह।
- भारत ने कहा कि वह खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, डिजिटल खेती, प्रकृति के अनुकूल कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य श्रृंखला, कृषि विपणन एवं क्षमता निर्माण में आसियान के साथ अपना सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

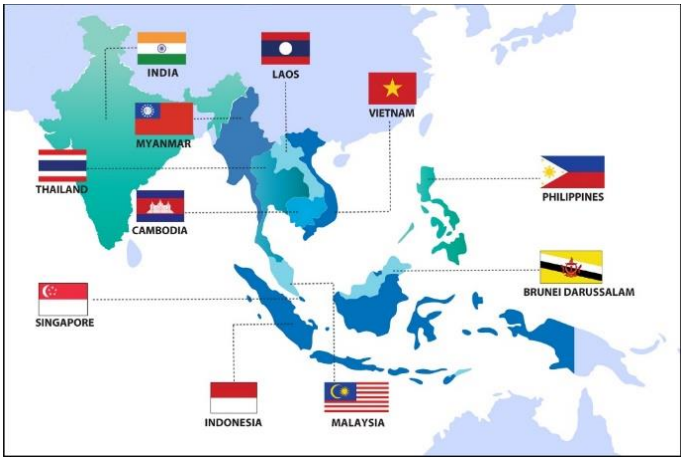

भारत-आसियान संबंध

स्वतंत्रता के पश्चात आसियान के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण भारत के आसियान के साथ अच्छे संबंध नहीं थे जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी गुट के साथ था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, भारत-आसियान संबंध सामान्य संकटों एवं आकांक्षाओं के कारण आर्थिक संबंधों से रणनीतिक ऊंचाइयों तक विकसित हुए हैं।

- 1996 - भारत एशिया में सुरक्षा वार्ता के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच (आसियान रीजनल फोरम/एआरएफ) का सदस्य बना जिसमें सदस्य वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं एवं क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं।
- 2002- भारत एवं आसियान ने वार्षिक शिखर स्तरीय बैठकें प्रारंभ कीं।
- 2009- भारत-आसियान के मध्य वस्तुओं का मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ।
- 2012- भारत-आसियान सामरिक साझेदारी संपन्न हुई।
- 2014- भारत तथा आसियान के मध्य कार्यबल एवं निवेश के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सेवाओं तथा निवेश में आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2018- भारत आसियान ने एक स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजित करके अपने संबंधों के 25 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया।
- 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस परेड के लिए सभी दस आसियान देशों के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

भारत-आसियान आर्थिक सहयोग

- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र पूर्ण हो गया है।
- भारत तथा आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिभागियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान-भारत व्यापार परिषद (आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल/AIBC) की स्थापना की गई थी।

- आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:
  - आसियान-भारत सहयोग कोष
  - आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष
  - आसियान-भारत हरित निधि
- दिल्ली घोषणा समुद्री क्षेत्र में सहयोग का अभिनिर्धारण करती है।
- **दिल्ली संवाद:** आसियान तथा भारत के मध्य राजनीतिक-सुरक्षा एवं आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक संवाद।
- **आसियान-भारत केंद्र (आसियान-इंडिया सेंटर/एआईसी):** भारत तथा आसियान में संगठनों एवं थिंक-टैंक के साथ नीति अनुसंधान, पक्षपोषण तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु।
- **राजनीतिक सुरक्षा सहयोग:** भारत ने आसियान को क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा तथा विकास के अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण (इंडो-पैसिफिक विजन) के केंद्र में रखा है।

14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस (डब्ल्यूएससी)

वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (WSC) का 14 वां संस्करण 16-18 फरवरी 2023 तक मुंबई में जी-20 की बैठक 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा।

डब्ल्यूसीएस क्या है?

- **14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (WSC) के बारे में:** 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (WSC) मसाला क्षेत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यापार मंच है।
- **संगठन:** विश्व मसाला कांग्रेस (वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस/डब्ल्यूएससी) विभिन्न व्यापार एवं निर्यात मंचों के सहयोग से भारतीय मसाला बोर्ड अथवा स्पाइसेस बोर्ड इंडिया (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा आयोजित की जा रही है ।
- **स्थान:** वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (WSC) 16-18 फरवरी 2023 के दौरान सिडको प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली है।
- **भागीदारी:** 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
- **14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (WSC) की थीम:** विश्व मसाला कांग्रेस के वर्तमान संस्करण हेतु चयनित की गई थीम 'विजन 2030: SPICES' (सस्टेनेबिलिटी- प्रोडक्टिविटी- इनोवेशन-कोलैबोरेशन-एक्सीलेंस एंड सेफ्टी) है।

14वीं विश्व मसाला कांग्रेस (WSC) का क्या महत्व है?

- वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (WSC) भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जो मसाला क्षेत्र में समस्याओं एवं संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए वैश्विक मसाला उद्योग जगत को एक साथ लाने वाला प्रमुख मंच बना हुआ है।
- यह आयोजन नई सामान्य स्थिति में मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे पहलुओं पर विचार-विमर्श के लिए तत्पर है।
- प्रमुख आयातक देशों के नियामक प्राधिकरणों एवं जी-20 सदस्य देशों के व्यापार तथा निर्यात संवर्धन एजेंसियों के मंत्रालय से भारतीय मसाला उद्योग के साथ विचार-विमर्श करने की संभावना है।

वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (WSC) के बारे में प्रमुख विवरण?

- **पृष्ठभूमि:** पहली बार विश्व मसाला कांग्रेस 1990 में आयोजित की गई थी एवं तब से विगत तीन दशकों के दौरान 13 सफल संस्करण आयोजित किए गए हैं।
- **वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) के बारे में:** वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) अपनी तीन दशकों की दीर्घकालिक उपस्थिति पर इस क्षेत्र की चिंताओं एवं विचारों पर विचार-विमर्श करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मंच बन गया है।
- **अधिदेश:** व्यापार, स्थिरता, गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा पहल, हाल के विकास, चिंताओं तथा भविष्य की संभावनाओं पर उद्योग के प्रमुख प्रतिभागियों- दुनिया भर के उत्पादकों, व्यापारियों, प्रसंस्कर्ताओं (प्रोसेसर), निर्यातकों एवं नियामकों द्वारा विस्तार से चर्चा तथा विचार-विमर्श किया जाता है।
- **महत्व:** भारत, विश्व का मसाला केंद्र, एक बार पुनः अग्रणी है एवं विश्व को मसाला उपलब्ध कराने के अपने ठोस प्रयासों में शामिल होने के लिए वैश्विक मसाला बिरादरी का स्वागत करता है।
  - विश्व मसाला कांग्रेस ने एक पवित्र परंपरा की स्थापना की है, जिससे संपूर्ण विश्व में मसाले के हितधारकों को लाभ होता है एवं यह वैश्विक मसाला समुदाय के मध्य एक अत्यंत ही लोकप्रिय आयोजन है।
  - यह व्यापार हेतु नवीन अवसरों को बढ़ावा देगा तथा व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा।

इंटरपोल महासभा 2022

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा 2022 को संबोधित किया।

- सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा के अवसर पर समस्त गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

90वीं इंटरपोल महासभा 2022

- **इंटरपोल महासभा बारे में:** महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है एवं इसके कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है।

- **इंटरपोल का पूर्ण रूप:** इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल के नाम से जाना जाता है।
- **90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन:** इंटरपोल की 90वीं महासभा 18 से 21 अक्टूबर तक हो रही है।
- **भागीदारी:** इंटरपोल बैठक 2022 में 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं जिनमें मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

इंटरपोल महासभा एवं भारत

- इंटरपोल महासभा की बैठक लगभग 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात भारत में हो रही है - भारत में यह अंतिम बार 1997 में आयोजित हुई थी।
- भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह के साथ नई दिल्ली में 2022 में इंटरपोल की महासभा की मेजबानी करने के भारत के प्रस्ताव को महासभा ने भारी बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया था।
- यह आयोजन संपूर्ण विश्व को भारत की विधि एवं व्यवस्था प्रणाली में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

इंटरपोल क्या है?

- **इंटरपोल के बारे में:** इंटरपोल एक सुरक्षित सूचना-साझाकरण मंच है जो विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह एवं प्रसार के माध्यम से संपूर्ण विश्व में पुलिस बलों की आपराधिक जांच की सुविधा प्रदान करता है।
  - **फाउंडेशन:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) की स्थापना 1923 में हुई थी।
- **संगठनात्मक संरचना:** इंटरपोल का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जिसे महासभा द्वारा चयनित किया जाता है। वह सदस्य देशों में से एक से आता है तथा चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
  - दैनिक गतिविधियों की देखरेख एक पूर्णकालिक महासचिव द्वारा की जाती है जिसका चयन भी महासभा द्वारा किया जाता है।
- **सदस्य देशों के मध्य समन्वय:** किसी देश की कानून प्रवर्तन एजेंसी का इंटरपोल के साथ समस्त संपर्क देश के सर्वोच्च जांच निकाय के माध्यम से संचालित होते हैं। भारत में यह भूमिका सीबीआई ग्रहण करती है।
- **मुख्य भूमिका:** यह विभिन्न क्षेत्रों में अपराधियों एवं पुलिस के रडार के तहत आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखता है एवं उन पुलिस बलों को टिप्स देता है जिन्होंने या तो इंटरपोल की सहायता मांगी थी या जो उसकी राय में उसके पास उपलब्ध विवरणों से लाभान्वित होंगे।
  - अत्याधुनिक डेटाबेस एवं कंप्यूटर वैज्ञेषिकी द्वारा सहायता प्राप्त, इंटरपोल चौबीसों घंटे कार्य करता है एवं अपराध विश्लेषण तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन मस्तिष्क को नियुक्त करता है।
  - इसका उद्देश्य आपराधिक पुलिस बलों के बीच व्यापक संभव पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है।

इंटरपोल कैसे आयोजित किया जाता है?

- दैनिक गतिविधियों की देखरेख महासभा द्वारा चयनित किए गए एक पूर्णकालिक महासचिव द्वारा की जाती है, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
- महासभा अपने सचिवालय द्वारा निष्पादन के लिए नीति निर्धारित करती है जिसमें साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव दुर्व्यापार इत्यादि के लिए अनेक विशेष निदेशालय हैं।
- प्रत्येक सदस्य देश उस देश में इंटरपोल का पार्श्व होता है।
- इंटरपोल के साथ किसी देश की कानून प्रवर्तन एजेंसी के समझते संपर्क देश के सर्वोच्च जांच निकाय के माध्यम से संचालित होते हैं।
- सीबीआई भारत में यह भूमिका अपने वरिष्ठ अधिकारियों में से एक के साथ ग्रहण करती है, जो विश्व निकाय के साथ सूचना एवं संपर्क के संयोजन के लिए अपने विशेष अंतर प्रकोष्ठ (राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो) का नेतृत्व करती है।

क्या है रेड नोटिस?

- यह इंटरपोल द्वारा समस्त सदस्य-राष्ट्रों को जारी किया गया एक संरचित संचार है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सूचित किए जाते हैं जिनके विरुद्ध किसी विशेष देश में गिरफ्तारी वारंट लंबित है।
- जारी किए गए नोटिस में समस्त सदस्य देशों से अनुरोध किया जाता है कि यदि नामित व्यक्ति उनके देश में स्थित है तो उस राष्ट्र को तत्काल सूचना संप्रेषित की जानी चाहिए जो उस सूचना को आपराधिक जांच के संबंध में अपेक्षित करता है।

बी 20 इंडोनेशिया वैश्विक संवाद

हाल ही में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड/DPIIT) ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री/CII) के साथ साझेदारी में बी 20 इंडोनेशिया वैश्विक संवाद पर एक सम्मेलन की मेजबानी की।

बी 20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग

- **बी 20 इंडोनेशिया वैश्विक संवाद 2022** की मेजबानी भारत द्वारा बी 20 इंडोनेशिया की नीतिगत सिफारिशों के साथ भारतीय उद्योग के दृष्टिकोण को संरेखित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- **बी 20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग** सम्मेलन यह सुनिश्चित करने के लिए विचार-विमर्श के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा कि बी 20 इंडोनेशिया की नीति अनुशंसा में भारतीय दृष्टिकोणों का उचित प्रकार से प्रतिनिधित्व किया गया है।

- **भागीदारी:** इंडोनेशिया के 20 से अधिक व्यापार प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।
  - भारत सरकार के पक्ष का प्रतिनिधित्व जी 20 में भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव श्री अनुराग जैन तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभा (डीपीआईआईटी) एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।
- **चर्चा के लिए विषय:** बी 20 इंडोनेशिया के परिप्रेक्ष्य के अनुसरण में, निम्नलिखित विषयों पर भारतीय उद्योग एवं भारत सरकार के दृष्टिकोण थे-
  - व्यापार एवं निवेश
  - ऊर्जा, धारणीयता तथा जलवायु
  - डिजिटलीकरण एवं
  - वित्त तथा आधारिक अवसंरचना

बिजनेस 20 (बी 20) क्या है?
• **बिजनेस 20 (बी 20) के बारे में:** बिजनेस 20 (बी 20), 2010 में गठित, वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक जी 20 संवाद मंच है।
• **अधिदेश:** बी 20 का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक क्रमावर्तित अध्यक्ष द्वारा प्राथमिकताओं पर ठोस कार्रवाई योग्य नीतिगत सिफारिशें देना है।

जी-20 शिखर सम्मेलन 2022

- **पृष्ठभूमि:** जी 20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को दुष्प्रभावित किया था।
  - जी-20 का प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था।
- **जी-20 समूह के बारे में:** जी-20 एक वैश्विक समूह है जिसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को सम्मिलित करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है।
  - जी-20 शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त, शेरपा बैठकें (जो वार्ता एवं आम सहमति स्थापित करने में सहायता करती हैं) तथा अन्य कार्यक्रम भी वर्ष भर आयोजित किए जाते हैं।
- **जी-20 के सदस्य:** जी-20 के पूर्ण सदस्य हैं- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ।
  - प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रपति अतिथि देशों को आमंत्रित करते हैं।
- **जी-20 का सचिवालय:** जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- **जी-20 शेरपा:** कार्यसूची (एजेंडा) एवं कार्य का समन्वय जी-20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें 'शेरपा' के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों एवं गवर्नरों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।
  - भारत ने हाल ही में कहा था कि पीयूष गोयल के बाद नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर/सीईओ) अमिताभ कांत जी 20 के शेरपा होंगे।
- **महत्व:** सामूहिक रूप से, जी-20 देशों में विश्व की 60 प्रतिशत आबादी, वैश्विक जीडीपी का 80 प्रतिशत एवं वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत शामिल है।
- **जी-20 की अध्यक्षता:** जी-20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के मध्य क्रमावर्तित होती है। वर्तमान में जी-20 समूह की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है।
- **जी-20 की 2023 की अध्यक्षता:** भारत को वर्ष 2023 के लिए जी-20 की अध्यक्षता विरासत में मिलेगी।
- **जी-20 ट्रोइका:** जी-20 की अध्यक्षता वाले देश, पिछली एवं अगली अध्यक्षता-धारक के साथ मिलकर जी-20 कार्य सूची की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु 'ट्रोइका' बनाते हैं।
  - इटली, इंडोनेशिया एवं भारत वर्तमान में ट्रोइका देश हैं।

जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2022

हाल ही में, भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बाली, इंडोनेशिया में 2022 के जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की द्वितीय बैठक को संबोधित किया।

- जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की 2022 की बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिकताओं पर प्रगति तथा आगे की राह पर चर्चा करना था।

जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2022 में भारत

- भारतीय मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने के लिए एक बेहतर तथा स्वस्थ ग्रह छोड़ कर जाएं।
- भारत भविष्य हेतु तत्पर एवं प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने हेतु अत्यधिक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- साथ ही उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण पर भी विस्तार से बताया जिसमें वित्तीय अन्तःस्थायी कोष के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
- उन्होंने इस पर भी प्रकाश डाला-
  - वैश्विक स्वास्थ्य संरचना (ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर) में मौजूदा फॉल्ट लाइनों को स्वीकार करने की आवश्यकता एवं
  - स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन के लिए एक समावेशी, चुस्त तथा उत्तरदायी ढांचे के निर्माण का महत्व।

जी-20 सम्मेलन 2022

- **पृष्ठभूमि:** जी-20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप

से पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को दुष्प्रभावित किया था।
  - जी-20 का प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था।
- **जी-20 के बारे में:** जी-20 एक वैश्विक समूह है जिसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है।
  - जी-20 शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त शेरपा बैठकें (जो समझौतों एवं आम सहमति निर्मित करने में सहायता करती हैं) एवं अन्य कार्यक्रम भी पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं।
- **जी-20 सदस्य:** जी-20 के पूर्ण सदस्य - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ हैं।
  - प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रपति अतिथि देशों को आमंत्रित करते हैं।
- **जी-20 सचिवालय:** जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- **जी-20 शेरपा:** कार्य सूची एवं कार्यों का समन्वय जी-20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें 'शेरपा' के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों तथा गवर्नरों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।
  - भारत ने हाल ही में कहा था कि पीयूष गोयल के बाद नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर/सीईओ) अमिताभ कांत जी-20 शेरपा होंगे।
- **महत्व:** एक साथ, जी-20 देशों में विश्व की 60 प्रतिशत आबादी, वैश्विक जीडीपी का 80 प्रतिशत एवं वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत शामिल है।
- **जी-20 की अध्यक्षता:** जी-20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के मध्य क्रमावर्तित होती है। वर्तमान में जी-20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है।
- **जी-20 अध्यक्षता 2023:** भारत को वर्ष 2023 के लिए जी-20 की अध्यक्षता उत्तराधिकार में प्राप्त होगी।
  - जी-20 त्रि- नेतृत्व: जी-20 की अध्यक्षता वाले देश, विगत एवं आगामी अध्यक्षता-धारक के साथ मिलकर जी-20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 'त्रि- नेतृत्व' (ट्रोइका) बनाते हैं।
  - इटली, इंडोनेशिया तथा भारत अभी ट्रोइका देश हैं।

ग्लोबल न्यूज फोरम 2022

हाल ही में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 की बैठक में मुख्य भाषण दिया।

- उन्होंने यह भी कहा कि संकट के समय में टेलीविजन समाचार चैनलों को बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए एवं सत्य तथा विश्वास वे सिद्धांत होने चाहिए जिनका पालन करना चाहिए।

ग्लोबल न्यूज फोरम 2022

- **ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 के बारे में:** ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) का प्रमुख तीन दिवसीय वार्षिक समाचार कार्यक्रम है, जो विभिन्न प्रसारण संगठनों के मीडिया एवं पत्रकारिता के क्षेत्र से लगभग 80 विदेशी प्रतिभागियों की मेजबानी करता है।
  - ग्लोबल न्यूज फोरम का आयोजन 3 से 5 अक्टूबर 2022 तक किया गया था।
- **थीम:** ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 की थीम "संकट के समय सत्य एवं विश्वास" (ट्रुथ एंड ट्रस्ट एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस) है।
- **प्रमुख क्रियाकलाप:** इस वर्ष के आयोजन की थीम की प्रासंगिकता में संपूर्ण विश्व में प्रचलित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रसारण तथा पत्रकारिता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
- **आयोजक:** ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 का आयोजन एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) द्वारा किया गया था।

एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू)

- **एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) के बारे में:** एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) की स्थापना 1964 में एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक, पेशेवर संघ के रूप में हुई थी।
  - एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) का मुख्यालय वर्तमान में मलेशिया के कुआलालंपुर में है।
- **अधिदेश:** एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) की स्थापना इस क्षेत्र में प्रसारण संगठनों के विकास में सहायता के लिए एक अधिदेश के साथ की गई थी।
- **प्रमुख भूमिका:** एबीयू टेलीविजन एवं रेडियो प्रसारकों के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिभागियों के के सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करता है एवं सदस्यों के लिए क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सहयोग की सुविधा भी प्रदान करता है।
- **सदस्य:** प्रशांत क्षेत्र, एशिया (दक्षिण पूर्व, उत्तर, दक्षिण, मध्य), मध्य पूर्व, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका में 67 से अधिक देशों में इसके 253 से अधिक सदस्य हैं, जो लगभग 2 बिलियन लोगों के संभावित दर्शकों तक पहुंचते हैं।
- **भारत तथा एबीयू:** दूरदर्शन (डीडी) एवं ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) दोनों एबीयू के पूर्ण सदस्य हैं।
  - ऑल इंडिया रेडियो 1964 में एबीयू का संस्थापक सदस्य था जबकि दूरदर्शन 1976 में एबीयू में सम्मिलित हुआ था।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह

हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह ने दोनों देशों के मध्य नवीन क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के विस्तार पर चर्चा की।

- सुश्री ऐनी लाइन वोल्ड, महानिदेशक, शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय, जिन्होंने नॉर्वे की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ने रेखांकित किया कि भारत नॉर्वे के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग में यूरोप के बाहर 9 प्राथमिकता वाले देशों में से है।
- उन्होंने आगे महासागर, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलवायु एवं सुरक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर बल दिया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह के बारे में:** भारत-नार्वेजियन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को 2006 में ट्रोम्सो, नॉर्वे में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया था तथा मई 2009 में ओस्लो में हस्ताक्षरित सहयोग कार्यक्रम (प्रोग्राम ऑफ़ कॉर्पोरेशन/पीओसी) के माध्यम से सक्रिय किया गया था।
- **कार्यकरण:** अंतर-सरकारी समझौते के ढांचे के अंतर्गत गठित एक संयुक्त कार्य समूह की अब तक भारत एवं नॉर्वे में बारी-बारी से 6 बार बैठक हुई।
- **भागीदारी:** वैज्ञानिक एवं शिक्षा मंत्रालयों के साथ-साथ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा नॉर्वे के उनके समकक्षों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह में भाग लिया।
- **महत्व:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बैठक पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह बढ़ती प्रासंगिकता जैसे हरित हाइड्रोजन, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि के क्षेत्रों में विस्तार करेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह के प्रमुख परिणाम

- निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करने हेतु दोनों देशों के मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार,
  - क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
  - विद्युत गतिशीलता (वाहन),
  - हरित हाइड्रोजन,
  - महासागर विज्ञान,
  - साइबर-भौतिक प्रणाली,
  - नीली अर्थव्यवस्था,
  - सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- **सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना यथा-**
  - ध्रुवीय विज्ञान,
  - जैव-अर्थव्यवस्था,
  - नवीकरणीय ऊर्जा,
  - नैनो-विज्ञान एवं तकनीक तथा
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध
- **बैठक में निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया-**
  - द्विपक्षीय कार्यशालाएं,
  - जारी संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समर्थन,
  - उद्योग जगत की भागीदारी के साथ नवीन संयुक्त शोध एवं विकास परियोजना कॉल,
  - मानव क्षमता विकास,
  - उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जो समाज के साथ-साथ औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक प्रासंगिकता अथवा प्रभाव रखते हैं

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह का महत्व

- सहयोग से निम्नलिखित में सहायता मिलेगी-
- अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता बढ़ाना,
- प्रौद्योगिकी रूपांतरण,
- इसे बाजार में ले जाना,
- उद्योग जगत, स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/एमएसएमई) को अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा शिक्षा जगत से जोड़ना,
- सामाजिक जुड़ाव,
- लोगों के लिए विज्ञान,

- विविधता एवं समावेश (युवा, महिला, ग्रामीण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति),
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जल, ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, स्वास्थ्य, विनिर्माण, अपशिष्ट प्रसंस्करण इत्यादि के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को संरेखित करना।

नॉर्डिक देशों के बारे में
• **नॉर्डिक देशों के बारे में:** नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप में पांच देशों का एक समूह है। ये पांच नॉर्डिक देश डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एवं आइसलैंड हैं।
• **राजनीतिक व्यवस्था:** डेनमार्क, स्वीडन एवं नॉर्वे संवैधानिक राजतंत्र तथा संसदीय लोकतंत्र हैं। फिनलैंड एवं आइसलैंड लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। ○ आइसलैंड की संसद, अलथिंग, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संसद है।
• **जनसंख्या:** स्वीडन नॉर्डिक देशों में सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आइसलैंड न्यूनतम आबादी वाला है। डेनमार्क सबसे छोटा देश है।
• **आर्थिक क्षमता:** नॉर्डिक देश सामूहिक रूप से 1.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• **भारत-नॉर्डिक देश व्यापार संतुलन:** भारत एवं नॉर्डिक देशों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं में कुल द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन डॉलर का है।

भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 से 20 सितंबर 2022 तक मिस्र का दौरा किया तथा इस यात्रा ने रक्षा सहयोग के नए द्वार खोले हैं।

- रक्षा मंत्री ने प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास एवं रक्षा उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग में वृद्धि करने हेतु अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी के साथ एक समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग/एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता ज्ञापन हाल के वर्षों में भारत एवं विभिन्न अफ्रीकी देशों के मध्य हस्ताक्षरित रक्षा क्षेत्र में समझौतों की सूची में एक नया प्रवेश है।
- यह यात्रा अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक है।

ऐतिहासिक संबंध

- मिस्र के साथ भारत के संबंध प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। नील नदी घाटी एवं सिंधु-सरस्वती घाटी सभ्यता के मध्य संबंध अच्छी तरह से अभिलिखित है।
- सदियों पुराने इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक बंधन ने दोनों देशों के मध्य एक मजबूत राजनीतिक तथा रक्षा साझेदारी को बढ़ावा दिया है।
- 2015 के भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की भारत यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है।
- हाल ही में, मिस्र ने 2022 में भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया।
- मिस्र बहुपक्षीय क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यह हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन/IORA) तथा शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन/SCO) में एक संवाद भागीदार है, यह 2021 में ब्रिक्स (BRICS) बैंक का सदस्य बना एवं एक अतिथि देश होगा क्योंकि भारत अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

भारत एवं मिस्र के मध्य रक्षा सहयोग
• दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग 1960 के दशक से जारी है।
• प्रशिक्षण इस संबंध का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। 1960 और 70 के दशक में भारत द्वारा मिस्र के वायु सेना के पायलटों का प्रशिक्षण विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
• 1960 के दशक में, दोनों देश प्रसिद्ध हेलवान HA-300 जेट लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम में भी सम्मिलित थे।
• रक्षा सहयोग के लिए प्रेरण 2006 में औपचारिक संयुक्त रक्षा समिति (जॉइंट डिफेंस कमेटी/जेडीसी) की स्थापना के साथ आया था। जेडीसी को रक्षा सहयोग के क्षेत्रों के अभिनिर्धारण का कार्य सौंपा गया था। तब से यह समिति नौ बार मिल चुकी है।

भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग: कोविड उपरांत सहयोग

- हाल ही में, कोविड-19 महामारी में कमी के पश्चात, रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय कार्यकलापों में वृद्धि हुई है।
- प्रथम बार भारतीय वायु सेना-मिस्र की वायुसेना का संयुक्त सामरिक वायु अभ्यास, 'डेजर्ट वॉरियर', अक्टूबर 2021 के अंत में आयोजित किया गया था।
- इसने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित सुखोई -30 एमकेआई एवं पुर्जों तथा घटकों के गहन स्वदेशीकरण के लिए भारत की विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया।
- वायुसेना प्रमुख के स्तर पर यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ है। भारत के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 2021 में काहिरा का दौरा किया, उसके बाद मिस्र के वायुसेना प्रमुख महमूद फोआद अब्द अल-गवाद ने इस वर्ष के आरंभ में नई दिल्ली की यात्रा की।
- इसी तरह, भारतीय नौसेना के जहाजों की मिस्र की अनेक यात्राएं हुई हैं।

- जून 2022 में, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े विध्वंसक आईएनएस कोच्चि ने मिस्र में पोर्ट सफागा का दौरा किया।
- आईएनएस कोच्चि ने मिस्र की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भी भाग लिया।

भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग: सामान्य सुरक्षा चुनौतियां

- अफ्रीका के साथ रक्षा सहयोग में वृद्धि करने की भारत की इच्छा मुख्य रूप से आतंकवाद, जलदस्युता एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसी सामान्य सुरक्षा चुनौतियों से प्रेरित है।
- विगत दो दशकों में महाद्वीप के आर्थिक परिवर्तन तथा अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक एवं विकास सहयोग जैसे सकारात्मक विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक हैं।
- भारत ने सागर (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन/क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम' (समस्त विश्व एक परिवार है) के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अफ्रीका के साथ रक्षा सहयोग का एक सहकारी ढांचा विकसित किया है।

भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग: भारत के लिए अवसर की एक खिड़की

- हाल के वर्षों में, चीन ने अफ्रीकी देशों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर अपनी गतिविधियों में तेजी लाई है। इसने जुलाई 2022 में चीन-अफ्रीका शांति एवं सुरक्षा मंच के द्वितीय मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की।
- नवंबर 2021 में डकार, सेनेगल में अंतिम FOCAC बैठक में अनावरण की गई कार्य योजना ने अफ्रीकी देशों एवं चीन के मध्य बढ़ते सुरक्षा सहयोग पर प्रकाश डाला।
- साथ ही, अफ्रीका में इस बात का बोध बढ़ रहा है कि बीजिंग की भागीदारी की शर्तें वांछनीय से कम हैं। इससे भारत को इस क्षेत्र के साथ अपने सहयोग में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग: भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद (IADD) क्या है?

- भारत अफ्रीका रक्षा संवाद को लगातार डेफ एक्सपो के दौरान द्विवार्षिक रूप से आयोजित करने के लिए संस्थागत रूप प्रदान किया गया था।
- प्रथम भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता फरवरी 2020 में डेफ एक्सपो 2020 के अवसर पर आयोजित की गई थी। भारत ने अब डेफ एक्सपो के साथ-साथ प्रत्येक दो वर्ष में होने वाले संवाद को संस्थागत रूप प्रदान किया है।
- यह अफ्रीकी देशों एवं भारत के मध्य मौजूदा रक्षा साझेदारी का निर्माण करने तथा क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा एवं आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास करता है।
- भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (IADD) 18 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 के अवसर पर आयोजित की गई थी।
- संवाद ने भारत अफ्रीका रक्षा संवाद के विषय 'रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में सामंजस्य स्थापित करने तथा मजबूत करने के लिए रणनीति अपनाना' के विभिन्न पहलुओं को सफलतापूर्वक सामने लाया।

भारत अफ्रीका रक्षा संवाद 2022

- 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफ एक्सपो के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया।
- 20 रक्षा मंत्रियों, सात सीडीएस/सेना प्रमुखों एवं आठ स्थायी सचिवों सहित पचास अफ्रीकी देशों ने रक्षा एवं सुरक्षा में भारत-अफ्रीका जुड़ाव को उच्च प्राथमिकता देने के लिए संवाद में भाग लिया।
- डेफएक्सपो 2022 के एक हिस्से के रूप में आईएडीडी ने अफ्रीकी देशों को घरेलू रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन किया, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' को प्राप्त करने के देश के संकल्प के प्रमुख संचालकों में से एक है।
- इस अंतः क्रिया से हमारे अफ्रीकी भागीदारों की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्राप्त होने की संभावना है तथा साथ ही हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग: निष्कर्ष

यह आशा की जाती है कि भारत-अफ्रीका का बढ़ता पारस्परिक व्यवहार भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा जो प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के माध्यम से अफ्रीकी देशों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

ओपेक प्लस

तेल की कीमतों में लगभग 1% की वृद्धि हुई, क्योंकि ओपेक + के सदस्य एक मंद बाजार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य से कटौती के विरोध के बावजूद, 2020 के कोविड-19 महामारी के पश्चात से उत्पादन में सर्वाधिक गहन कटौती के लिए सहमत हुए।

ओपेक+ क्या है?
• गैर-ओपेक देश जो 14 ओपेक देशों के साथ कच्चे तेल का निर्यात करते हैं उन्हें ओपेक प्लस देश कहा जाता है।
• ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान तथा सूडान सम्मिलित हैं।
• सऊदी अरब एवं रूस, दोनों ओपेक प्लस के रूप में जाने जाने वाले तेल उत्पादकों के तीन वर्ष के गठबंधन के केंद्र में रहे हैं - जिसमें अब 11 ओपेक सदस्य तथा 10 गैर-ओपेक राष्ट्र शामिल हैं - जिसका उद्देश्य उत्पादन में कटौती के साथ तेल की कीमतों को कम करना है।

ओपेक प्लस: उत्पादन में कमी

- रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात तेल की कीमतें आसमान छू गईं।
- हाल ही में की गई कटौती 2020 के बाद से अपनी तरह की सबसे बड़ी कटौती है जब ओपेक + के सदस्यों ने कोविड -19 महामारी के दौरान उत्पादन में 10 मिलियन बीपीडी की कमी की।
- कटौती कीमतों को बढ़ावा देगी एवं मध्य पूर्वी सदस्य राज्यों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगी, जिनके लिए यूरोप ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के पश्चात से रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने के बाद तेल की ओर रुख किया है।
- ओपेक + के सदस्य चिंतित हैं कि एक लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल की मांग को कम कर देगी एवं कटौती को लाभ की रक्षा की विधि के रूप में देखा जाता है।

ओपेक प्लस: भारत के लिए चिंता

- सस्ता रूसी तेल आयात करने के पश्चात भी भारत ने ईंधन की कीमतों में कोई कटौती नहीं देखी है।
- तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए राजकोषीय चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं, जहां अत्यधिक कर वाले खुदरा ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे मांग-संचालित सुधार को खतरा है।
- भारत अपने तेल की आवश्यकताओं का लगभग 84% आयात करता है एवं अपनी मांग के तीन-पांचवें हिस्से को पूरा करने के लिए पश्चिम एशियाई आपूर्ति पर निर्भर है।
- कच्चे तेल की सर्वाधिक खपत करने वाले देशों में से एक के रूप में, भारत इस बात से चिंतित है कि उत्पादक देशों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयों में उपभोग-आधारित पुनर्प्राप्ति को कमजोर करने की क्षमता है।
- इससे उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से हमारे मूल्य-संवेदनशील बाजार में हानि होगी।

संयुक्त राष्ट्र का पुनर्निर्माण

संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल/यूएनएसजी), एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया एवं कहा, "विश्व व्यापक संकट में है, विशाल वैश्विक गतिरोध में फंस गई है, यहां तक कि जी 20 भी भू-राजनीतिक विभाजन के जाल में है"।

संयुक्त राष्ट्र: इतिहास

- 1920 में स्थापित राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रथम अंतर-सरकारी संगठन था तथा द्वितीय विश्व युद्ध के साथ इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा स्थान होने का दावा करता है जहां विश्व के समस्त राष्ट्र आम समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं तथा साझा समाधान ढूंढ सकते हैं जिससे समस्त मानवता लाभान्वित हो।

संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन के बिंदु पर क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र के बाहर एक क्लब: जून में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र के बाहर जलवायु कार्रवाई में गति लाने हेतु एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब के लक्ष्यों का समर्थन किया।
- विश्व व्यापार संगठन की अव्यवहार्यता: विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के कोरम के बिना विवाद निपटान तंत्र ने संस्था को निष्क्रिय कर दिया है।
- विफल वादे: 1992 में रियो में धन के हस्तांतरण की आवश्यकता को जी 7 द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद, जलवायु संकट उत्पन्न करने में उनकी भूमिका के कारण, 2009 में जलवायु वित्त में प्रति वर्ष कम से कम 100 बिलियन डॉलर प्रदान करने का वादा अधूरा है।
- चीन की चुनौती: चीन ने बहुपक्षीय संस्थानों के प्रतिद्वंद्वी समूह को चुना है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) साझा विकास के नए चालक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु एक नवीन मंच निर्मित कर नीति, आधारिक अवसंरचना, व्यापार, वित्तीय एवं व्यक्तियों से व्यक्तियों के मध्य संपर्क हासिल करना चाहता है तथा एक तिहाई जीडीपी एवं 930 अरब डॉलर के निवेश के साथ विश्व की आधी आबादी को समाहित करता है।
- गैर-पारंपरिक सुरक्षा की चुनौती: चीन की वैश्विक विकास पहल (ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव) 2021, तथा संबद्ध वैश्विक सुरक्षा पहल (लिंक्ड ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव), 2022, एक शहरीकृत विश्व, अर्थात डिजिटल शासन एवं गैर-पारंपरिक सुरक्षा का प्रत्युत्तर देने हेतु एक वैचारिक ढांचा विकसित कर रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ने सम्मिलित नहीं किया है।
- संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक विभाजन: अटलांटिक शक्तियों एवं रूस-चीन गठबंधन के मध्य गहन होते विभाजन को प्रदर्शित करने वाली संस्थाओं के टकराव से अधिक महत्वपूर्ण धन, प्रौद्योगिकी एवं शक्ति का प्रसार है। खतरों के बावजूद, 'शेष' अब पक्ष नहीं लेने में सक्षम हैं तथा संयुक्त राष्ट्र के भीतर नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) ने "विश्व के गठबंधन" के रूप में वर्णित किया है।

संयुक्त राष्ट्र का पुनर्निर्माण: आगे की राह

- प्रमुख शक्तियों में रणनीतिकार विश्व को व्यवस्था के चारों ओर द्विआधारी रूप में देखते हैं। एक बहुध्रुवीय विश्व में, प्रश्न यह है कि मानव कल्याण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है तथा क्या सिद्धांत उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेंगे।
- एक विस्तृत विचार हेतु उपयुक्त समय आ गया है कि दोनों वैश्विक व्यवस्थाएं, सहायता की राशि एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स/आईपीआर) के उल्लंघन पर वर्तमान बहुपक्षीय ध्यान से दूर रहें तथा बुखार साथ ही

प्रतिस्पर्धी संस्थानों के लिए एक भूमिका को पहचानें क्योंकि देश अब सौदेबाजी के बिना स्वयं सर्वोत्तम शर्तों को सुरक्षित कर सकते हैं।

- जिस तरह 'रियो सिद्धांत' जलवायु परिवर्तन का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम अथवा 'विश्व एक परिवार के रूप में', कल्याण के तुलनीय स्तरों पर ध्यान केंद्रित करना राज्यों के मध्य संवाद हेतु सार्वभौमिक सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों के एक समूह का मूल हो सकता है।
- न्यायसंगत सतत विकास के इर्द-गिर्द वर्तमान वैश्विक सहमति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वभौमिक सभ्यता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट सामाजिक उद्देश्य जोड़ा है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हुए "पर्यावरण के लिए उपयुक्त जीवन शैली" पर बल दिया।

संयुक्त राष्ट्र का पुनर्निर्माण: भारत की भूमिका

- भारत की जी 20 समूह की अध्यक्षता, 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल/यूएनएससी) एवं 2023 में शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन/एससीओ) जब प्रमुख शक्तियां एक-दूसरे से बात भी नहीं कर रही हैं तथा अकेले भारत, जो अब पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनमें से प्रत्येक के साथ वार्ता कर रहा है, एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र, यद्यपि निष्क्रिय है, वैश्विक शासन हेतु एकमात्र वैश्विक मंच है। संयुक्त राष्ट्र के पतन से किसी देश को लाभ नहीं होगा। यदि हम संयुक्त राष्ट्र को भंग भी कर दें, तो भी संयुक्त राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। भारत तथा वैश्विक हित संयुक्त राष्ट्र को समाप्त करने के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में निहित है।

यूनेस्को- मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन

संस्कृति राज्य मंत्री सांस्कृतिक नीतियों एवं सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन- मोंडियाकल्ट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

- भारतीय मंत्री के सांस्कृतिक क्षेत्र की नीतियों के ज्वलंत मुद्दों तथा चिंताओं पर मोंडियाकल्ट 2022 सम्मेलन को संबोधित करने की संभावना है।

मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन

- **मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन के बारे में:** सांस्कृतिक नीतियों एवं सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन- मोंडियाकल्ट 2022 सांस्कृतिक नीतियों पर प्रथम मोंडियाकल्ट विश्व सम्मेलन के चालीस वर्ष पश्चात यूनेस्को द्वारा आयोजित की गई है।
  - प्रथम यूनेस्को- मोंडियाकल्ट 2022 1982 में मेक्सिको सिटी (मेक्सिको) में आयोजित किया गया था।
  - मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन 1998 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में आयोजित विकास के लिए सांस्कृतिक नीतियों पर यूनेस्को के विश्व सम्मेलन के 24 वर्ष पश्चात आयोजित किया जा रहा है।
  - यूनेस्को-मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन इस तरह का तीसरा सम्मेलन है।
- **भागीदारी:** यूनेस्को-मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन में, वैश्विक सांस्कृतिक प्रवचन पर निर्णय लेने के लिए 100 से अधिक देशों के संस्कृति मंत्री इस बहुपक्षीय मंच में भाग लेंगे।
- **स्थान:** यूनेस्को- मोंडियाकल्ट 2022 का आयोजन मेक्सिको सिटी (मेक्सिको) में हो रहा है।
- **अधिदेश:** मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य है-
  - एक अधिक सुदृढ़ एवं लोचशील सांस्कृतिक क्षेत्र को आकार देना, जो सतत विकास के दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से आश्रय प्रदान करता है, साथ ही साथ
  - संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट 'हमारा आम एजेंडा' (आवर कॉमन एजेंडा) (सितंबर 2021) में निहित दृष्टि के अनुरूप एकता, शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना।
  - संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट 'हमारा आम एजेंडा' संस्कृति को 'वैश्विक जनता के कल्याण, हम सभी के कल्याण' के रूप में संदर्भित करता है।
- **महत्व:** यूनेस्को ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने एवं तत्काल तथा भविष्य की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए सांस्कृतिक नीतियों पर संयुक्त रूप से विचार करने के लिए अपने सदस्य राज्यों एवं वैश्विक समुदाय को आमंत्रित किया है।

सतत विकास लक्ष्य क्या हैं?

- प्रथम बार 2012 में रियो डी जनेरियो में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में चर्चा की गई, सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी), जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, को 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा अंगीकृत किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को निर्धनता को समाप्त करने, अपने ग्रह (पृथ्वी) की रक्षा करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2030 तक सभी लोग शांति तथा समृद्धि का उपभोग कर सकें, कार्रवाई के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अंगीकृत किया गया था।
- 2015 में, तीन -ऐतिहासिक समझौते संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य, पक्षकारों के सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज/कॉप) 15 या पेरिस जलवायु सम्मेलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए थे।।

यूएनडब्ल्यूजीआईसी 2022

हाल ही में, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस (यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पतियल इनफॉरमेशन कांग्रेस/UNEWGIC 2022) हैदराबाद में प्रारंभ हुआ।

- अपने उद्घाटन भाषण में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "संकट के दौरान एक दूसरे की सहायता करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता है"।
- उन्होंने उल्लेख किया कि भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी SVAMITVA, पीएम गति शक्ति महायोजना, JAM ट्रिनिटी, इत्यादि जैसी राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में समावेश तथा प्रगति को आगे बढ़ा रही है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022

- **स्थान:** संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस (यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पतियल इनफॉरमेशन कांग्रेस/UNEWGIC) 2022 **हैदराबाद** में आयोजित किया जा रहा है।
- **थीम:** संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 का आयोजन 'जियो-इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज: नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड' विषय पर आयोजित किया जा रहा है।
- **आयोजन एजेंसी:** पांच दिवसीय यूएनडब्ल्यूजीआईसी 2022 सम्मेलन की मेजबानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जा रही है।
  - UNWGIC 2022 वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति द्वारा आहूत की गई है।
- **महत्व:** दूसरा यूएनडब्ल्यूजीआईसी 2022 सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का समर्थन करने के लिए एकीकृत भू-स्थानिक सूचना बुनियादी ढांचे एवं ज्ञान सेवाओं के महत्व पर प्रतिबिंबित करेगा।
  - यह समाज के कल्याण को भी प्रतिबिंबित करेगा, पर्यावरण एवं जलवायु चुनौतियों का समाधान करेगा, डिजिटल परिवर्तन तथा तकनीकी विकास को अंगीकार करेगा एवं एक जीवंत अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करेगा।

भारत के लिए महत्व

- संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस भारत की **उदारीकृत भू-स्थानिक नीति** तथा इसने भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित किया है, इस विषय पर चर्चा करेगी।
- आत्मनिर्भर भारत के भारत के दृष्टिकोण तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भू-स्थानिक डेटा एवं मानचित्र प्रतिबंधों को, इस वर्ष भारत की मानचित्रण नीति में व्यापक परिवर्तन, मुख्य रूप से भारतीय फर्मों के लिए **पूर्ण रूप से उदार** बनाया जा रहा है।
- संपूर्ण विश्व में जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, उसे भारत में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है, अतः भू-स्थानिक डेटा जो पूर्व में प्रतिबंधित था, अब स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा।

संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस

- **संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस के बारे में:** सदस्य देशों के मध्य भू-स्थानिक सूचना के क्षेत्र में सहभागिता एवं सहयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक 4 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन किया जाता है।
  - अक्टूबर 2018 में, चीन ने पहली संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस (UNWGIC 2018) की मेजबानी की।
- **आयोजन निकाय:** वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन (यूनाइटेड नेशंस-ग्लोबल जियोस्पतियल इनफॉरमेशन मैनेजमेंट/यूएन-जीजीआईएम) पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति द्वारा कांग्रेस की मेजबानी की जाती है।
- **अधिदेश:** इसका उद्देश्य सदस्य राज्यों एवं समस्त संबंधित हितधारकों के मध्य भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन तथा क्षमता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार करना है।

भूस्थानिक डेटा क्या है?
• भूस्थानिक डेटा, जिसे जियो डेटा के रूप में जाना जाता है, में **स्थान की जानकारी** होती है, जैसे पता, क्षेत्र या ज़िप कोड, जो किसी डेटासेट से जुड़ा होता है।
• वे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) डेटा, **भूस्थानिक उपग्रह इमेजरी**, टेलीमैटिक्स डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) एवं जियोटैगिंग से भी आ सकते हैं।

अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास

5जी अर्थव्यवस्था

भारत एक डिजिटल क्रांति के शिखर पर है, जो ब्रॉडबैंड एवं इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि, डेटा की घातीय वृद्धि, डिजिटलीकरण पर सरकार का ध्यान एवं उद्योगों में प्रौद्योगिकी अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति द्वारा संचालित है।

- इस क्रांति से विकास के नए मार्ग उत्पन्न होने, औद्योगिक उत्पादकता को प्रोत्साहित करने एवं देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बदलने की क्षमता है।

5G क्या है?

- 5G पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है - प्रथम बार तीन वर्ष पहले दक्षिण कोरिया में आरंभ की गई थी।
- यह मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन की अगली पीढ़ी है एवं अत्यधिक तीव्र डेटा डाउनलोड तथा अपलोड गति प्रदान करता है।
- रेडियो स्पेक्ट्रम के व्यापक उपयोग के माध्यम से यह एक ही समय में और अधिक उपकरणों को मोबाइल इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करेगा।
- गति एवं विलंब (स्पीड एंड लेटेंसी) में बड़ा सुधार तब आएगा जब सेवा प्रदाता स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क को जारी करेंगे, जहां कोर तथा रेडियो दोनों नेटवर्क 5G तकनीक का उपयोग करते हैं।

प्रौद्योगिकी के लिहाज से 5G परिवर्तनकारी बदलाव कैसे लाएगा ?

- 5G तकनीक आम भारतीयों के लिए किफायती, बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास ला सकती है तथा ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकती है।
- 4G की तुलना में कम विलंबता एवं डेटा गति लगभग 100 गुना तेज प्रदान करते हुए, प्रौद्योगिकी में विभिन्न प्रकार के उन्नत अनुप्रयोगों जैसे होलोग्राम, मेटावर्स में लोगों के 3डी अवतार एवं टेलीमेडिसिन को सक्षम करने की क्षमता है, जिसमें वीडियो तथा डेटा का लगभग-तात्कालिक प्रसारण रोबोटिक स्केलपेल का उपयोग करके सर्जनों को दूर से संचालित करने की अनुमति प्रदान करेगा।

5G के अनुप्रयोग

- ड्रोन आधारित परिशुद्ध खेती; उच्च सुरक्षा युक्त राउटर एवं कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/एआई)-आधारित साइबर खतरे का पता लगाने वाले प्लेटफॉर्म; स्वचालित निर्देशित वाहन; स्मार्ट एम्बुलेंस; संवर्धित वास्तविकता / आभासी वास्तविकता / शिक्षा एवं कौशल विकास में मिश्रित वास्तविकता; सीवेज निगरानी प्रणाली; स्मार्ट-कृषि कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य निदान सेवाओं में।
- ई-स्वास्थ्य, कनेक्टेड वाहन, अधिक दीर्घ संवर्धित वास्तविकता एवं इंटरनेट की काल्पनिक दुनिया (मेटावर्स) अनुभव, जीवन रक्षक उपयोग के मामले तथा उन्नत मोबाइल क्लाउड गेमिंग जैसे समाधान सक्षम कर सकते हैं।
- अरबों इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को जोड़ने में सहायता प्रदान करेगा, उच्च गति पर गतिशीलता के साथ उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सेवाओं की अनुमति प्रदान करेगा एवं टेलीसर्जरी तथा स्वचालित कारों जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की डिलीवरी करेगा।
- आपदाओं की वास्तविक समय की निगरानी में तथा खतरनाक औद्योगिक कार्यों जैसे गहरी खदानों, अपतटीय क्रियाकलापों इत्यादि में मनुष्यों की भूमिका को कम करने में सहायता करेगा।
- एक ही नेटवर्क के भीतर इन विभिन्न उपयोगों में से प्रत्येक के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति प्रदान करेगा।

5G भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा?

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5जी सेवाओं का शुभारंभ देश की आर्थिक यात्रा में एक अन्य महत्वपूर्ण मील का पत्थर है तथा इससे व्यापारिक सुगमता एवं जीवन की सुगमता दोनों की सुविधा प्राप्त होगी।
- यह डिजिटल क्षेत्र में क्रांति लाएगा एवं कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रसद तथा परिवहन, फिनटेक, उद्योग 4.0 को भी बढ़ाएगा एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरण है।
- सरकार ने कहा कि भारत पर 5G का संचयी आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- अनुसंधान एजेंसी OMDIA का अनुमान है कि 369 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शन के साथ - वर्तमान में कुल वैश्विक 5G सब्सक्रिप्शन के आधे से अधिक - भारत 2026 तक विश्व रैंकिंग में चीन एवं अमेरिका के ठीक पीछे होगा।
- भारत 147 मिलियन ग्राहकों के साथ जापान को तीसरे स्थान से बाहर कर देगा।
- 5G एक पीढ़ीगत छलांग है जो जीडीपी में दूरसंचार क्षेत्र के योगदान को वर्तमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8-9 प्रतिशत करने में सहायता कर सकती है।

आगे क्या?

- 5G अगले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर संपूर्ण देश को आच्छादित कर लेगा।
- भारत पर 5G का संचयी आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- पांचवीं पीढ़ी या 5जी सेवा से नए आर्थिक अवसर एवं सामाजिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 माह की अन्य अवधि के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण VII) के विस्तार को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

जलवायु परिवर्तन क्या है?
संयुक्त राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन को तापमान एवं मौसम के प्रतिरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित करता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सौर चक्र में परिवर्तन के माध्यम से। किंतु 1800 के दशक से, मानव गतिविधियां, मुख्य रूप से कोयला, तेल एवं गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण जलवायु परिवर्तन की मुख्य संचालक रही हैं।

खाद्य सुरक्षा क्या है?

खाद्य एवं कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन/एफएओ) खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करता है, जब सभी लोगों को, प्रत्येक समय, सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं तथा खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
• प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) प्रवासियों एवं निर्धनों को निशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करने हेतु आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में एक योजना है।
• इस योजना का चरण- I एवं चरण- II क्रमशः अप्रैल से जून, 2020 तथा जुलाई से नवंबर, 2020 तक क्रियाशील था।
• चरण VI के लिए अप्रैल-सितंबर, 2022 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80,000 करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी।

खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन: अंतर्संबंध

- भारत में बढ़ती तीव्रता एवं आवृत्ति की उष्ण लहरें, सूखा, बाढ़ इत्यादि जैसी चरम घटनाएं घटित होने जा रही हैं।
- हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं को दोष देना जारी रख सकते हैं एवं जलवायु न्याय की मांग कर सकते हैं, फिर भी हमें अपनी नीतियों में सुधार करने हेतु तीव्रता से तथा साहसपूर्वक कार्य करना होगा जो हरित गृह गैस (ग्रीन हाउस गैस/जीएचजी) उत्सर्जन को बढ़ाते हैं और स्थिति को और बिगाड़ देते हैं।
- कम कीमत पर उपलब्ध विद्युत, निशुल्क जल एवं अत्यधिक सब्सिडी वाले उर्वरक विशेषकर यूरिया कुछ ऐसी नीतियां हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचा रही हैं।
- खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र: खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रमुख चिंताओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को जटिल तरीकों से प्रभावित करता है। यह फसलों, पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि को प्रभावित करता है तथा निम्न आय, घटती आजीविका, व्यापार व्यवधान एवं प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के रूप में गंभीर सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा: चिंता का विषय

- केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 23 के बजट में प्रावधान से अधिक हो सकता है। वित्त मंत्रालय इस निशुल्क भोजन को सितंबर से आगे बढ़ाने का समर्थन नहीं कर रहा था, आर्थिक रूप से, एक तर्कसंगत सिफारिश थी। इससे भी अधिक क्योंकि कोविड -19 हमारे पीछे है एवं अर्थव्यवस्था अपने सामान्य स्तर की गतिविधि पर वापस आ गई है।
- महामारी की पहली लहर को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की गई थी। उस समय, संभवतः उन सभी लोगों का समर्थन करना आवश्यक था जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी।किंतु निशुल्क राशन को दोगुना करने से अनाज के भंडार में कमी आई। अब गेहूं की खरीद में गिरावट के साथ, इस बात को लेकर चिंता है कि क्या देश में मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
- भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/एफसीआई) के गोदामों में गेहूं के स्टॉक को फिर से भरने के लिए सरकार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस/एमएसपी) काफी हद तक बढ़ाना होगा। चावल के लिए, मौजूदा भंडार पर्याप्त है, किंतु मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए, चावल की आगामी फसल लगभग 70 लाख टन कम होने का अनुमान है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं राजकोषीय घाटे पर अनुचित बोझ डाले बिना दिसंबर से आगे बढ़ाना कठिन कार्य होगा।

अन्य कारण:

1. भले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की हो, किंतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स/सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति की संभावना, केंद्रीय बैंक के स्वीकार्य बैंड से अधिक रही है जिसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।
2. आरबीआई पहले ही रुपये का समर्थन करने के लिए 80 अरब डॉलर से अधिक व्यय कर चुका है एवं इसकी सीमाएं हैं जिन तक यह जा सकता है तथा यदि आरबीआई कृत्रिम रूप से रुपये को उच्च रखने का प्रयत्न करता है, तो यह भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो चालू खाता घाटे को और अधिक विस्तृत करेगा तथा रुपये पर और दबाव डालेगा। उत्तम प्रयास जो आरबीआई कर सकता है एवं इसे करना चाहिए कि रुपये में अकस्मात एवं अप्रत्याशित गिरावट से बचना चाहिए, किंतु विश्व

स्तर पर, विशेष रूप से मुद्रा बाजारों में जो घटित हो रहा है, उसे देखते हुए इसे अपने प्राकृतिक स्तर का पता लगाने दें।

3. दीर्घ कर्षण: गिरते रुपये से उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम बना रहता है एवं , यदि अधिक नहीं तो कम से कम एक वर्ष तक जारी रहने की संभावना है।

क्या किया जा सकता है?

- सरकार को निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट/FDI) आकर्षित करने के लिए नवीन नीतियों पर ध्यान देना चाहिए।
- जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) आपूर्ति का निर्गम मूल्य एमएसपी के आधे पर निर्धारित करें एवं पीडीएस कवरेज को निचले तबके की आबादी के 30 प्रतिशत तक सीमित करें।
- सबसे अच्छा यह है कि आरबीआई रुपये में अकस्मात एवं अप्रत्याशित गिरावट से बचने के लिए कर सकता है और करना चाहिए, किंतु विश्व स्तर पर, विशेष रूप से मुद्रा बाजारों में जो हो रहा है, उसे देखते हुए इसे अपने प्राकृतिक स्तर का पता लगाने दें।
- यदि हमें खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाना है, तो हमें जलवायु-स्मार्ट कृषि में, परिशुद्ध (सूक्ष्म) कृषि में, उच्च उत्पादकता एवं प्राकृतिक संसाधनों को कम हानि के साथ अधिक निवेश करना होगा।
- निसंदेह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियां हमारी सहायता कर सकती हैं,किंतु उन्हें एक विकृत नीति पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- भारत को फसल की किस्मों के विकास एवं प्रसार में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है जो तापमान तथा वर्षा में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक सहिष्णु हैं एवं अधिक जल तथा पोषक तत्व कुशल हैं।
- जल क्षेत्र के लिए एक चौतरफा रणनीति की सिफारिश की गई है; सिंचाई दक्षता में वृद्धि, जल के अभाव वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, बेहतर जल संसाधन आधारिक संरचना की योजना बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की पुनर्स्थापना, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक बल देना।
- नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि सरकार को तत्काल राहत के रूप में प्रभावित किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों को न्यूनतम निर्दिष्ट नकद राशि हस्तांतरित करनी चाहिए। समृद्ध किसान जो इस सहायता से ऊपर बीमा चाहते हैं, उनके लिए रिपोर्ट व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य एक पृथक फसल बीमा कार्यक्रम की सिफारिश करती है।

निष्कर्ष

अब तक भारत ने अन्य विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अच्छा प्रदर्शन किया है। विदेशी मुद्रा व्यय करने वाली आरबीआई की वर्तमान नीति एवं सरकार द्वारा घाटे में वृद्धि करना दीर्घकाल में अवहनीय है। खाद्य सुरक्षा का बीमा दीर्घकालीन पोषण के लिए जलवायु अनुकूल नीतियों द्वारा किया जाना चाहिए।

बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023

हाल ही में, नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा नेफेड (NAFED) के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उत्सव के लिए बाजरा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल को बढ़ावा दिया जा सके।

- दोनों संगठन "अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (इंटरनेशनल ईयर आफ मिलेट्स/IYOM)-2023" की पहल को ध्यान में रखते हुए बाजरा आधारित उत्पादों के प्रचार तथा विपणन के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023

- **अंतर्राष्ट्रीय बाजरा 2023 के बारे में:** भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा 2023 वर्ष प्रस्तावित किया गया था, जिसे संपूर्ण विश्व में मनाया जाना है।
  - खाद्य एवं कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन/एफएओ) ने 2018 में भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया।
  - अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा अंगीकृत किया गया था जिसके लिए भारत ने नेतृत्व प्रदान किया तथा 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया।
- **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्देश्य बाजरा को खाद्य टोकरी के प्रमुख घटक के रूप में प्रोत्साहित करना है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित हेतु एक विशिष्ट अवसर प्रदान करता है-
  - वैश्विक उत्पादन बढ़ाने के लिए,
  - कुशल प्रसंस्करण तथा उपभोग सुनिश्चित करने हेतु,
  - फसल चक्रों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने, तथा
  - संपूर्ण खाद्य प्रणालियों में बेहतर संपर्क को प्रोत्साहित करना।
- **महत्व:** अंतर्राष्ट्रीय वर्ष करेगा-
  - खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए बाजरा के योगदान के बारे में जागरूकता में वृद्धि
  - बाजरे के सतत उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना; तथा
  - अन्य दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शोध एवं विकास तथा विस्तार सेवाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देगा।

बाजरा के लाभ

- साधारण परिस्थितियों में भी सरलता से लम्बे समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता के कारण मोटे अनाज को अकाल के समय भण्डार गृह माना जाता है।

- बाजरा देश के सर्वाधिक पुरातन खाद्य पदार्थों में से एक रहा है। यह छोटे बीजों से उत्पादित की जाने वाली फसल है जिसे शुष्क क्षेत्रों में या यहाँ तक कि निम्न एवं कम उर्वरता वाली भूमि पर भी उत्पादित किया जा सकता है, इस प्रकार इसे भारत के सुपर फूड के रूप में जाना जाता है।
- अल्पकालीन उत्पादन ऋतु के कारण, बाजरा मात्र 65 दिनों में बीज से तैयार फसलों तक विकसित हो सकता है एवं विश्व के साधन आबादी वाले क्षेत्रों में बाजरा की यह विशेषता महत्वपूर्ण है। यदि इसे उचित रूप से संग्रहित किया जाता है, तो बाजरा दो वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक उचित प्रकार से सुरक्षित रह सकता है।
  - भारत के पोषण परिणामों में सुधार के लिए बाजरा को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।
- भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं तेलंगाना सम्मिलित हैं।

बाजरा के पोषण लाभ

- वे खनिजों तथा बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन के साथ-साथ प्रोटीन एवं प्रति ऑक्सीकारक (एंटीऑक्सीडेंट) में समृद्ध हैं, जो उन्हें बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।
  - यद्यपि, ऐसे लाभों के बावजूद, जागरूकता एवं उपलब्धता की कमी के कारण बाजरा का उपभोग कम होता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-IV के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के 38 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं तथा 59 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित हैं।
- कुपोषण तथा रक्ताल्पता को कम करने के लिए पहल की श्रृंखला में से एक, सरकार बाजरा के उपभोग पर बल दे रही है।
- नीति आयोग भी चावल एवं गेहूं से हटकर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में बाजरा को सम्मिलित करने की आवश्यकता की वकालत करता रहा है।
  - इसके अलावा, 2019 में, नीति आयोग ने कर्नाटक के चार विद्यालयों में किशोरों के मध्य एक अध्ययन के आधार पर बाजरा के लाभों को प्रदर्शित करने वाली एक रिपोर्ट जारी की थी।

बाजरा के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार के कदम

- भारत सरकार ने अन्य राज्यों में बाजरा के अधिशेष उत्पादन के निर्बाध आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशानिर्देशों को पूर्व में ही संशोधित कर दिया है।
- भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/FCI) के माध्यम से अधिशेष बाजरा के अंतर-राज्यीय परिवहन का प्रावधान उपभोक्ता राज्यों द्वारा अधिप्राप्ति प्रारंभ होने से पूर्व रखी गई अग्रिम मांगों को पूरा करने के लिए शामिल किया गया है।
- भारत अब विश्व स्तर पर बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
- 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सृजन एवं सतत उत्पादों को प्रोत्साहित करेगा।

मुद्रास्फीति पर विशेष एमपीसी बैठक

भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीन तिमाहियों तक खुदरा मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत से नीचे रखने में अपनी विफलता पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 27 अक्टूबर, 2022 को मौद्रिक नीति समिति (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी/एमपीसी) की एक विशेष बैठक 3 नवंबर को बुलाई है।

- 2016 में इसके गठन के पश्चात से यह प्रथम अवसर है कि छह सदस्यीय ब्याज दर-निर्धारण निकाय इस तरह के उद्देश्य के लिए बैठक कर रहा है।

मुद्रास्फीति पर विशेष एमपीसी बैठक आयोजित करेगा आरबीआई: पृष्ठभूमि

- भारत में मुद्रास्फीति लगातार नौ महीने या तीन तिमाहियों से 6 प्रतिशत की उच्च सह्यता सीमा से ऊपर बनी हुई है।
- उपभोक्ता मूल्य आधारित सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इंडेक्स/सीपीआई) अथवा खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 7 प्रतिशत थी।
- जनवरी 2022 से सीपीआई रिजर्व बैंक के 2-6 प्रतिशत के सह्यता सीमा से ऊपर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष मई से रेपो दर में 190 आधार अंक (बेस प्वाइंट/बीपीएस) की वृद्धि हुई है।
- खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी से लगातार 6 प्रतिशत की उच्च सीमा से ऊपर रही है एवं आरबीआई ने इस वर्ष बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नीतिगत रेपो में 190 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है।

आरबीआई अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधान
• भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/RBI) अधिनियम की धारा 45 जेड एन के प्रावधानों के तहत, एमपीसी की एक अतिरिक्त बैठक 3 नवंबर, 2022 को निर्धारित की जा रही है।
• अधिनियम की धारा 45 ZN मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता से संबंधित है।

मुद्रास्फीति पर आरबीआई का अधिदेश क्या है एवं क्या यह अपने अधिदेश में विफल रहा है?

- नियमानुसार, आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर लक्षित करना चाहिए। यद्यपि, कानून में आरबीआई को कुछ छूट दी गई है; यह खुदरा मुद्रास्फीति को किसी भी तरफ 2 प्रतिशत अंक से भिन्न करने की अनुमति प्रदान करता है। अतः, किसी विशेष महीने में, आरबीआई मुद्रास्फीति को 2% या 6% होने की अनुमति दे सकता है।

- इस तरह कुल मिलाकर महंगाई 4% के आसपास होनी चाहिए। 2% से 6% की छूट का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को 6% पर रहने दे सकता है।
- किंतु मुद्रास्फीति दो वर्ष से अधिक समय से बढ़ रही है।
- अक्टूबर 2019 के पश्चात से मात्र एक माह का समय ही हुआ है जब खुदरा मुद्रास्फीति 4% के करीब रही है। अन्य सभी महीनों में, यहां तक कि 2020 में राष्ट्रव्यापी कोविड -19 लॉकडाउन में, मुद्रास्फीति 4% से ऊपर एवं प्रायः 6% के निशान से भी ऊपर रही।
- यह समझने हेतु प्रमुख है कि आरबीआई अपने अधिदेश में किस प्रकार विफल रहा है।

मुद्रास्फीति पर विशेष एमपीसी बैठक करेगा आरबीआई: बैठक में क्या होगा?

- इस बार आरबीआई के एमपीसी सदस्य यह निर्धारित करने हेतु अपना सिर नहीं खुजलाएंगे कि मुद्रास्फीति के भूत को मारने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाएं अथवा नहीं।
- इसके स्थान पर, पैनल एक सूक्ष्म एवं संभवतः विस्तृत पत्र लिखने के लिए बैठक करेगा, यह समझाने के लिए कि वे लगातार तीन तिमाहियों के लिए 2 से 6 प्रतिशत की अनिवार्य सीमा के भीतर मुद्रास्फीति को बनाए रखने के अपने अधिदेश पर क्यों विफल रहे।

ऑनलाइन खरीद में टोकनाइजेशन

ऑनलाइन भुगतान में उपयोग किए जाने वाले कार्डों के टोकन के लिए आरबीआई की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो गई है।

टोकनाइजेशन क्या है?

- टोकनाइजेशन से तात्पर्य क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के विवरण को एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने से है जिसे 'टोकन' कहा जाता है।
- यह टोकन कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता (व्यक्ति जो कार्ड के टोकन के लिए ग्राहक से अनुरोध स्वीकार करता है एवं टोकन जारी करने के लिए इसे कार्ड नेटवर्क पर भेजता है) तथा उपकरण के संयोजन के लिए विशिष्ट है।

टोकनकरण: व्यवहार्यता

- क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड को टोकनाइज़ करना उन स्थानों की संख्या को कम करने की एक विधि है जहां आपके कार्ड का डेटा पाया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए, उबर पर भुगतान ने एक चेतावनी प्रदर्शित की कि आपके कार्ड डेटा को वीजा एवं मास्टरकार्ड जैसे भुगतान गेटवे के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
- यह क्या कह रहा है कि उबर जैसे व्यापारी को कार्ड विवरण को डिजिटल टोकन में बदलने के लिए वीज़ा जैसे भुगतान नेटवर्क के साथ कार्य करना होगा, जिसका उपयोग लेनदेन को मान्य करने के लिए किया जाता है।
- परिणामस्वरूप, आपके द्वारा उबर ऐप या किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर दर्ज किए गए कार्ड विवरण, कंपनी के क्लाउड सर्वर पर संग्रहित नहीं होते हैं तथा इस कारण से अधिक सुरक्षित होते हैं।

डिजिटल टोकन का क्या उपयोग किया जा रहा है?

- डिजिटल टोकन एक यादृच्छिक श्रृंखला (स्ट्रिंग) है, आमतौर पर अक्षरांकीय (अल्फ़ान्यूमेरिक)। अतः, एक 16-अंकीय कार्ड संख्या 8f9%yf57ljTa जैसी किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है।
- यह कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न होता है एवं कार्ड नेटवर्क आपके वास्तविक कार्ड विवरण के लिए टोकन को टैग करता है तथा टोकन को व्यापारी को प्रसारित (रिले) करता है।
- जब भुगतान का अनुरोध किया जाता है, तो व्यापारी इस टोकन को कार्ड नेटवर्क पर भेजता है, जो इसे सहेजे गए विवरण से मेल करवाता है तथा लेनदेन को मान्य करता है।
- टोकन तक पहुंच स्थापित करने वाले तीसरे पक्ष के पास इसका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि टोकन कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता एवं व्यापारियों के संयोजन में विशिष्ट होंगे।

टोकनकरण सेवाएं

- टोकनकरण केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा किया जा सकता है एवं मूल प्राथमिक खाता संख्या (प्राइमरी अकाउंट नंबर/पैन) की वसूली केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क के लिए साध्य होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए कि कार्ड नेटवर्क के अतिरिक्त किसी के द्वारा भी टोकन से तथा इसके विलोमतः पैन का पता नहीं लगाया जा सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस बात पर बल दिया है कि टोकन निर्माण की प्रक्रिया की समग्रता प्रत्येक समय सुनिश्चित की जानी चाहिए।

टोकनकरण: लाभ

- लेन-देन सुरक्षा: टोकनकरण कार्ड विवरण साझा करने से उत्पन्न होने वाली धोखाधड़ी की संभावना को कम करता है।
- सरल भुगतान: टोकन का उपयोग विक्रय केंद्र (पॉइंट-ऑफ-सेल/पीओएस) टर्मिनलों एवं क्यूआर कोड भुगतान पर संपर्क रहित कार्ड लेनदेन करने के लिए किया जाता है।
- डेटा संग्रहण: केवल कार्ड नेटवर्क एवं कार्ड जारी करने वाले बैंकों के पास किसी भी कार्ड डेटा तक पहुंच होगी तथा वह इसे संचित कर सकते हैं।

टोकनकरण एवं कूट लेखन (एन्क्रिप्शन) के मध्य अंतर

- प्राथमिक अंतर यह है कि टोकन कार्ड के विवरण तक अग्रसर नहीं कर सकता है।
- कूट लेखन (एन्क्रिप्शन) में, एक कंप्यूटर प्रोग्राम एन्क्रिप्शन कुंजी का उपयोग करके डेटा को अस्पष्ट करता है एवं यह कुंजी डेटा को उसके मूल रूप में वापस कर सकती है।

- टोकननाइजेशन में, यद्यपि, यह जानने की कोई विधि नहीं है कि टोकन किस डेटा का प्रतिनिधित्व करता है जब तक कि किसी के पास उस टोकन के वास्तविक जारीकर्ता के डेटाबेस तक पहुंच न हो।
- कई मामलों में, कानून टोकन को "संवेदनशील डेटा" के रूप में नहीं मानते हैं एवं इसलिए, कंपनियों को उनकी सुरक्षा के लिए इनका अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है।

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप)

हाल ही में विमोचित किए गए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) (राष्ट्रीय सम्भारिकी नीति के एक भाग के रूप में) को जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई क्योंकि यूलिप पर डेटा तक पहुंचने के लिए 13 संगठनों ने गैर-प्रकटीकरण समझौते (नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट/एनडीए) पर हस्ताक्षर किए।

- राष्ट्रीय सम्भारिकी नीति (नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी/एनएलपी) का उद्देश्य सम्भारिकी (रसद) प्रक्रिया को सरल बनाकर, इसकी दक्षता में सुधार कर, पारदर्शिता तथा दृश्यता लाने एवं रसद लागत तथा समय को कम करके रसद क्षेत्र में व्यापारिक सुगमता लाना है।

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप)
• **एकीकृत सम्भारिकी अंतरापृष्ठ मंच (यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म/यूलिप) के बारे में:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर, 2022 को 'राष्ट्रीय सम्भारिकी नीति (नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी/एनएलपी)' के एक भाग के रूप में यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) का विमोचन किया गया था।
• **अधिदेश:** यूलिप का उद्देश्य उद्योग जगत के प्रतिभागियों को राजस्व सृजन के साथ-साथ एकाधिकार एवं असमान लाभ के उन्मूलन हेतु बाजार का निर्माण करने में सक्षम बनाना है।
• **महत्व:** यूलिप प्लेटफॉर्म उद्योग जगत के प्रतिभागियों को विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध रसद एवं संसाधनों से संबंधित जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
○ वर्तमान में सात मंत्रालयों की 30 प्रणालियों को 100 से अधिक एपीआई के माध्यम से एकीकृत किया गया है जिसमें हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए 1600 से अधिक डेटा फ़ील्ड शामिल हैं।

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) कार्यचालन

- यूलिप में एक समर्पित पोर्टल है जो डेटा अनुरोध की प्रक्रिया को सरल, त्वरित एवं पारदर्शी बनाता है।
- **यूलिप पोर्टल:** पोर्टल को "https://goulip.in/" के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
  - पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उद्योग जगत के प्रतिभागियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित सहायता टीम चौबीसों घंटे कार्यरत है।
  - पंजीकरण के उपरांत, उपयोगकर्ताओं को अपने उपयोग-मामलों को जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसकी फिर अनुरोधित डेटा के प्रस्तावित उपयोग के आधार पर समीक्षा की जाएगी।
  - सफल समीक्षा के पश्चात, डेटा के लिए अनुरोध करने वाले उपयोगकर्ताओं को 'गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए)' पर हस्ताक्षर करना होगा।
- गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर के साथ, उद्योग जगत के प्रतिभागी यूलिप के साथ एकीकरण के लिए एपीआई विकसित कर सकते हैं।
- प्रणाली सुरक्षा जांच एवं एकीकरण के गहन परीक्षण के पश्चात, उपयोगकर्ता विभिन्न सरकारी स्रोतों से यूलिप के माध्यम से प्रामाणिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं।

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) के लाभ

- यूलिप सभी लॉजिस्टिक्स हितधारकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेगा जैसे-
  - एक क्लिक में ड्राइवरों तथा वाहनों के विवरण का सत्यापन,
  - खेप की ट्रैकिंग एवं अनुरेखण,
  - मार्ग इष्टतमीकरण योजना,
  - खेप के गंतव्य पर समय पर अद्यतन,
  - कागजी कार्यवाही को कम करना,
  - खाली वाहक तथा कंटेनर दृश्यता,
  - माल सूची (इन्वेंटरी) प्रबंधन इत्यादि।
- नियामक, दस्तावेजी एवं अन्य विलंब को कम करके, यूलिप लॉजिस्टिक्स के तरीकों के इष्टतम उपयोग पर निर्णय लेने में सहायता करके संरचित योजना को सक्षम करेगा जिससे लागत तथा समय की बचत होगी।

राष्ट्रीय सम्भारिकी नीति (एनएलपी)

- **पृष्ठभूमि:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2020-21 के भाषण में एक व्यापक राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) की आवश्यकता का उल्लेख किया।
- **आवश्यकता:** राष्ट्रीय सम्भारिकी नीति की आवश्यकता अनुभव की गई क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सम्भारिकी (रसद) लागत अधिक है।
  - घरेलू एवं निर्यात दोनों बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए भारत में रसद लागत को कम करना अनिवार्य है।
  - कम रसद लागत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता में सुधार करती है, मूल्यवर्धन तथा उद्यम को प्रोत्साहित करती है।

- **राष्ट्रीय रसद नीति के बारे में:** राष्ट्रीय रसद नीति संपूर्ण रसद पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक अंतःविषय, पार-क्षेत्रीय एवं बहु-क्षेत्राधिकार ढांचे को निर्धारित करके उच्च लागत तथा अक्षमता के मुद्दों को हल करने का एक व्यापक प्रयास है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का उद्देश्य संपूर्ण देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना एवं उच्च रसद लागत में कटौती करना है, जिसे प्रायः भारत में बाह्य तथा आंतरिक व्यापार दोनों के लिए सबसे बड़ी संरचनात्मक बाधा माना जाता है।
  - राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का लक्ष्य आगामी कुछ वर्षों में देश की रसद लागत को इसके सकल घरेलू उत्पाद के 13-14 प्रतिशत से एक अंक तक कम करना है।
- **मूल मंत्रालय:** राष्ट्रीय रसद नीति को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

अमेरिकी विधान एनओपीईसी

अमेरिकी विधान एनओपीईसी जो तेल उत्पादक समूह ओपेक + के सदस्यों के प्रति अविश्वास मुकदमों को प्रारंभ कर सकता है, उच्च ईंधन की कीमतों से निपटने के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में उभरा है।

अमेरिकी विधान एनओपीईसी क्या है?
• NOPEC का तात्पर्य नो ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल (NOPEC) है।
• यह अमेरिकी उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों को अभियंत्रित तेल रोक (स्पाइक्स) से सुरक्षित करने हेतु एक विधेयक है।
• किंतु कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इसे लागू करने के कुछ हानिकारक अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं।

अमेरिकी विधान एनओपीईसी: आवश्यकता

- ओपेक +, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ऑर्गनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज/ओपेक) एवं रूस सहित सहयोगियों का समूह है, पहले से ही मंद बाजार में आपूर्ति को रोकने के लिए उत्पादन में कटौती करने हेतु सहमत हुए।
- निर्णय के पश्चात, अमेरिका ने ऊर्जा कीमतों पर समूह के नियंत्रण को कम करने का निर्णय लिया।

अमेरिकी विधान एनओपीईसी: प्रमुख विशेषताएं

- द्विपक्षीय एनओपीईसी विधेयक ओपेक + सदस्यों एवं उनकी राष्ट्रीय तेल कंपनियों को मुकदमों से बचाने वाली संप्रभु प्रतिरक्षा को निरस्त करने हेतु अमेरिकी अविश्वास कानून में सुधार करेगा।
- यदि विधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को संघीय न्यायालय में तेल उत्पादक संघों (कार्टेल) अथवा उसके सदस्यों, जैसे सऊदी अरब पर मुकदमा चलाने का विकल्प प्राप्त होगा।
- यह वास्तव में स्पष्ट नहीं है कि एक संघीय न्यायालय किसी विदेशी राष्ट्र के विरुद्ध न्यायिक अविश्वास निर्णयों को कैसे लागू कर सकती है।

अमेरिकी विधान एनओपीईसी: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- शीर्ष अमेरिकी तेल लॉबी समूहों सहित तेल उद्योग समूहों के प्रतिरोध के मध्य NOPEC विधेयक के विगत संस्करण विफल हो गए हैं।
- सऊदी अरब ने उत्पादन में कटौती नहीं करने के लिए बिडेन अधिकारियों की यात्राओं के दौरान बार-बार किए जाने वाले समर्थन को अस्वीकार कर दिया है।
- इसके स्थान पर, ओपेक + ने कोविड-19 महामारी के प्रारंभ के पश्चात से उत्पादन में सर्वाधिक कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है।

अमेरिकी विधान एनओपीईसी: प्रभाव

- एनओपीईसी कमोबेश ओपेक+ के तेल आधिपत्य के विरुद्ध अमेरिका की ओर से स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
- यदि यह विधेयक कानून के रूप में पारित हो जाता है, तो यह अनपेक्षित आघात दे सकता है।
- उदाहरण के लिए, 2019 में, सऊदी अरब ने धमकी दी कि यदि वाशिंगटन NOPEC विधेयक का एक संस्करण पारित करता है, तो वह अपना तेल डॉलर के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में बेच देगा।
- ऐसी संभावना है कि अन्य देश घरेलू उत्पादन का समर्थन करने के लिए कृषि उत्पादन को रोकने हेतु अमेरिका पर इसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, उदाहरण के लिए।

सीआरएआर

भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/RBI) ने धनलक्ष्मी बैंक को कड़ी निगरानी में रखा है क्योंकि त्रिशूर स्थित निजी बैंक की वित्तीय स्थिति व्यापक सार्वजनिक जांच के दायरे में आ रही है।

- धनलक्ष्मी बैंक का पूंजी-से-जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो/सीआरएआर) एक वर्ष पूर्व के 14.5% से इस वर्ष मार्च के अंत में लगभग 13% तक गिर गया, जिससे आरबीआई को बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य का जायजा लेने के लिए प्रेरित किया गया।

सीआरएआर के बारे में बेसल III मानदंड क्या कहते हैं?
• पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक बैंक की पूंजी को उसकी जोखिम भारित आस्तियों के संबंध में मापता है।
• बेसल III मानदंडों के तहत, जिसे 2007 08 के वित्तीय संकट जिसमें बैंकिंग प्रणाली में बड़ी विफलताएं सम्मिलित की, इसके पश्चात संपूर्ण विश्व में वित्तीय नियामकों द्वारा अपनाया गया था, इन मानदंडों के अनुसार बैंकों को अपने सीआरएआर को 9% या उससे अधिक पर बनाए रखना चाहिए।

सीआरएआर क्या है: त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पीसीए) क्या है?

- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन/पीसीए) एक संरचना है जिसके तहत कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निगरानी में रखा जाता है।
- आरबीआई ने 2002 में पीसीए ढांचे को बैंकों के लिए एक संरचित आरंभिक-हस्तक्षेप तंत्र के रूप में प्रारंभ किया, जो खराब आस्तियों की गुणवत्ता के कारण कम पूंजीकृत हो जाते हैं, या लाभप्रदता की हानि के कारण कमजोर हो जाते हैं।
- इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित आस्तियों (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स/एनपीए) की समस्या की जांच करना है।
- भारत में वित्तीय संस्थानों एवं वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के लिए संकल्प व्यवस्था पर वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद के कार्यकारी समूह की संस्तुतियों के आधार पर रूपरेखा की समीक्षा 2017 में की गई थी।
- पीसीए का उद्देश्य नियामक के साथ-साथ निवेशकों एवं जमाकर्ताओं को सतर्क करने में सहायता प्रदान करना है यदि कोई बैंक संकट की ओर बढ़ रहा है। विचार, संकट के अनुपात को प्राप्त करने से पूर्व समस्याओं को आगे बढ़कर समाप्त करने का है।
- पीसीए के तहत, आरबीआई संकटग्रस्त बैंकों द्वारा ऋण देने पर प्रतिबंध लगाता है तथा उनकी वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार होने तक उन पर कड़ी नजर रखता है।

बैंक के लिए पूंजी पर्याप्तता क्यों महत्वपूर्ण है?

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात किसी बैंक की एक चालू व्यवसाय इकाई के रूप में जीवित रहने की क्षमता का एक संकेतक है, यदि उसे अपनी ऋण संबंधी खाता बही में व्यापक हानि होती है।
- एक बैंक परिचालन जारी नहीं रख सकता है यदि उसकी आस्तियों का सकल मूल्य उसकी देनदारियों के सकल मूल्य से कम हो जाता है क्योंकि यह उसकी पूंजी (या निवल मूल्य) को समाप्त कर देगा एवं बैंक को दिवालिया बना देगा।
- अतः, बैंकिंग नियम जैसे कि बेसल-III मानदंड बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में परिवर्तनों की सूक्ष्मता से निगरानी करने का प्रयास करते हैं ताकि बड़ी बैंक विफलताओं को रोका जा सके जो व्यापक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
- जमाकर्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण करने हेतु किसी बैंक की पूंजी की स्थिति को बैंक द्वारा अपनी तिजोरी में रखी नकदी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।
- सीआरएआर, जो एक अनुपात है जो किसी बैंक की पूंजी (या निवल मूल्य) के मूल्य की तुलना उसकी विभिन्न आस्तियों के मूल्य के अनुसार करता है, प्रत्येक परिसंपत्ति कितनी जोखिम भरी होती है, इसका उपयोग बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले दिवाला के जोखिम को मापने के लिए किया जाता है।
- बैंक की तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में रखी गई एक प्रकार की जोखिम वाली संपत्ति, बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना करते समय परिसंपत्ति के मूल्य को उतना ही अधिक महत्व देती है।
- यह बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में गिरावट का कारण बनता है, इस प्रकार संकट के दौरान दिवालियेपन के उच्च जोखिम का संकेत देता है।
- दूसरे शब्दों में, सीआरएआर बैंक की तुलन पत्र पर परिसंपत्तियों की गुणवत्ता या जोखिम के आधार पर बैंक की शोधन क्षमता के लिए उत्पन्न जोखिम का आकलन करने का प्रयास करता है।

विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है।

- जुलाई 2022 में आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7.4%, विकास दर का अनुमान लगाया था।

विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) क्या है?
• विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, जो वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है।
• रिपोर्ट आईएमएफ के सदस्य देशों में आर्थिक विकास और नीतियों का विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रदान करती है।
• रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझाया गया है और जोखिम और अनिश्चितता पर प्रकाश डाला गया है जिससे विकास को खतरा हो सकता है।
• IMF अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में WEO रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों का साल में दो बार सर्वेक्षण करता है।

विकास पर आईएमएफ का पूर्वानुमान

- आईएमएफ ने वैश्विक विकास के पूर्वानुमान में तेजी से कटौती की है - 2021 में 6.0 प्रतिशत से 2022 में 3.2 प्रतिशत और 2023 में 2.7 प्रतिशत।
- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2020 में कोविड -19 महामारी के तुरंत बाद तेज गिरावट को छोड़कर, यह 2001 के बाद से दुनिया के लिए सबसे कमजोर विकास प्रोफ़ाइल है।

मुद्रास्फीति पर आईएमएफ का पूर्वानुमान

- 2022 के अंत में वैश्विक मुद्रास्फीति अब 9.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने की उम्मीद है।
- यह पहले की कल्पना से अधिक समय तक ऊंचा रहने की उम्मीद है और केवल 2024 तक घटकर 4.1 प्रतिशत होने की संभावना है।

आईएमएफ ने भारत के लिए क्या अनुमान लगाया?

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अपने अक्टूबर संस्करण में, आईएमएफ ने कहा है कि 2022 में भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया गया है।
- यह दूसरी तिमाही में उम्मीद से कमजोर उत्पादन और अधिक कमजोर बाहरी मांग के कारण है।

- अगले वर्ष 2023 के लिए, भारत के 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट भारत के लिए कैसे मायने रखती है?

- पहली नज़र में, भारत बेहतर स्थिति में है। भारत की जीडीपी विकास दर बेहतर है और महंगाई (सितंबर 2022 में 7.41 फीसदी) उतनी ऊंची नहीं है।
- हालाँकि, भारत 2020 में कोविड -19 महामारी के कारण हुए संकुचन से मुश्किल से बाहर है।
- देश में सबसे अधिक लोग (विश्व बैंक के अनुसार 5.6 करोड़) 2020 में घोर गरीबी से नीचे थे।
- भारत को निम्नलिखित चार प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उसके विकास पथ में बाधा डालती हैं -
- कच्चे तेल और उर्वरक की ऊंची कीमतों से घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ेगी;
- वैश्विक मंदी निर्यात को नुकसान पहुंचाएगी, घरेलू विकास को नीचे खींचेगी और व्यापार घाटे को और खराब करेगी;
- एक मजबूत डॉलर रुपये की विनिमय दर पर दबाव डालेगा, जिसके परिणामस्वरूप इसके विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने की संभावना है और मुश्किल होने पर माल आयात करने की क्षमता कम हो जाएगी;
- अधिकांश भारतीयों के बीच कम मांग को देखते हुए, सरकार को खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के रूप में बुनियादी राहत प्रदान करने के लिए और अधिक खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

सामाजिक समस्याएँ

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022

हाल ही में, भारत वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स/जीएचआई) 2022 में 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का प्रदर्शन विगत वर्ष के वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में 101वें स्थान से नीचे चला गया।

वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के प्रमुख निष्कर्ष

- यमन सर्वाधिक निचले स्थान पर 121 वें स्थान पर है, जबकि सूची में शीर्ष स्थान पर क्रोएशिया, एस्टोनिया एवं मोंटेनेग्रो सहित यूरोपीय देशों का प्रभुत्व है।
  - एशियाई देशों में चीन एवं कुवैत ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
- **भारत का प्रदर्शन:** वैश्विक भूख सूचकांक में 121 देशों में से, भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल (81), पाकिस्तान (99), श्रीलंका (64) तथा बांग्लादेश (84) से पीछे है।
  - वैश्विक भूख सूचकांक, जो देशों को 'गंभीरता' के अनुसार सूचीबद्ध करता है, ने भारत को 29.1 का स्कोर प्रदान किया है, जो भूख के स्तर की 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
- **वर्ष के दौरान भारत का प्रदर्शन:** भारत वर्षों से वैश्विक भूख सूचकांक में घटता हुआ स्कोर दर्ज कर रहा है। 2000 में, इसने 38.8 का 'खतरनाक' स्कोर दर्ज किया, जो 2014 तक घटकर 28.2 हो गया। तब से देश ने उच्च स्कोर दर्ज करना प्रारंभ कर दिया है।
  - जबकि भारत चार संकेतकों के लिए लगातार निम्न मूल्यों को दर्ज कर रहा है, यह 2014 में अल्पपोषण एवं बच्चों में कृशता की व्यापकता के कारण उच्च मान दर्ज करना प्रारंभ कर दिया।
  - जनसंख्या में अल्पपोषण का अनुपात 2014 में 14.8 से बढ़कर 2022 में 16.3 हो गया तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण का प्रसार 2014 में 15.1 से बढ़कर 2022 में 19.3 हो गया।
  - भारत ने अन्य दो संकेतकों में भी सुधार दर्ज किया।
  - पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धिरोध (स्टंटिंग) 2014 में 38.7 से घटकर 2022 में 35.5 हो गई है, तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2014 में 4.6 से घटकर 2022 में 3.3 हो गई है।

वैश्विक भूख सूचकांक अथवा ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है?

- **वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में:** विभिन्न देशों में भूख की स्थिति का मानचित्रण करने के लिए 2000 से लगभग प्रत्येक वर्ष वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स लाया जाता है।
  - वैश्विक भूख सूचकांक 2022 रिपोर्ट्स के क्रम में यह 15वीं रिपोर्ट है।
- **प्रकाशन संगठन:** वैश्विक भूख सूचकांक संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्डवाइड एवं वेल्थंगरलाइफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- **अधिदेश:** भूख की स्थिति का मानचित्रण करने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि विश्व "2030 तक शून्य भूख" की स्थिति - संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से एक को प्राप्त करे।
  - यही कारण है कि कुछ उच्च आय वाले देशों के लिए वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर की गणना नहीं की जाती है।
- **उपयोग किए गए मापदंड:** वैश्विक भूख सूचकांक चार प्रमुख मापदंडों पर विभिन्न देशों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
  - ये मापदंड अनेक आयामों को प्रग्रहित करते हैं- जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी- भूख की, इस प्रकार भूख का एक अधिक व्यापक मापक प्रदान करते हैं।

वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की गणना कैसे की जाती है?

प्रयुक्त संकेतक

वैश्विक भूख सूचकांक चार प्रमुख संकेतकों पर विचार करता है:

- **अल्पपोषण (जो अपर्याप्त भोजन उपलब्धता को प्रदर्शित करता है):** आबादी के कुपोषित हिस्से द्वारा गणना की जाती है (अर्थात, जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है);
- **शिशु कृशता (जो तीव्र अल्पपोषण को प्रदर्शित करता है):** पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के हिस्से के आधार पर गणना की जाती है जो कृशकाय हो जाते हैं (अर्थात, जिनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम होता है);
- **बाल वृद्धिरोध (जो दीर्घकालिक कुपोषण को प्रदर्शित करता है):** पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की हिस्सेदारी के आधार पर गणना की जाती है, जो वृद्धिरोध से ग्रसित हो रहे हैं (अर्थात, जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुपात में कम है);
- **बाल मृत्यु दर (जो अपर्याप्त पोषण एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण दोनों को प्रदर्शित करती है):** पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर द्वारा गणना की जाती है (आंशिक रूप से, अपर्याप्त पोषण के घातक मिश्रण को प्रतिबिंबित करता है)।

वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) पर देशों की रैंकिंग

- **संकेतकों का भारांक:** प्रत्येक देश के डेटा को 100-बिंदु पैमाने पर मानकीकृत किया जाता है एवं संकेतक 1 तथा 4 को 33.33% भारांक प्रदान कर तथा संकेतक 2 एवं 3 को प्रत्येक को 16.66% भारांक प्रदान कर अंतिम स्कोर की गणना की जाती है।
- **श्रेणीकरण:** 9.9 से कम अथवा उसके बराबर स्कोर करने वाले देशों को भूख की "निम्न" श्रेणी में रखा गया है, जबकि 20 और 34.9 के मध्य स्कोर करने वालों को "गंभीर" श्रेणी में रखा गया है एवं 50 से ऊपर स्कोर करने वालों को "अत्यंत खतरनाक" श्रेणी में रखा गया है।

पोषण माह 2022

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का 5वां संस्करण मना रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह विगत पांच वर्षों से सितंबर के महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

राष्ट्रीय पोषण माह 2022

- **पृष्ठभूमि:** समग्र पोषण (पोषण) अभियान अथवा राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए प्रधानमंत्री की सर्व समावेशी योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी।
  - 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं किशोरियों को अच्छा पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से पोषण अभियान प्रारंभ किया गया था।
  - 2018 से, जागरूकता उत्पन्न करने एवं महिलाओं तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने हेतु सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
- **राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के बारे में:** पोषण माह 2022 उन प्रथाओं को विकसित करने के लिए मनाया जाता है जो स्वास्थ्य, आरोग्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता का पोषण करते हैं एवं साथ ही राष्ट्र में कुपोषण के संकट को समाप्त करते हैं।
- **अधिदेश:** इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के सहयोग से जमीनी स्तर पर पहुंच कर पोषण माह को सक्रिय करना है।
- **थीम:** राष्ट्रीय पोषण माह 2022 की थीम "महिला एवं स्वास्थ्य" (वुमन एंड हेल्थ) तथा "बच्चा एवं शिक्षा" (चाइल्ड एंड एजुकेशन) है।

पोषण माह 2022- प्रमुख क्रियाकलाप

- वर्षा जल संचयन के महत्व पर भी ध्यान दिया जाएगा एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा।
- जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों में स्वस्थ माताओं एवं बच्चों के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
- पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों को महत्व देने वाली गतिविधि 'अम्मा की रसोई' भी आयोजित की जाएगी।
- पोषण माह के दौरान स्थानीय त्योहारों के साथ उन्हें एकीकृत करके पारंपरिक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए देशी एवं स्थानीय खिलौनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खिलौना निर्माण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।

पोषण अभियान 2022

- पोषण अभियान कुपोषण के जीवन चक्र के मुद्दों को हल करने हेतु एक कार्यक्रमिक (प्रोग्रामेटिक) दृष्टिकोण है।
  - प्रमुख मंत्रालयों/विभागों, मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर/MoH&FW) के साथ अभिसरण में रक्ताल्पता (एनीमिया) को कम करना पोषण अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।
  - विभिन्न रणनीतिक उपायों के माध्यम से वर्तमान स्वास्थ्य प्लेटफार्मों में पोषण संबंधी अंतःक्षेपों के एकीकरण में सुधार हेतु अनेक प्रयास जारी हैं।
- पोषण अभियान के तहत निम्नलिखित हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं-
  - सामुदायिक जुड़ाव के लिए प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना,
  - लाभार्थियों का सशक्तिकरण एवं
  - बेहतर पोषण की दिशा में व्यवहार परिवर्तन जिसके लिए अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों में समुदाय आधारित कार्यक्रम (कम्युनिटी बेस्ड इवेंटस/सीबीई) आयोजित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- समुदाय आधारित कार्यक्रमों के तहत पोषण में सुधार एवं रोगों को कम करने, रक्ताल्पता की रोकथाम, पौष्टिक भोजन का महत्व, आहार विविधता इत्यादि के लिए जन स्वास्थ्य से संबंधित संदेश आयोजित किए जा रहे हैं।
- अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लौह की कमी को कम करने के लिए भोजन पकाने के लिए लोहे के बर्तनों का उपयोग, पूरक पोषण के साथ आयुर्वेद उत्पादों एवं योगों को एकीकृत करने जैसी स्वदेशी सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास किया है।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

लाइफ अभियान के तहत अग्नि तत्व

पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, विज्ञान भारती (विभा) के सहयोग से वर्तमान में लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक अभियान संचालित कर रहा है।

LiFE अभियान के तहत अग्नि तत्व

- **अग्नि तत्व अभियान के बारे में:** अग्नि तत्व अभियान - जीवन के लिए ऊर्जा, सुमंगलम के छत्र अभियान के तहत एक पहल।
- **मूल मंत्रालय:** लाइफ अभियान के तहत अग्नि तत्व को नई दिल्ली में सितंबर 2022 में केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** लाइफ अभियान के तहत अग्नि तत्व का उद्देश्य अग्नि तत्व की मूल अवधारणा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है, एक ऐसा तत्व जो ऊर्जा का पर्याय है एवं पंच महाभूत के पांच तत्वों में से एक है।
- **थीम:** अग्नि अभियान का प्रथम सम्मेलन लेह में 'संधारणीयता एवं संस्कृति' की थीम पर आयोजित किया गया था।
- **प्रमुख गतिविधियां:** अग्नि तत्व के एक भाग के रूप में संपूर्ण देश में सेमिनारों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है।
- इस अभियान में शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों एवं संबंधित संगठनों को शामिल करते हुए संपूर्ण देश में सम्मेलन, सेमिनार, कार्यक्रम तथा प्रदर्शनियां सम्मिलित हैं।

लाइफ अभियान क्या है?

- **लाइफ अभियान के बारे में:** LiFE का विचार एक पर्यावरण-सचेत जीवन शैली को बढ़ावा देता है जो 'मस्तिष्क एवं विनाशकारी उपभोग' के स्थान पर 'सावधान एवं जानबूझकर उपयोग' पर केंद्रित है।
- LiFE अभियान मानव की स्थायी जीवन शैली सुनिश्चित करने और ग्रह की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक पहल है।
- LiFE अभियान वैश्विक पहल का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री द्वारा काॅप 26, ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में किया गया था।
- **दृष्टिकोण:** LiFE का दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली व्यतीत करनी है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो एवं इसे हानि न पहुंचाएं।
- ऐसी जीवन शैली व्यतीत करने वालों को "प्रो-प्लैनेट पीपल" कहा जाता है।
- **मिशन:** मिशन लाइफ अतीत का अनुकरण करता है, वर्तमान में संचालित होता है एवं भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है।
- LiFE पहल हमारे जीवन में बुनी गई अल्पीकरण, पुन: उपयोग एवं पुनर्चक्रण की अवधारणा का उपयोग करती है।
- वृत्तीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) भारत की संस्कृति एवं जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रहा है तथा LiFE पहल का मिशन इस वृत्तीय अर्थव्यवस्था का उपयोग करना है।

पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया क्या है?
• पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में गठित एक सोसाइटी है, एवं प्रमुख सीपीएसई द्वारा समर्थित है।
• फाउंडेशन पक्षपोषण एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में सम्मिलित है, जो विकसित ऊर्जा परिदृश्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।

ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन

हाल ही में, प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने, विशेष रूप से लक्षद्वीप के लोगों को मिनिकॉय, थुंडी बीच एवं कदमत बीच को ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में स्थान सुरक्षित करने के लिए शुभकामनाएं दी है।

- यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या को बारह (12) तक ले जाता है।
- उन्होंने भारत की उल्लेखनीय तट रेखा पर भी प्रकाश डाला एवं तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयों के उत्साह की सराहना की।

भारत में ब्लू बीच की सूची

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	ब्लू बीच
गुजरात	शिवराजपुर
कर्नाटक	कासरकोड एवं पदुबिद्री
केरल	कप्पड
आंध्र प्रदेश	रुशिकोंदा
ओडिशा	गोल्डन बीच
तमिलनाडु	कोवलम
अंडमान एवं निकोबार	राधानगर
पुडुचेरी	ईडन
दीव	घोघला
लक्षद्वीप	थुंडी बीच, कदमत बीच

थुंडी बीच एवं कदमत बीच के बारे में मुख्य बिंदु

- **थुंडी बीच:** यह लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सर्वाधिक प्राचीन एवं सुरम्य समुद्र तटों में से एक है जहां सफेद रेत लैगून के फिरोजी रंग के नीले जल से आवृत है।
  - यह तैराकों एवं पर्यटकों के लिए समान रूप से स्वर्ग है।
- **कदमत बीच:** यह विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय है जो पानी के खेल (वाटर स्पोर्ट) के लिए द्वीप पर आते हैं।
  - यह मोती जैसे सफेद रेत, लैगून के नीले पानी, इसकी मध्यम जलवायु एवं मैत्रीपूर्ण स्थानीय लोगों के साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है।
- दोनों समुद्र तट पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन (फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन/एफईई) द्वारा अनिवार्य सभी 33 मानदंडों का अनुपालन करते हैं।
- दोनों समुद्र तटों में समुद्र तट की स्वच्छता एवं रखरखाव के लिए तथा तैराकों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए अभिहित कर्मचारी हैं।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है?

- **पृष्ठभूमि:**
  - **1985:** फ्रांस में ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ।
  - **1987:** इसे एफईई को प्रस्तुत किया गया तथा यह यूरोपीय ब्लू फ्लैग बन गया।
  - **2001:** दक्षिण अफ्रीका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाला यूरोप के बाहर का प्रथम देश बना एवं इसके कारण इसका नाम बदल कर- इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग हो गया।
- **ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में:** ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल है जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (एफईई), डेनमार्क नामक एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा सम्मानित किया जाता है।
  - ब्लू फ्लैग मान्यता 33 मापदंडों पर विचार करने के पश्चात आईयूसीएन, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूएनईपी एवं यूनेस्को के सदस्यों वाली जूरी द्वारा प्रदान की जाती है।
- **प्रयुक्त मापदंड:** प्रमाणन 33 मापदंडों पर आधारित होता है, जिसे बाद में 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वे हैं-
  1. पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना
  2. स्नान के पानी की गुणवत्ता
  3. पर्यावरण प्रबंधन
  4. समुद्र तटों पर संरक्षण एवं सुरक्षा सेवाएं
- **वैश्विक परिदृश्य:** संपूर्ण विश्व में 4000 से अधिक ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तट हैं जिनमें स्पेन इस प्रमाणीकरण के साथ प्रति देश समुद्र तटों की संख्या में अग्रणी है।

- **महत्व:**
  - स्वच्छ एवं सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करना: ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तटों को पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे के साथ-साथ स्वच्छ एवं स्नान हेतु स्वास्थ्यकर जल उपलब्ध कराना चाहिए।
  - यह असमानता, असादृष्य, बेरोजगारी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय खतरों, प्रदूषण के साथ-साथ सामान्य पर्यावरणीय क्षति के विरुद्ध भी पक्ष समर्थन करता है।

पराली जलाने पर सीएक्यूएम बैठक

एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में पराली जलाने से निपटने के लिए समीक्षा बैठकें की हैं।

- एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य विशिष्ट कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए हैं।
- यह इस वर्ष पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के आलोक में आया है।

पराली जलाने पर सीएक्यूएम

- उपग्रह सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) डेटा के अनुसार, 24/10/2022 तक, पंजाब में मात्र 39% बोए गए क्षेत्र की कटाई की गई थी एवं इस प्रकार आग लगने की घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है।
- सीएक्यूएम के लिए इसरो द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, 15 सितंबर, 2022 से 26 अक्टूबर, 2022 की अवधि के लिए, पंजाब में धान के अवशेष जलाने की कुल घटनाएं पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6,463 की तुलना में 7036 हैं।
- सीएक्यूएम ने आगे कहा कि मौजूदा धान कटाई के मौसम के दौरान लगभग 70% खेत में आग मात्र छह जिलों अर्थात् अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, पटियाला एवं तरनतारन से सामने आई थी।
  - पंजाब में कुल 7,036 घटनाओं की तुलना में इन जिलों में 4,899 मामले घटित हुए हैं।
  - इन पारंपरिक छह हॉटस्पॉट जिलों में भी इसी अवधि के लिए पिछले वर्ष के दौरान आग लगने की कुल घटनाओं का लगभग 65% हिस्सा था।

पंजाब के लिए सीएक्यूएम व्यापक कार्य योजना के प्रमुख स्तंभ

- अन्य फसलों के लिए विविधीकरण, कम पुआल उत्पन्न करने वाले एवं शीघ्र पकने वाली धान की किस्मों के लिए विविधीकरण;
- यथा स्थाने (इन-सीटू) जैव-अपघटक अनुप्रयोग सहित फसल अवशेष प्रबंधन
- पर स्थाने (एक्स-सीटू) फसल अवशेष प्रबंधन;
- आईईसी गतिविधियां;
- निगरानी तथा प्रभावी प्रवर्तन।

सीएक्यूएम बैठक 2022 में उठाए गए कदम

बैठकों के दौरान निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों एवं कार्रवाई बिंदुओं पर बल दिया गया:

- 2022-23 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन (क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट/सीआरएम) योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर/एमओएएफडब्ल्यू) द्वारा निधियों के किए गए आवंटन के माध्यम से अतिरिक्त कृषि मशीनरी की त्वरित खरीद।
- कस्टम हायरिंग सेंटरों एवं सहकारी समितियों में उपलब्ध मशीनरी का मानचित्रण।
- उपलब्ध सीआरएम यंत्रों तथा उपकरणों का इष्टतम उपयोग जिसमें गांव/संकुल स्तर पर सांतरण कटाई कार्यक्रम शामिल है।
- स्वस्थाने प्रबंधन उपायों के पूरक के लिए जैव-अपघटक अनुप्रयोग का विस्तार करना।
- परस्थाने की दिशा में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा
- पराली जलाने के विरुद्ध अभियान एवं
- आईईसी गतिविधियों को और गहन करना।
- निगरानी और प्रवर्तन कार्यों को तेज करना।

एनसीआर एवं आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग- प्रमुख बिंदु

- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के बारे में:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट/CAQM) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपिटल रीजन/एनसीआर) एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
  - इससे पूर्व, आयोग का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2021 की घोषणा के माध्यम से किया गया था।
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अधिनियम 2021 ने 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण (एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रीवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी/EPCA) को भी भंग कर दिया।
- **अधिदेश:** वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित सभी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, अभिनिर्धारण एवं समाधान को सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु।
- **कार्य क्षेत्र:** एनसीआर से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्रों आसपास के क्षेत्रों को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां प्रदूषण का कोई भी स्रोत एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **संरचना:** एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में निम्न शामिल होंगे:
  1. एक अध्यक्ष,
  2. सदस्य-सचिव एवं मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी,
  3. पूर्णकालिक सदस्य के रूप में केंद्र सरकार से वर्तमान में सेवारत या पूर्व संयुक्त सचिव,
  4. वायु प्रदूषण से संबंधित विशेषज्ञता वाले तीन स्वतंत्र तकनीकी सदस्य, तथा
  5. गैर सरकारी संगठनों से तीन सदस्य।
- **आयोग में पदेन सदस्य भी शामिल होंगे:**
  - केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों की ओर से तथा
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/सीपीसीबी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा नीति आयोग के तकनीकी सदस्य।
  - कुछ मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकते हैं।
- **कार्यकाल:** आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा।
- **नियुक्ति के लिए चयन समिति:** आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की संस्तुति करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाएगी। समिति में शामिल होंगे-
  - **अध्यक्ष-** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री।
  - **समिति के सदस्यों में शामिल होंगे-**
    - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,
    - सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री,
    - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, तथा
    - कैबिनेट सचिव।
  - **उप-समितियां:** एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निम्नलिखित विषयों पर उप-समितियां बनाने की आवश्यकता है-
    - आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में निगरानी तथा अभिनिर्धारण उप-समिति।
    - आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सुरक्षा एवं प्रवर्तन उप-समिति, तथा
    - आयोग के एक तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में अनुसंधान तथा विकास उप-समिति।

जलदूत ऐप

हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नई दिल्ली में एक समारोह में "जलदूत ऐप तथा जलदूत ऐप ई-विवरणिका" का विमोचन किया।

जलदूत ऐप

- **जलदूत ऐप के बारे में:** एक गांव में चयनित 2-3 कुओं के जल स्तर को प्रग्रहित करने हेतु देश भर में उपयोग किए जाने के लिए जलदूत एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
- **डिजाइन तथा विकास:** जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

कार्यान्वयन

- खुले कुओं में जल स्तर की स्वतः (मैनुअल) निगरानी वर्ष में दो बार, 1 मई से 31 मई तक मानसून पूर्व (प्री-मानसून) जल स्तर के रूप में एवं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक उसी कुएं के लिए मानसून पश्चात के स्तर के लिए मापी जाएगी।
- जलदूत अर्थात जल स्तर मापने के लिए नियुक्त अधिकारी भी माप के प्रत्येक अवसर पर एप के माध्यम से जियो-टैग की गई तस्वीरें अवश्य अपलोड करें।
- जलदूत मोबाइल ऐप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों में कार्य करेगा।
  - अतः इंटरनेट संपर्क के बिना भी जल स्तर को प्रग्रहित किया जा सकता है एवं प्रग्रहित किए गए डेटा को मोबाइल में स्टोर किया जाएगा तथा जब मोबाइल कनेक्टिविटी क्षेत्र में आएगा, तो डेटा केंद्रीय सर्वर के साथ समक्रमिक (सिंक्रोनाइज) हो जाएगा।
- जलदूत द्वारा इनपुट किए जाने वाले नियमित डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (नेशनल वॉटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर/एनडब्ल्यूआईसी) के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसका उपयोग विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न उपयोगी रिपोर्टों के विश्लेषण एवं प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है।
- जल स्तर रिपोर्ट, मानसून रिपोर्ट एवं पंजीकृत उपयोगकर्ता रिपोर्ट जलदूत वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

जलदूत ऐप की आवश्यकता

- जलसंभर (वाटरशेड) विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास एवं नवीनीकरण, वर्षा जल संचयन जैसी पहलों को प्रोत्साहित करने के बावजूद, देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल स्तर कम हो गया है।
- देश के कई हिस्सों में भूजल का निष्कासन महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है एवं इस समस्या का समाधान करना प्राथमिकता है। इसलिए देश भर में जल स्तर के स्तर का मापन एवं अवलोकन आवश्यक हो गया है।

जलदूत ऐप का महत्व

- विमोचित किए गए नवीन ऐप के साथ, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों एवं ग्राम पंचायतों को भूजल स्तर के आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने तथा विश्लेषण करने हेतु केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस में इसे आत्मसात करने की दिशा में स्वयं को सम्मिलित करना चाहिए।
- जलदूत ऐप संपूर्ण देश में जल स्तर के अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा तथा परिणामी डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं के लिए किया जा सकता है।

मिशन लाइफ

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव, एच.ई. श्री एंटोनियो गुटेरेस के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया तथा बाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, केवडिया, गुजरात में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया।

- संयुक्त राष्ट्र के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 राष्ट्रों के प्रमुखों द्वारा मिशन लाइफ के शुभारंभ पर बधाई वीडियो संदेश भी प्रसारित किए गए।

LiFE की अवधारणा कैसे विकसित हुई?

- 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में कॉप 26 में प्रधानमंत्री द्वारा LiFE की अवधारणा पेश की गई थी।
- 5 जून 2022 को, विश्व पर्यावरण दिवस पर, भारत ने LiFE वैश्विक अभियान (ग्लोबल मूवमेंट) प्रारंभ करके, दुनिया भर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं स्टार्ट-अप्स को विशिष्ट एवं वैज्ञानिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें सामूहिक कार्रवाई की संपूर्ण क्षमता का उपयोग पर्यावरण संकट से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - LiFE आंदोलन को वैश्विक नेताओं से रिकॉर्ड समर्थन प्राप्त हुआ।

लाइफ़ मूवमेंट क्या है?

- **लाइफ अभियान के बारे में:** LiFE का विचार एक पर्यावरण-सचेत जीवन शैली को बढ़ावा देता है जो 'मस्तिष्क एवं विनाशकारी उपभोग' के स्थान पर 'सावधान एवं जानबूझकर उपयोग' पर केंद्रित है।
  - LiFE अभियान मानव की स्थायी जीवन शैली सुनिश्चित करने और ग्रह की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक पहल है।
  - LiFE अभियान वैश्विक पहल का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कॉप 26, ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में किया गया था।
- **दृष्टिकोण:** LiFE का दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली व्यतीत करनी है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो एवं इसे हानि न पहुंचाएं।
  - ऐसी जीवन शैली व्यतीत करने वालों को "प्रो-प्लैनेट पीपल" कहा जाता है।
- **मिशन:** मिशन लाइफ अतीत का अनुकरण करता है, वर्तमान में संचालित होता है एवं भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - LiFE पहल हमारे जीवन में बुनी गई अल्पीकरण, पुन: उपयोग एवं पुनर्चक्रण की अवधारणा का उपयोग करती है।
  - वृत्तीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) भारत की संस्कृति एवं जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रहा है तथा LiFE पहल का मिशन इस वृत्तीय अर्थव्यवस्था का उपयोग करना है।

मिशन लाइफ क्या है?
• मिशन लाइफ, मिशन-मोड, वैज्ञानिक एवं गौर करने योग्य कार्यक्रम के माध्यम से लाइफ (LiFE) के विचारों एवं आदर्शों पर कार्य करेगा एवं जलवायु परिवर्तन पर बात करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।
• मिशन लाइफ को 2022 से 2027 की अवधि में पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्रवाई करने हेतु कम से कम एक अरब भारतीयों तथा अन्य वैश्विक नागरिकों को अभिनियोजित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
• भारत के भीतर, 2028 तक सभी गांवों एवं शहरी स्थानीय निकायों के कम से कम 80% का पर्यावरण के अनुकूल बनने का लक्ष्य है।

मिशन लाइफ की त्रि-आयामी रणनीति

मिशन लाइफ का उद्देश्य धारणीयता के प्रति हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए त्रि-आयामी रणनीति का अनुसरण करना है।

- सबसे पहले व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन (मांग) में सरल किंतु प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है;
- दूसरा, उद्योगों एवं बाजारों को बदलती मांग (आपूर्ति) के लिए तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना तथा;
- तीसरा है सतत उपभोग एवं उत्पादन (नीति) दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार तथा औद्योगिक नीति को प्रभावित करना।

पीयूसी प्रमाणपत्र

25 अक्टूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल/पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना मोटर चालक दिल्ली में ईंधन नहीं खरीद पाएंगे।

पीयूसी प्रमाणपत्र क्या है?
• पीयूसी प्रमाणपत्र एक दस्तावेज है जिसे मोटर वाहन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वर्दी में एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
• यदि कोई वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करते हुए पाया जाता है तो ये प्रमाण पत्र जारी करते हैं।
• मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
• पीयूसी सर्टिफिकेट में वाहन का लाइसेंस प्लेट नंबर, पीयूसी टेस्ट रीडिंग, जिस तिथि को पीयूसी परीक्षण किया गया था एवं समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) जैसी जानकारी होती है।

पीयूसी प्रमाणपत्र: अनुपालन नियम

- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, प्रत्येक मोटर वाहन को उसके प्रथम पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र ले जाना आवश्यक है।
- इसमें भारत स्टेज अथवा बीएस-I / बीएस-II / बीएस-III / बीएस-IV / बीएस-VI के साथ-साथ सीएनजी / एलपीजी पर चलने वाले वाहन सम्मिलित हैं।
- यद्यपि, चार पहिया बीएस-IV अनुपालन वाले वाहनों की वैधता एक वर्ष तथा अन्य वाहनों के लिए तीन माह है।

प्रदूषण नियंत्रण जांच किस प्रकार की जाती है?

- प्रदूषण जांच के लिए कम्प्यूटरीकृत मॉडल, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा विकसित किया गया था।
- एक गैस विश्लेषक एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसमें एक कैमरा एवं एक प्रिंटर जुड़ा होता है।
- गैस विश्लेषक उत्सर्जन मूल्य को अभिलेखित करता है एवं सीधे कंप्यूटर को भेजता है, जबकि कैमरा वाहन की लाइसेंस प्लेट को कैप्चर करता है।
- इसके बाद, यदि उत्सर्जन मान सीमा के भीतर हैं, तो एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

पीयूसी प्रमाणपत्र:

- संपूर्ण विश्व में वायु प्रदूषण में वाहनों (ऑटोमोबाइल) से निकलने वाले उत्सर्जन का प्रमुख योगदान है।
- वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएं में निम्नलिखित प्रदूषक होते हैं:

1. हाइड्रोकार्बन (HC)
2. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
3. नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x)
4. कणिकीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर/PM)
5. सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)
6. कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)
7. नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)

सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन (एसएमडीएस)

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 10-12 अक्टूबर, 2022 तक लेह, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाले सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन-XI, (SMDS-XI) के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट (SMDS)

- **सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन (सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट/एसएमडीएस) के बारे में:** सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन (SMDS) एकीकृत पर्वतीय पहल (इंटीग्रेटेड माउंटेन

इनिशिएटिव/IMI) का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है, जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र (इंडियन हिमालयन रीजन/IHR) में कार्यरत एक नागरिक समाज के नेतृत्व वाला मंच है।
  - भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में 10 पर्वतीय राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश एवं चार पहाड़ी जिले शामिल हैं।
  - प्रत्येक वर्ष 3-5 प्रमुख विषयों पर तत्काल ध्यान आकर्षित करने एवं पर्वतों तथा पहाड़ियों के लिए प्रासंगिक चर्चा और बहस के लिए उठाए जाते हैं।
  - इस अभ्यास से निकलने वाले निष्कर्षों एवं संस्तुतियों को बाद में कार्रवाई योग्य निर्गम (आउटपुट) के लिए आईएमआई द्वारा अनुकरण किया जाता है।
- **घटक:** केंद्रीय आयोजन के अतिरिक्त, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन (एसएमडीएस) के दो अभिन्न घटकों में सम्मिलित हैं-
  - माउंटेन विधि निर्माता बैठक (माउंटेन लेजिस्लेटर्स सम्मिट/एमएलएम) एवं
  - भारतीय हिमालयी युवा सम्मेलन (इंडियन हिमालयन यूथ समिट)
- **थीम:** SMDS-XI की थीम 'सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का दोहन' (हार्नेसिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट) है।
- **फोकस क्षेत्र:** एसएमडीएस 2022 सम्मेलन का मुख्य फोकस पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है, जबकि जलवायु एवं सामाजिक-पारिस्थितिक लोचशीलता तथा धारणीयता के निर्माण में इसके सकारात्मक योगदान का उपयोग करना है।
- **भागीदारी:** प्रत्येक सम्मेलन में 200-300 प्रतिभागी उपस्थित थे, जो नीति निर्माताओं, प्रख्यात वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रतिनिधियों, विधि निर्माताओं इत्यादि के विविध मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते थे।

विगत सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन

एसएमडीएस	विषयगत फोकस
एसएमडीएस- I (2011), नैनीताल	जलविद्युत, जलवायु परिवर्तन के तहत अनुकूलन उपाय, ग्रामीण पर्यटन, सामुदायिक वानिकी
एसएमडीएस-II (2012), गंगटोक	जल, वन एवं समुदाय, पर्वतीय आजीविका
एसएमडीएस-III (2013), कोहिमा	वन, जल: नदियाँ, धाराएं तथा जलप्रपात, पर्वतीय कृषि
एसएमडीएस-IV (2015), ईटानगर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पर्वतीय कृषि, वन
एसएमडीएस-V (2016), लेह	जल सुरक्षा,पर्वतों में विकास के लिए कौशल
एसएमडीएस-VI (2017), आइजोल	जलवायु परिवर्तन एवं सतत पर्वतीय शहर
एसएमडीएस-VII (2018), सोलन	भारतीय हिमालयी क्षेत्र में किसानों की अगली पीढ़ी का कल्याण
एसएमडीएस-VIII (2019), शिलांग	युवाओं के लिए आजीविका तथा उद्यमिता

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

चंद्रयान -2

इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान -2 मिशन पर क्लास उपकरण (चंद्रयान -2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर/CLASS) का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सोडियम के वैश्विक वितरण का मापन किया है।

- एक्स-रे प्रतिदीप्तिशील वर्ण क्रम (फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा) का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सोडियम का वैश्विक स्तर पर माप प्रदान करने का यह प्रथम प्रयास है।

चंद्रयान -2

- चंद्रयान -2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर तथा रोवर सम्मिलित थे, जो सभी चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित थे।
- ऑर्बिटर चंद्रमा को 100 किलोमीटर की कक्षा से देखेगा, जबकि लैंडर एवं रोवर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने हेतु प्रथक किया जाना था।
- इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रदूत विक्रम साराभाई के नाम पर एवं रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान के नाम पर रखा था, जिसका अर्थ ज्ञान होता है।
- मिशन का ऑर्बिटर भाग सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसमें आठ उपकरण हैं।
- इनमें से प्रत्येक उपकरण ने व्यापक मात्रा में डेटा का उत्पादन किया है जो चंद्रमा पर नवीन रोशनी डालता है तथा एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसका उपयोग आगे के अन्वेषण में किया जा सकता है।

एक्स-रे प्रतिदीप्ति

- इसका उपयोग आमतौर पर गैर-विनाशकारी रीति से सामग्री की संरचना का अध्ययन करने हेतु किया जाता है।
- जब सूर्य पर सौर ज्वाला (प्रदीप्ति) समाप्त हो जाती है, तो एक्स-रे विकिरण की एक विशाल मात्रा चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे एक्स-रे प्रतिदीप्ति प्रारंभ होती है।
- क्लास उपकरण चंद्रमा से आने वाले एक्स-रे फोटॉन की ऊर्जा को मापता है एवं कुल संख्या की गणना करता है।
- फोटॉन की ऊर्जा परमाणु को इंगित करती है)उदाहरण के लिए, सोडियम परमाणु 1.04 किलो वाट के एक्स-रे फोटॉन उत्सर्जित करते हैं) और तीव्रता (इंटेंसिटी) कितने परमाणु मौजूद हैं इसका एक मापन है।

चंद्रमा पर सोडियम की उपस्थिति: महत्व

- सोडियम का उपयोग चंद्रमा के अस्थिर इतिहास के अनुरेखक के रूप में किया जा सकता है।
- जब पृथ्वी से तुलना की जाती है, चंद्रमा पर सोडियम जैसे वाष्पशील तत्वों की अत्यधिक कमी है।
- आज चंद्रमा पर वाष्पशील पदार्थों की मात्रा का उपयोग पृथ्वी-चंद्रमा तंत्र के गठन परिदृश्यों का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण खनिज

यूक्रेन संकट के मद्देनजर तेल एवं गैस के मूल्य निर्धारण तथा उपलब्धता पर चिंताएं ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक नीतिगत बहसों को बढ़ावा दे रही हैं।

- स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए लोचदार एवं स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला निर्मित करने हेतु लिथियम, कोबाल्ट, निकेल तथा दुर्लभ मृदा धातुओं जैसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?
• महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक- युग की आवश्यक प्रौद्योगिकियों के निर्माण खंड हैं तथा आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के जोखिम में हैं।
• इन खनिजों का उपयोग अब मोबाइल फोन, कंप्यूटर के निर्माण से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा हरित प्रौद्योगिकी जैसे सौर पैनल एवं पवन टरबाइन बनाने से लेकर प्रत्येक स्थान पर किया जाता है।
• अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा रणनीतिक कारणों के आधार पर, विभिन्न देश अपनी सूची निर्मित करते हैं, यद्यपि ऐसी सूचियों में अधिकांशतः ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट एवं सिलिकॉन सम्मिलित होते हैं जो कंप्यूटर चिप्स, सौर पैनल तथा बैटरी निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण खनिज है।

गंभीर स्थिति

- जैसे-जैसे दुनिया भर के देश स्वच्छ ऊर्जा एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अपने संक्रमण को बढ़ाते हैं, ये महत्वपूर्ण संसाधन उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं जो इस परिवर्तन को प्रेरित करते हैं।
- कोई भी आपूर्ति आघात महत्वपूर्ण खनिजों की खरीद के लिए दूसरों पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था एवं रणनीतिक स्वायत्तता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है किंतु दुर्लभ उपलब्धता, बढ़ती मांग एवं जटिल प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के कारण ये आपूर्ति जोखिम अस्तित्व में हैं।
- कई बार, शत्रुतापूर्ण शासन व्यवस्था या राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों के कारण जटिल आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है।
- वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विश्व तेजी से जीवाश्म ईंधन से खनिज-गहन ऊर्जा प्रणाली में स्थानांतरित हो रहा है।

दुर्लभ मृदा धातुएं क्या हैं?

- दुर्लभ मृदा तत्व (रेयर अर्थ मेटल्स/आरईई) सत्रह धात्विक तत्वों का एक समूह है जिसमें आवर्त सारणी पर पंद्रह लैंथेनाइड्स के साथ स्कैंडियम एवं एट्रियम शामिल हैं।
- दुर्लभ मृदा तत्व अनेक उच्च तकनीक वाले उपकरणों का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।
- उनके पास अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है, विशेष रूप से उच्च तकनीक वाले उपभोक्ता उत्पाद, जैसे सेलुलर टेलीफोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहन तथा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर एवं टीवी।
- महत्वपूर्ण रक्षा अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, मार्गदर्शन प्रणाली, लेजर तथा रडार एवं सोनार सिस्टम सम्मिलित हैं।
- नियोडिमियम, प्रेजोडायमियम एवं डिस्प्रोसियम जैसे नामों के साथ दुर्लभ मृदा खनिज, भविष्य के उद्योगों, जैसे कि पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक कार में उपयोग किए जाने वाले चुंबकों (मैग्नेट) के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण खनिज: प्राप्ति में चुनौतियां

- निक्षेप प्रायः उन क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं जो भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील होते हैं अथवा व्यापारिक सुगमता के दृष्टिकोण से खराब प्रदर्शन करते हैं।
- वर्तमान उत्पादन का एक हिस्सा भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, चीन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश एवं अपने बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से कोबाल्ट खनन में व्यापक प्रभाव रखता है।
- आगामी मांग को पूरा करने के लिए अन्य देशों के क्रेताओं द्वारा भविष्य में खदान के उत्पादन को प्रायः उदग्राहण (ऑफ टेक) समझौतों में जोड़ा जाता है।

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)

- रणनीतिक खनिजों की सोर्सिंग के लिए, भारत सरकार ने घरेलू बाजार के लिए खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने हेतु 2019 में खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) की स्थापना की।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यमों नामत: नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड (एमईसीएल) की भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामत: खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) की स्थापना की गई।
- काबिल के गठन का उद्देश्य भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जबकि काबिल राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, यह आयात प्रतिस्थापन के समग्र उद्देश्य को साकार करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

काबिल के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद (काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर/सीईईडब्ल्यू) पर आधारित सुझाव

- घरेलू उद्योग की खनिज आवश्यकताओं का पता लगाएं।
- स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों में परिनियोजन एवं स्वदेशी विनिर्माण के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ पांच वर्ष के रोड मैप घरेलू निवेशकों को दृश्यता प्रदान करेंगे।
- यह निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग के साथ समन्वय करें कि इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा रणनीतिक अंतःक्षेप कहाँ आवश्यक होगा।
- KABIL वैश्विक आपूर्ति पक्ष के विकास पर दृष्टि रखने हेतु अपनी बाजार खुफिया क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए उद्योग जगत के साथ सहयोग कर सकता है।
- यदि अनुकूल निवेश के अवसर मौजूद नहीं हैं तो काबिल को भविष्य के उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक खनिज आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यह घरेलू आवश्यकताओं के लिए खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति को एकत्रित कर सकता है एवं घरेलू उद्योग के साथ एक के बाद एक विक्रय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। इतने व्यापक स्तर पर केंद्रीकृत राष्ट्रीय अधिप्राप्ति अधिमान्य शर्तों पर की जा सकती है।
- सरकार को भू-सामरिक साझेदारों के साथ संयुक्त रूप से खनन परिसंपत्तियों में निवेश करना चाहिए।
- KABIL को खनन क्षेत्राधिकार में इक्विटी निवेश करना चाहिए जिसे निजी क्षेत्र के निवेशक अत्यधिक जोखिम युक्त समझते हों।
- सोडियम आयन बैटरी जैसी प्रौद्योगिकियां भारत की सीमाओं से परे खनिजों की सोर्सिंग के लिए आवश्यकताओं को कम कर सकती हैं।
- शहरी खनन पर नीतियों का विकास करना, जिसका उद्देश्य उन खनिज आदानों का पुनर्चक्रण करना है, जिन्होंने अपना उपयोगी जीवन पूरा कर लिया है। क्या केयह अंतरराष्ट्रीय सोर्सिंग पर निर्भरता को कम करने में सहायता कर सकता है।

निष्कर्ष

यूक्रेन के अलावा, ह्रासोन्मुख बहुपक्षीय सहयोग की पृष्ठभूमि में अन्य संभावित भू-राजनीतिक फ्लैशप्वाइंट भी मौजूद हैं। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इन जोखिमों को कम करने हेतु त्वरित एवं निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए।

जीएसएलवी एमके-III

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन/इसरो) अंतरिक्ष में वनवेब द्वारा एक ब्रॉडबैंड समूह के एक भाग के रूप में 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की तैयारी के अंतिम चरण में है।

- यह प्रक्षेपण जीएसएलवी एमके 3 रॉकेट की प्रथम व्यावसायिक उड़ान होगी।
- 36 उपग्रहों को भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल/GSLV) एमके-III द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा।
- इसरो ने जीएसएलवी एमके-III से प्रक्षेपण यान को एलवीएम-3 के रूप में नया स्वरूप दिया है। जबकि प्रक्षेपण यान का नाम बदलने की प्रथा असामान्य नहीं है, यह भारत के लिए नया है तथा एलवीएम-3 का तात्पर्य लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है।

इसरो ने जीएसएलवी एमके-III को एलवीएम में क्यों बदला है?

- जीएसएलवी से एलवीएम में यान का नाम बदलने के पीछे एकमात्र कारण यह है कि रॉकेट भू-तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रहों को तैनात नहीं करेगा। वनवेब उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा (लो अर्थ आर्बिट/एलईओ) में 1,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्य करते हैं।
- दूसरी ओर, भू-तुल्यकालिक कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 35,786 किलोमीटर ऊपर अवस्थित है। यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की अवधि वाली पृथ्वी की एक पुरःक्रमित, निम्न झुकाव वाली कक्षा है।
- भू-तुल्यकालिक कक्षा में एक अंतरिक्ष यान एक स्थिर देशांतर पर पृथ्वी के ऊपर बना हुआ प्रतीत होता है, यद्यपि यह उत्तर तथा दक्षिण की ओर विचरण करता हुआ प्रतीत हो सकता है।
- जीएसएलवी एमके-III को दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर एवं एक लिक्विड कोर स्टेज के साथ लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों को तैनात करने हेतु समनुरूप किया गया है जिन्हें दूसरे प्रक्षेपण पैड पर एकीकृत किया गया है।

जीएसएलवी एमके 3 किस तरह का रॉकेट है?

- जीएसएलवी एमके3 रॉकेट इसरो द्वारा विकसित तीन चरणों वाला वजनी प्रक्षेपण यान है।
- वाहन में दो ठोस स्ट्रैप-ऑन मोटर्स (ठोस ईंधन का दहन होता है), एक कोर-स्टेज तरल बूस्टर (तरल ईंधन के संयोजन का दहन करता है) एवं एक निम्नतापी (क्रायोजिनिक) ऊपरी चरण (तरल ऑक्सीजन के साथ तरल हाइड्रोजन का दहन करता है)।
- जीएसएलवी एमके III को चार टन वर्ग के उपग्रहों को भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट/GTO) अथवा लगभग 10 टन लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि इसके पूर्ववर्ती जीएसएलवी एमके II की क्षमता से लगभग दोगुना है।

व्यावसायिक प्रक्षेपण के लिए यह पीएसएलवी के स्थान पर जीएसएलवी का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- अब तक, इसरो ने वाणिज्यिक प्रक्षेपण हेतु अपने पीएसएलवी रॉकेट (जो 1.75 टन तक लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है) पर पूर्ण रुप से विश्वास किया है।
- इस सूची में जीएसएलवी एमके3 को सम्मिलित करने का अर्थ यह होगा कि भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रभाव डाल सकता है एवं इस तरह वजनी ग्राहक उपग्रहों को प्रक्षेपित करके राजस्व अर्जित कर सकता है।
- जबकि भारत के जीएसएलवी एमके3 ने आज तक सभी चार भारतीय राष्ट्रीय मिशनों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, यह प्रथम बार होगा जब रॉकेट ग्राहक उपग्रहों को सशुल्क अंतरिक्ष में ले जाने की सेवा का प्रदर्शन करेगा।

इसरो के प्रक्षेपण यान

- इसरो वर्तमान में दो प्रक्षेपण यानों - पीएसएलवी (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) एवं जीएलएसवी (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) का उपयोग करता है।
- किंतु इनके भी अनेक संस्करण हैं। पीएसएलवी इसरो का सर्वाधिक विश्वसनीय रॉकेट है, जिसके 54 प्रयासों में से 52 सफल प्रक्षेपण हुए हैं।
- जीएसएलवी बहुत अधिक शक्तिशाली रॉकेट हैं एवं भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में सुदूर तक ले जाने के लिए निर्देशित हैं।
- अब तक, इसरो ने मिशन के लिए 18 जीएसएलवी रॉकेटों का उपयोग किया है - इनमें से चार विफल रहे।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने विशेष रूप से छोटे एवं सूक्ष्म उपग्रहों के लिए एक प्रक्षेपण यान भी विकसित किया है - लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, अथवा एसएसएलवी - जिसका उद्देश्य ऐसे उपग्रह प्रक्षेपणों की वैश्विक मांग में वृद्धि करना है।

भारत का डार्क स्काई रिजर्व

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के प्रथम डार्क स्काई रिजर्व की मेजबानी करेगा जो आगामी तीन माह में हनले क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।

- डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के उच्च उन्नतांश वाले चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक भाग के रूप में निर्मित किया जा रहा है।

अंध आकाश अभ्यारण्य (डार्क स्काई रिजर्व/डीएसआर) क्या है?

- डार्क स्काई रिजर्व की परिभाषा: इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन (आईडीएसए) एक अंतरराष्ट्रीय अंध आकाश अभ्यारण्य (डार्क स्काई रिजर्व/आईडीएसआर) को "पर्याप्त आकार की सार्वजनिक अथवा निजी भूमि (कम से कम 700 किमी^{2}, या लगभग 173,000 एकड़) के रूप में परिभाषित करता है जिसमें तारों से पूर्ण रात तथा रात्रि का वातावरण की असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता होती है एवं जो विशेष रूप से अपनी वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विरासत एवं/या सार्वजनिक आनंद हेतु संरक्षित है।
- एक डार्क स्काई रिजर्व के लिए एक "कोर" क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसमें बिना किसी प्रकाश प्रदूषण के स्पष्ट आकाश उपलब्ध हो, जो दूरबीनों को अपने प्राकृतिक अंधकार में आकाश को देखने में सक्षम बना सके।

भारत का डार्क स्काई रिजर्व: आदर्श स्थल

- लद्दाख अपने विशाल शुष्क क्षेत्र, उच्च उन्नतांश एवं विरल आबादी, अत्यधिक ठंड तथा न्यूनतम तापमान शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने के कारण लंबी अवधि की वेधशालाओं एवं अंध-आकाश स्थलों के लिए आदर्श है।
- चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, डार्क स्काई रिजर्व (डीएसआर) स्थल लगभग 4,500 मीटर पर अवस्थित है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा बेंगलुरु में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स/IIA) संस्थान के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) पूर्व से ही हानले, लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला (इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी/IAO) परिसर का प्रबंधन करती है।

भारत का डार्क स्काई रिजर्व: अंतर्राष्ट्रीय मानक

- इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन की मान्यता: आईडीएसए दुनिया भर में डार्क-स्काई क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में पहचान करता है तथा मान्यता प्रदान करता है। क्यूबेक में मोंट मेगेंटिक वेधशाला ऐसा प्रथम स्थल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है (2007 में)।
- व्यक्ति अथवा समूह इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन (IDSA) के प्रमाणन के लिए किसी स्थल को नामांकित कर सकते हैं। पांच नामित श्रेणियां हैं, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय अंध आकाश उद्यान (इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क), समुदाय, संरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य तथा शहरी रात्रि आकाश स्थल (अर्बन नाइट स्काई प्लेस)।
- प्रमाणन प्रक्रिया एक स्थल के समान है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्रदान किया जा रहा है अथवा जैवमंडल निचय (बायोस्फीयर रिजर्व) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- आईडीएसए ने कहा कि 2001 तथा जनवरी 2022 के मध्य, वैश्विक स्तर पर 195 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- आईडीएसए ने यूटाह में प्राकृतिक पुलों के राष्ट्रीय स्मारक को विश्व के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता प्रदान की।
- 2015 में, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन (IDSA) ने "डार्क स्काई सैंक्चुअरी" शब्द की शुरुआत की एवं उत्तरी चिली की एल्क्वी घाटी को विश्व के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई सैंक्चुअरी के रूप में नामित किया। गैब्रिएला मिस्ट्रल डार्क स्काई सैंक्चुअरी का नाम चिली के एक कवि के नाम पर रखा गया है।

भारत का डार्क स्काई रिजर्व: भारत का उद्देश्य

- प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व का प्राथमिक उद्देश्य सतत एवं पर्यावरण हितैषी विधि से खगोल विज्ञान पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। रात्रि आकाश को निरंतर बढ़ते प्रकाश प्रदूषण से सुरक्षित करने हेतु यहां वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा।
- महानगरों, शहरों एवं परिधीय क्षेत्रों में प्रकाश प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है तथा निरंतर रोशनी बनी हुई है, ऐसे कम क्षेत्र हैं जो मेघ रहित रात्रि में स्पष्ट आकाश का दृश्य प्रस्तुत करते हैं।
- प्रायोगिक चरण में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) ने दस लघु एवं सरलता से प्रबंधित किए जाने वाले टेलीस्कोप (दूरबीन) तथा प्रकाश-परावर्तक कवचों का क्रय किया है। आईआईए के वैज्ञानिक तथा आउटरीच विशेषज्ञ स्थानीय व्यक्तियों की पहचान करेंगे तथा उन्हें इन दूरबीनों का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- इसमें अन्य बातों के साथ साथ मूलभूत आकाश अवलोकन, नक्षत्रों की पहचान तथा ध्रुव तारे का पता लगाना इत्यादि सम्मिलित होंगे। इन दूरबीनों को होमस्टे में स्थापित किया जाएगा, जो लद्दाख में पर्यटकों के ठहरने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है।

निष्कर्ष

- डार्क स्काई रिजर्व भारत में एस्ट्रो पर्यटन को प्रोत्साहित करने की संभावना है जहां ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। एक बार स्थापित होने के पश्चात, रिजर्व अवरक्त (इंफ्रारेड), गामा- किरणों तथा प्रकाशीय दूरबीन (ऑप्टिकल टेलीस्कोप) हेतु देश में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित स्थल होगा।

MeFSAT डेटाबेस

चेन्नई के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए MeFSAT का उपयोग करके औषधीय कवक के एक विश्लेषणात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन कवकों द्वारा द्वारा स्रावित कुछ रसायनों का उपयोग नई दवाओं के रूप में किया जा सकता है।

- चेन्नई स्थित शोधकर्ताओं ने औषधीय कवक के 1,830 माध्यमिक चयापचयों की संरचना का विश्लेषण किया।
- द्वितीयक उपापचयज (मेटाबोलाइट्स) रासायनिक यौगिक होते हैं जो कवक बलाघातित होने पर उत्पन्न करते हैं।
- वे कवक की जीवित रहने की क्षमता में वृद्धि करते हैं।

MeFSAT क्या है?

- MeFSAT (मेडिसिनल फंगी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड थेरेप्यूटिक्स) एक डेटाबेस है जो मशरूम सहित 184 औषधीय कवक पर सूचनाओं का संकलन करता है।
- यह एक मैन्युअल रूप से स्थानापन्न (क्यूरेट) किया गया डेटाबेस है जो माध्यमिक उपापचयज (मेटाबोलाइट्स) पर सूचनाओं का संकलन करता है एवं इस विषय पर प्रकाशित शोध लेखों तथा विशेष पुस्तकों से औषधीय कवक के चिकित्सीय उपयोगों की सूचना देता है।

औषधीय कवक क्या हैं?

- औषधीय कवक दो वर्गिकीय (टैक्सोनोमिक) वर्गों, अर्थात बेसिडिओमाइकोटा एवं एस्कोमाइकोटा से संबंधित है।
- मशरूम बेसिडिओमाइकोटा वर्ग से संबंधित हैं। एक उदाहरण है एगारिकस बिस्पोरस, बटन मशरूम, जिसका सेवन किया जा सकता है।
- असोमाइकोटा वर्ग से संबंधित कवक आमतौर पर मशरूम नहीं होते हैं।

कवक-आधारित औषधियों के उदाहरण

- कॉर्डीसेपीन, कवक की कॉर्डिसेप्स प्रजाति द्वारा निर्मित एक द्वितीयक चयापचयज (मेटाबोलाइट), अर्बुद (ट्यूमर)-रोधी गुणों के लिए जाना जाता है।
- न केवल कॉर्डीसेपीन, सामान्य रूप से, बल्कि अनेक माध्यमिक चयापचयों को भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दोनों के संदर्भ में मनुष्यों के लिए लाभप्रद माना जाता है।

प्रधानमंत्री ने 5जी सेवाओं का शुभारंभ किया

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नए तकनीकी युग का प्रारंभ करते हुए, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया।

- उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के छठे संस्करण का भी उद्घाटन किया एवं इस अवसर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) प्रदर्शनी भी देखी।

5G सेवाएं- प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा प्रदर्शन

देश के तीन प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों ने भारत में 5जी तकनीक की क्षमता का प्रदर्शन करने हेतु प्रधानमंत्री के समक्ष एक-एक उपयोग मामले (यूज केस) का प्रदर्शन किया।

- **रिलायंस जियो:** इसने मुंबई के एक विद्यालय के एक शिक्षक को महाराष्ट्र, गुजरात एवं ओडिशा में तीन अलग-अलग स्थानों के छात्रों से जोड़ा।
  - इसने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार 5G शिक्षकों को छात्रों के करीब लाकर, उनके मध्य की भौतिक दूरी को समाप्त कर शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।
  - इसने स्क्रीन पर संवर्धित वास्तविकता (ऑगमेंटेड रियलिटी/एआर) की शक्ति का प्रदर्शन किया तथा यह भी प्रदर्शित किया कि किस प्रकार संवर्धित वास्तविकता उपकरण (एआर डिवाइस) की आवश्यकता के बिना, देश भर में बच्चों को दूरस्थ रूप से पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।
- **वोडाफोन आइडिया:** इसके परीक्षण मामले ने डायस पर सुरंग के डिजिटल अनुलिपि (ट्विन) के निर्माण के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की एक निर्माणाधीन सुरंग में श्रमिकों की सुरक्षा का प्रदर्शन किया।
  - डिजिटल ट्विन दूरस्थ स्थान से वास्तविक समय में श्रमिकों को सुरक्षा अलर्ट देने में सहायता प्रदान करेगा।
- **एयरटेल डेमो:** उत्तर प्रदेश के दनकौर के छात्रों ने आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी) एवं संवर्धित वास्तविकता (ऑगमेंटेड रियलिटी) की सहायता से सौर मंडल के बारे में जानने हेतु एक जीवंत एवं तल्लीन कर देने वाला (इमर्सिव) शिक्षा अनुभव प्राप्त किया।

डिजिटल इंडिया के चार स्तंभ डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया एक साथ चार दिशाओं में 4 स्तंभों पर केंद्रित है। वे चार स्तंभ इस प्रकार हैं-

- **उपकरण की कीमत:** उपकरणों की निम्न लागत को मात्र आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। मोबाइल निर्माण इकाइयां अब बढ़कर 200 हो गई हैं।
  - 2014 में मोबाइल फोन के शून्य निर्यात से लेकर आज भारत हजारों करोड़ रुपये के मोबाइल फोन का निर्यातक देश बन गया है।
  - इन सभी प्रयासों का उपकरण की लागत पर प्रभाव पड़ा है। सरकार कम लागत में अधिक सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
- **डिजिटल संपर्क:** 2014 में 100 से भी कम पंचायतों से अब 1.7 लाख पंचायतें प्रकाशीय तंतु (ऑप्टिकल फाइबर) से जुड़ी हैं।
  - सरकार सबके लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर कार्य कर रही है।
- **डेटा की लागत:** उद्योग को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए गए एवं 4जी जैसी तकनीकों को नीतिगत समर्थन प्राप्त हुआ। इससे डेटा की कीमत में कमी आई एवं देश में डेटा क्रांति की शुरुआत हुई।
- **'डिजिटल फर्स्ट' का विचार:** भारत ने आगे बढ़कर डिजिटल भुगतान का मार्ग सुगम कर दिया। सरकार ने स्वयं ऐप के माध्यम से नागरिक केंद्रित वितरण सेवा को प्रोत्साहित किया।

5G सेवाओं का महत्व

- 5G तकनीक आम लोगों को व्यापक लाभ प्रदान करेगी। यह निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता तथा अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करने में सहायता करेगी।
- साथ ही, यह ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता एवं नेटवर्क दक्षता में वृद्धि करेगा।
- 5G तकनीक अरबों इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को जोड़ने में सहायता करेगी, उच्च गति पर गतिशीलता के साथ उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सेवाओं की अनुमति प्रदान करेगी एवं अन्य बातों के साथ टेलीसर्जरी तथा स्वचालित कारों जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की आपूर्ति करेगी।
- 5G आपदाओं की वास्तविक समय अनुश्रवण, परिशुद्ध कृषि एवं खतरनाक औद्योगिक कार्यों जैसे कि गहरी खदानों, अपतटीय गतिविधियों इत्यादि में मनुष्यों की भूमिका को कम करने में सहायता करेगा।

- मौजूदा मोबाइल संचार नेटवर्क के विपरीत, 5G नेटवर्क एक ही नेटवर्क के भीतर इन विभिन्न उपयोग मामलों में से प्रत्येक के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति प्रदान करेगा।

5जी तकनीक क्या है?

- **5G** या पांचवीं पीढ़ी दीर्घकालिक विकास (लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन/LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में **नवीनतम उन्नयन** है। यह 3 बैंडों, अर्थात् **निम्न, मध्य एवं उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम** में कार्य करता है - जिनमें से सभी के अपने उपयोग के साथ-साथ सीमाएं भी हैं।
- **निम्न बैंड स्पेक्ट्रम** में अधिकतम गति 100 एमबीपीएस है। अतः, जबकि इसका उपयोग सेल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए किया जा सकता है और स्थापित किया जा सकता है, जिनके पास अत्यधिक उच्च गति वाले इंटरनेट की विशिष्ट मांग नहीं हो सकती है, निम्न बैंड स्पेक्ट्रम उद्योग की विशेष आवश्यकताओं के लिए इष्टतम नहीं हो सकता है।
- **मध्य-बैंड स्पेक्ट्रम** निम्न बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है। यद्यपि, कवरेज क्षेत्र एवं संकेतों के प्रवेश के मामले में इसकी सीमाएँ हैं।
- **उच्च-बैंड स्पेक्ट्रम** तीनों बैंडों की **उच्चतम गति** प्रदान करता है, किंतु इसमें **अत्यंत सीमित कवरेज तथा सिग्नल प्रवेश शक्ति** है।

भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं

भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान करने की दौड़ तेज हो रही है क्योंकि जिओ, वन वेब, ह्यूजेस एवं टाटा समर्थित नेल्को जैसी कंपनियां इन सेवाओं को प्रदान करने की तैयारी कर रही हैं।

- विगत माह के प्रारंभ में, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया (एचसीआई), एक उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता ने इसरो उपग्रहों द्वारा संचालित भारत की प्रथम उच्च संदेश प्रवाह उपग्रह (हाई थ्रूपुट सेटेलाइट/एचटीएस) ब्रॉडबैंड सेवा प्रारंभ की।
- इसने हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने हेतु ह्यूज ज्यूपिटर प्लेटफॉर्म ग्राउंड टेक्नोलॉजी के साथ इसरो जीसैट-11 एवं जीसैट-29 उपग्रहों से केयू -बैंड क्षमता का उपयोग किया।

सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा क्या है?
• ब्रॉडबैंड का अर्थ अनिवार्य रूप से एक विस्तृत बैंडविड्थ, उच्च क्षमता वाली डेटा संचार (ट्रांसमिशन) तकनीक है, जो आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करती है।
• उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के मामले में, ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रकाशीय तंतु (ऑप्टिकल फाइबर) अथवा मोबाइल नेटवर्क के स्थान पर सीधे उपग्रहों के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

यह मौजूदा ब्रॉडबैंड सेवाओं से किस प्रकार भिन्न है?

- प्रमुख अंतर यह है कि इंटरनेट तक पहुँचने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न एवं प्रेषित सभी डेटा का एकत्रीकरण आकाश या अंतरिक्ष में होता है जो उपग्रह में होता है।
- इसके विपरीत, यदि हम सेलुलर नेटवर्क पर एक दृष्टिपात करें, तो भूमि पर, आधार स्टेशनों में प्रकाशीय तंतु, केबल इत्यादि के माध्यम से एकत्रीकरण होता है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उपग्रह सेवाओं तक पहुंचने के लिए, हमें टीवी सेवाओं के मामले में एक डिश एंटीना की आवश्यकता होगी, अतः एक सामान्य मोबाइल हैंडसेट सीधे उपग्रह ब्रॉडबैंड तक नहीं पहुंच सकता है।
- एक उपयोगकर्ता के लिए उपग्रह ब्रॉडबैंड का उपयोग करने के लिए उपग्रह हेतु एक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है।

भारत में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं: लाभ

- उपग्रह सेवाओं का प्रमुख लाभ यह है कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च गति की इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जहां स्थलीय नेटवर्क स्थापित नहीं किया जा सकता है।
- भारत जैसे भौगोलिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला वाले देश में, भारतीय आबादी का 20-25 प्रतिशत उन क्षेत्रों में निवास करता है जहां स्थलीय संचालकों (ऑपरेटरों(के लिए इंटरनेट सुविधाएं स्थापित करना अत्यधिक कठिन कार्य है।

भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं: भारत में संभावना

- वर्तमान में, वी सैट ऑपरेटर भारत में कुछ दूरस्थ स्थानों में अत्यंत सीमित क्षमता पर उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करते हैं।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए उपग्रह सेवाओं का उपयोग न्यूनतम अनुप्रयोगों - जैसे आपदा प्रबंधन, रक्षा, वैज्ञानिक स्थान इत्यादि तक सीमित है।

भारत (निस्संदेह, इसरो) ने इसे अपनाने हेतु किस प्रकार तैयारी की है?

- इसरो के उच्च संदेश प्रवाह GEO (जियोस्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट) उपग्रह - जीसैट-11 एवं जीसैट-29 कुछ वर्ष पूर्व, प्रति सेकंड 300 गीगा बाइट तक उच्च गति की इंटरनेट प्रसारित कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, अनेक वैश्विक प्रतिभागी लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों को परिनियोजित करके भारत में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं।
- वे उपग्रह ब्रॉडबैंड की विलंबता को कम करने के लिए पृथ्वी की सतह के अत्यंत समीपस्थ उपग्रहों का एक समूह प्रक्षेपित कर रहे हैं।
- वर्तमान में, एलोन मस्क के स्टारलिंक, सुनील भारती मित्तल समर्थित वन वेब एवं कनाडाई उपग्रह प्रमुख टेलीसैट भारतीय बाजार पर नजर रखे हुए हैं।

ये सेवाएं भारत में कब उपलब्ध होंगी?

- यदि चीजें योजना के अनुसार चलती हैं एवं प्रतिभागियों को आवश्यक नियामक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो ये सेवाएं आगामी वर्ष शीघ्र ही भारत में क्रियाशील हो सकती हैं।
- वन वेब आगामी वर्ष के मध्य तक दूरसंचार कंपनियों को बैकहॉल सेवाएं प्रदान करना चाहता है, जबकि स्टारलिंक दिसंबर 2022 तक प्रत्यक्ष ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना चाहता है, जिसका लक्ष्य 2 लाख टर्मिनल है।
- दूसरी ओर, टेलीसैट 2024 तक भारत में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है।

भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं: लागत?

- उपग्रहों के माध्यम से प्रत्यक्ष ब्रॉडबैंड सेवाओं का प्रावधान महंगा होगा।
- स्टारलिंक द्वारा प्रदान की गई, भारत के लिए एक उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के अनुसार, स्टारलिंक टर्मिनल की प्रथम वर्ष की लागत 1,58,000 रुपये होगी जिसके बाद इसकी लागत प्रत्येक वर्ष लगभग 1,15,000 रुपये होगी।

भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं: प्रमुख बाधाएं

- **विलंबता**: इसके अतिरिक्त, उपग्रह इंटरनेट विलंबता एक महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है। यह मात्र एक या दो सेकंड का विषय हो सकता है, किंतु उस पैमाने पर विलंब वीडियो चैट जैसे वास्तविक समय अनुप्रयोग (रीयल-टाइम एप्लिकेशन) को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
- **स्थानिक बाधाएं**: यदि उपयोगकर्ता भारी पर्ण समूह के नीचे या अन्य अवरोधों से घिरे हैं, तो वे उपग्रह से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं।
- **सीमित बैंडविड्थ**: सैटेलाइट डेटा अंतरण अत्यंत मंद इंटरनेट गति एवं सीमित उपग्रह बैंडविड्थ प्रदान करता है क्योंकि संकेतों (सिग्नल) को दूरी तय करनी होती है एवं बीच में सभी संभावित बाधाएं होती हैं।
- **संपर्क समय**: यह आपके परिवेश, आपके संदेश की लंबाई एवं उपग्रह नेटवर्क की स्थिति तथा उपलब्धता से भी प्रभावित हो सकता है।
- **उच्च इनपुट लागत**: यह इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग किए जा रहे जटिल उपकरण जैसे सैटेलाइट डिश के साथ सेवा को महंगा बनाता है।

आगे की राह

- विनियमन एवं निजीकरण पर तत्काल पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- उन्नत अंतरिक्ष-उत्साही देशों ने मूल्य श्रृंखला में इनमें से अधिकांश ब्लॉकों का निजीकरण कर दिया है।
- भारत में 'स्पेस 2.0' उत्पन्न करने के लिए उद्योग को पोषित करने एवं एक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने में सहायता करने के लिए तंत्र निर्मित करने की आवश्यकता है।

टेली-मानस पहल

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टेली-मानस पहल को कर्नाटक के माननीय राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निमहंस), बेंगलुरु में आभासी रूप से प्रारंभ किया गया था।

- टेली-मानस पहल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित करने की दिशा में एक अगला कदम है।

Tele-MANAS पहल

- **टेली-मानस पहल के बारे में:** टेली-मानस पहल का उद्देश्य संपूर्ण देश में चौबीसों घंटे निशुल्क टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, विशेष रूप से दूरस्थ अथवा अल्पसेवित क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं प्रदान करना है।
- **Tele-MANAS का पूर्ण रूप:** Tele-MANAS का पूर्ण रूप टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स है।
- **नोडल एजेंसी:** कार्यक्रम में उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क सम्मिलित है, जिसमें निमहंस नोडल केंद्र है एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बैंगलोर (इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी-बेंगलुरु/आईआईआईटीबी) प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बेंगलुरु एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर/NHRSC) तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
- **सेवा केंद्र:** देश भर में एक टोल-फ्री, 24/7 हेल्पलाइन नंबर (14416) स्थापित किया गया है, जिससे कॉल करने वाले सेवाओं का लाभ उठाने हेतु अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं।
  - सेवा 1-800-91-4416 के साथ भी उपलब्ध है। कॉल को संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में टेली-मानस सेल में भेजा जाएगा।

टेली-मानस पहल का क्रियान्वयन

- टेली-मानस दो स्तरीय प्रणाली में आयोजित किया जाएगा;
  - टियर 1 में राज्य टेली-मानस प्रकोष्ठ (सेल) शामिल हैं जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं।
  - टियर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम/डीएमएचपी)/मेडिकल कॉलेज संसाधनों एवं/या दृश्य-श्रव्य परामर्श के लिए ई-संजीवनी के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

  वर्तमान में 51 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश टेली मानस प्रकोष्ठों के साथ 5 क्षेत्रीय समन्वय केंद्र हैं।
- टेली-मानस को राष्ट्रीय टेली-परामर्श सेवा, ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा आपातकालीन मनोरोग स्थापनाओं जैसी अन्य सेवाओं से जोड़कर कार्यक्रम के माध्यम से विशेष देखभाल की कल्पना की जा रही है।
- अंततोगत्वा, इसमें मानसिक स्वास्थ्य एवं रोगों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल किया जाएगा तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाली सभी प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा। निमहंस ने अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 900 टेली मानस परामर्शदाताओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) - प्रमुख बिंदु

- **NIMHANS के बारे में:** मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में रोगी देखभाल तथा अकादमिक खोज के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज/NIMHANS) एक बहु-विषयक संस्थान है।
- **मुख्यालय:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारत में स्थित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है।
  - NIMHANS देश में मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का शीर्ष केंद्र है।
- **मूल मंत्रालय:** NIMHANS संस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित होता है।
- **राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान:** निमहंस, बैंगलोर अधिनियम 2012, निमहंस को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है एवं इसके निगमन तथा उससे जुड़े मामलों का प्रावधान करता है।
  - इससे पूर्व, केंद्र सरकार ने NIMHANS की प्रतिष्ठित शैक्षणिक स्थिति, विकास एवं योगदान को मान्यता प्रदान की तथा इसे 1994 में 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' घोषित किया।

व्योमित्र मानवाभ (ह्यूमनॉइड)

गगनयान मानव अंतरिक्ष-उड़ान मिशन से पूर्व मानव रहित परीक्षण मिशन पर उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन तथा विकसित किए गए ह्यूमनॉइड व्योमित्र, इसरो इनर्टियल सिस्टम यूनिट (आईआईएसयू) में उड़ान पूर्व जमीनी परीक्षण (प्री-फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट) से गुजर रहा है।

व्योमित्र ह्यूमनॉइड
• कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/एआई)-आधारित रोबोटिक प्रणाली को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर/वीएसएससी) में एक रोबोटिक्स प्रयोगशाला में विकसित किया गया है।
• कृत्रिम प्रज्ञान-सक्षम रोबोट को उड़ान के दौरान कंपन और झटके को झेलने के लिए रॉकेट पर सवार होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• व्योमित्र 2024 में अपेक्षित मानव युक्त गगनयान उड़ान से पूर्व मानव रहित परीक्षण उड़ान भरेगा।
• गगनयान के चालक दल उपयान (क्रू मॉड्यूल) के अंदर चालक दल की गतिविधि का अनुकरण करने हेतु सिर, दो भुजाओं एवं एक धड़ से लैस व्योमित्र का निर्माण किया गया है।

व्योमित्र ह्यूमनॉइड: तथ्य

- गगनयान मानव अंतरिक्ष-उड़ान मिशन से पूर्व मानव रहित परीक्षण मिशनों पर उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया ह्यूमनॉइड 'व्योममित्र' का प्री-फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट संचालित किया जा रहा है।
- व्योमित्र एक अर्ध-ह्यूमनॉइड है जिसमें निचले अंगों का अभाव होता है।
- आईआईएसयू रोबोट के डिजाइन, विकास एवं एकीकरण हेतु उत्तरदायी था, जबकि थुंबा में इसरो केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) ने इसकी उंगलियां विकसित कीं।
- प्रक्षेपण एवं कक्षीय स्थिति प्राप्त करना, पर्यावरण को प्रत्युत्तर प्रदान करना, चेतावनी उत्पन्न करना, कार्बन डाइऑक्साइड कनस्तरों को बदलना तथा स्विच का संचालन करना, चालक दल उपयान (क्रू मॉड्यूल) की निगरानी, वॉयस कमांड प्राप्त करना तथा कथन (द्विभाषी) के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त करना सूचीबद्ध कार्यों में से हैं।

व्योमित्र ह्यूमनॉइड: हालिया विकास

- आईआईएसयू ने इसे सफलतापूर्वक एक कंप्यूटर "मस्तिष्क" के साथ एकीकृत किया है, जो इसे मानव रहित परीक्षण उड़ानों पर नियंत्रण पैनलों को "पढ़ने" एवं इसरो ग्राउंड स्टेशनों के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है।
- इसमें एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता होती है।
- इसका उद्देश्य डिस्प्ले पैनल को संचालित करना एवं पढ़ना है तथा अपने स्वर का उपयोग करके ग्राउंड स्टेशन पर वापस संचार करना है।

WISER कार्यक्रम

हाल ही में, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान (WISER) कार्यक्रम में महिला भागीदारी के पूर्व 11 पुरस्कार विजेताओं को भारत तथा भूटान में जर्मन राजदूत एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति की उपस्थिति में सम्मानित किया गया।

- भारत एवं भूटान में जर्मन राजदूत ने विशिष्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिला शोधकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि उनके योगदान से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत-जर्मन सहयोग मजबूत होगा।

WISER-2022 पुरस्कार
• WISER-2022 कार्यक्रम के तहत भारत की दस (10) महिला शोधकर्ताओं एवं एक (1) जर्मनी से अकादमिक, अनुसंधान संस्थानों अथवा उद्योग में नियमित / दीर्घकालिक अनुसंधान पदों पर रहने वाली महिलाओं का चयन किया गया था।
• इन 11 पुरस्कार विजेताओं को जारी अनुसंधान एवं विकास तथा उद्योग परियोजनाओं में भाग लेने एवं सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
• उन्हें भागीदार देशों में नवीन परियोजना अनुदान के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

WISER कार्यक्रम क्या है?

- **WISER कार्यक्रम के बारे में:** WISER अपनी तरह का एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसे पार्श्व प्रवेश द्वारा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ किया गया है।
- **मूल संगठन:** अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर/IGSTC) द्वारा WISER कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- **अधिदेश:** IGSTC-WISER का अभिप्राय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं अनुसंधान साझेदारी में पूरक विशेषज्ञता का उपयोग करके भारत / जर्मनी में महिला शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक क्षमता निर्मित करने, बनाए रखने तथा प्रोत्साहित करने का है।
- **पात्रता:** WISER कार्यक्रम भारत या जर्मनी में अकादमिक/अनुसंधान संस्थान/उद्योग में नियमित/दीर्घकालिक शोध पद धारण करने वाली महिला शोधकर्ताओं के लिए डिज़ाइन की गई है। WISER कार्यक्रम STEM (साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स/ मेडिसिन अथवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित/चिकित्सा) के सभी क्षेत्रों के लिए खुला है।
  - सेवा अंतराल (ब्रेक-इन-करियर) या किसी आयु सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **महत्व:** नवीन परियोजना अनुदान के लिए आवेदन किए बिना जारी अनुसंधान परियोजना का हिस्सा बनने का यह एक अनूठा अवसर है।
  - WISER कार्यक्रम IGSTC के कार्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम करेगा।
- **पुरस्कार:** भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय पक्ष से अधिकतम 39 लाख रुपये और जर्मन पक्ष से € 48000 के साथ पुरस्कार विजेताओं का समर्थन करेगा।
  - WISER कार्यक्रम प्रतिवर्ष 20 पुरस्कार प्रदान करेगा।

इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC)

- **इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC) के बारे में:** इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी/DST), भारत सरकार एवं संघीय शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्रालय (फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च/BMBF), जर्मनी सरकार द्वारा एक संयुक्त पहल है।
- **अधिदेश:** यह सरकार, शिक्षाविदों/अनुसंधान प्रणालियों एवं उद्योग जगत के मध्य स्थायी अंतः क्रिया के माध्यम से भारत-जर्मन अनुसंधान एवं विकास नेटवर्किंग की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था, इस प्रकार दोनों देशों में समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया गया था।
- **विधिक स्थिति:** IGSTC भारत में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक "सोसाइटी" के रूप में पंजीकृत है।
  - केंद्र सरकार, शिक्षा एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधित्व के साथ भारत एवं जर्मनी के सदस्यों की समान संख्या से निर्मित एक शासी निकाय द्वारा निर्देशित है।
- **महत्व:** IGSTC का अभिप्राय भारत एवं जर्मनी के अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक/निजी उद्योगों की शक्ति के मध्य सामंजस्य स्थापित कर नवाचार केंद्रित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को उत्प्रेरित करना है।

IGSTC का मिशन क्या है?

इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC) की निम्नलिखित की परिकल्पना करता है-

- हित एवं सम्मान की पारस्परिकता के साथ उन्नत औद्योगिक अनुसंधान साझेदारी
- विचारों के क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए मंच निर्मित करना
- प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ज्ञान नेटवर्क विकसित करना
- वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त ज्ञान पूल स्थापित करना
- भारत-जर्मन प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्रोत्साहित करने एक शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करना।

आंतरिक सुरक्षा

सी-295 मालवाहक विमान निर्माण केंद्र

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण केंद्र - निजी क्षेत्र में देश के प्रथम विमान निर्माण केंद्र- की आधारशिला रखी।

- कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया, जिसमें 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत विमानन उद्योग में तकनीकी तथा विनिर्माण प्रगति को प्रदर्शित किया गया था।

C-295 मालवाहक विमान निर्माण केंद्र/ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी

- **मालवाहक विमान निर्माण केंद्र के बारे में:** C-295 मालवाहक विमान निर्माण केंद्र भारतीय वायु सेना (इंडियन एयर फोर्स/IAF) के लिए C-295 विमानों का निर्माण करेगी।
  - यह अपनी तरह की प्रथम परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा।
- **सहयोग:** टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड एवं एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एस.ए., स्पेन के सहयोग से सी-295 मालवाहक विमान विनिर्माण केंद्र की स्थापना की जा रही है।
- **लागत:** सी-295 विमान निर्माण केंद्र परियोजना की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपये है। विमान का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या है?

- **C-295 मालवाहक विमान के बारे में:** सी-295 समकालीन प्रौद्योगिकी के साथ 5-10 टन क्षमता का एक मालवाहक अथवा परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेगा।
  - मजबूत तथा विश्वसनीय, यह एक बहुमुखी एवं कुशल सामरिक परिवहन विमान है जो कई अलग-अलग मिशनों को पूरा कर सकता है।
- **क्षमता:** विमान, 11 घंटे तक की उड़ान सह्यता के साथ, सभी मौसमों में बहु-भूमिका संचालन कर सकता है।
  - यह नियमित रूप से दिन के साथ-साथ रात्रि के युद्ध अभियानों को मरुस्थल से लेकर समुद्री वातावरण तक में संचालित कर सकता है।
  - इसमें त्वरित प्रतिक्रिया एवं सैनिकों तथा कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैंप द्वार है। अर्ध- निर्मित सतहों से लघु उड़ान (शॉर्ट टेक-ऑफ) / लैंड इसकी एक अन्य विशेषता है।

सी 295 एमडब्ल्यू मालवाहक विमान: एक समयरेखा

- भारतीय वायु सेना के पास 1960 के दशक में खरीदे गए लगभग 56 एवरो मालवाहक विमान हैं, जिन्हें बदलने की तत्काल आवश्यकता थी।
- प्रस्ताव के लिए अनुरोध (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल/RFP) मई 2013 में वैश्विक व्यावसायिक कंपनियों को जारी किया गया था एवं C-295 विमान के साथ एअरबस तथा टाटा ग्रुप द्वारा एकमात्र बोली को मई 2015 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल/DAC) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- यद्यपि, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने अंततः भारतीय वायु सेना (इंडियन एयर फोर्स/IAF) के लिए 56 (छप्पन) C-295 MW मालवाहक विमान की खरीद को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

सी 295 एमडब्ल्यू मालवाहक विमान: एक ऐतिहासिक कदम

- अपनी तरह की पहली 21,935 करोड़ रुपये की सैन्य विमान परियोजना भारतीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा, क्योंकि यह भारत के निजी क्षेत्र की प्रथम भागीदारी के मामले में एक मील का पत्थर- तथा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेक-इन-इंडिया परियोजना है।
- 2021 में अनुबंधित 56 विमानों में से कम से कम 40 को कारखाने में निर्मित किया जाएगा।
- 16 विमान उड़ान भरने की (फ्लाईअवे) स्थिति में वितरित किए जाएंगे तथा 40 का निर्माण भारत में भारतीय विमान अनुबंधकर्ता, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) के टाटा कंसोर्टियम एवं टीएएसएल के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा किया जाएगा।
- प्रति वर्ष कम से कम 8 विमानों की उत्पादन दर के साथ, यह केंद्र अन्य देशों में C295 मांगों को पूरा करने के लिए निर्यात हेतु एक केंद्र के रूप में कार्य करेगी।
- विशेष रूप से, कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, सी 295 के 13,400 से कल पुर्जों, 4,600 लघु- फिटिंग्स में तथा सभी प्रमुख पुर्जों को सात भारतीय राज्यों में विस्तृत 125 भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, सभी 56 विमान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) एवं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) जैसे भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सामग्री समुच्चय (वारफेयर सूट) से सुसज्जित होंगे।

सी-295 परिवहन विमान निर्माण केंद्र का महत्व

- **आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना:** यह परियोजना भारतीय निजी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी गहन एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी

विमानन उद्योग में प्रवेश करने का एक विशिष्ट अवसर प्रदान करती है।

- यह घरेलू विमानन निर्माण में वृद्धि करेगा जिसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता कम होगी तथा निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी।
- भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की आपूर्ति पूर्ण होने के पश्चात, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस को भारत में निर्मित विमानों को सिविल ऑपरेटरों को बेचने तथा उन देशों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **रोजगार सृजन:** टाटा कंसोर्टियम ने सात राज्यों में विस्तृत 125 से अधिक देश में स्थित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों (इन-कंट्री एमएसएमई) के आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है। यह देश के विमानन पारिस्थितिकी तंत्र (एयरोस्पेस इकोसिस्टम) में रोजगार सृजन में उत्प्रेरक का काम करेगा।
  - इससे भारत के विमानन एवं रक्षा क्षेत्र में 600 अत्यधिक कुशल रोजगार, 3,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार एवं 3,000 अतिरिक्त मध्यम कौशल रोजगार के अवसर सृजित होने की अपेक्षा है।
  - लगभग 240 इंजीनियरों को स्पेन में एयरबस केंद्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।

रक्षा उपकरणों में एम-चिप्स

रक्षा मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस/MoD) ने "चिप्स" निर्मित करने तथा "भारतीय माइक्रोप्रोसेसर चिप" विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/MeitY) के साथ अनुबंध किया है।

- आरंभ में रक्षा मंत्रालय ने 5 लाख चिप्स मांगे हैं।
- अनुमान के अनुसार, चिप्स 2023 के अंत तक या 2024 के आरंभ में तैयार हो जाएंगे।

एम-चिप्स क्या हैं?

- अर्धचालक (सेमीकंडक्टर्स) - जिन्हें इंजीनियरिंग शब्दावली में 'चिप्स' के रूप में भी जाना जाता है - का उपयोग लड़ाकू जेट, कॉप्टर, टैंक, नौसेना के युद्धपोतों, पनडुब्बियों, प्रक्षेपास्त्रों, नाइट-विजन उपकरणों, रडार, पायलटों के लिए डिस्प्ले, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों तथा संचार नेटवर्क में किया जाता है।
- सेमीकंडक्टर चिप का मूल घटक सिलिकॉन का एक टुकड़ा होता है, जिसे अरबों सूक्ष्म ट्रांजिस्टर के साथ उकेरा जाता है एवं विशिष्ट खनिजों तथा गैसों के लिए प्रक्षेपित किया जाता है, जो विभिन्न अभिकलनात्मक (कम्प्यूटेशनल) निर्देशों का पालन करते हुए धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु प्रतिरूप निर्मित करते हैं।
- आज उपलब्ध सर्वाधिक उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकी नोड 3 नैनोमीटर (एनएम) एवं 5 एनएम वाले हैं।
- उच्च नैनोमीटर मान वाले अर्धचालक ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं, जबकि कम मान वाले अर्धचालकों का उपयोग स्मार्टफोन एवं लैपटॉप जैसे उपकरणों में किया जाता है।

भारत स्वदेशी चिप निर्मित करने हेतु क्यों प्रयासरत है?

- प्राथमिक लक्ष्य स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित 'सुरक्षित चिप्स' के दो संस्करण हैं।
- लगभग 50,000 ऐसे चिप्स सशस्त्र बलों के लिए प्रणालियों एवं उपकरणों में तैनात किए जाने की संभावना है।
- वर्तमान में, अर्धचालक के लिए सेना आंशिक रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन/DRDO) की आंतरिक प्रयोगशालाओं पर निर्भर है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली, निर्माण इकाई है।
- अधिकांश चिप्स आयात किए जाते हैं।

युद्ध के मैदान में छोटे माइक्रोचिप्स की भूमिका

- महत्वपूर्ण एवं उदीयमान प्रौद्योगिकियों के लिए वर्तमान भू-राजनीतिक संघर्ष में, रक्षा क्षेत्र में अर्धचालक प्रौद्योगिकी के योगदान को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है।
- जबकि उन्नत सैन्य प्रणालियाँ उच्च अंत इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करती प्रतीत होती हैं, इन प्रणालियों का अभिन्न अंग मौलिक अर्धचालक घटक बना हुआ है।
- कुछ घटक प्राचीन एकल-खंड उपकरणों से जटिल उपकरणों तक विकसित हुए हैं। कुछ अर्धचालक घटक हैं जो आधुनिक सैन्य प्रणालियों के लिए अपरिहार्य बने रहने की क्षमता रखते हैं।
- **कुछ उदाहरण:**
  - सेंसर एवं एक्चुएटर्स
  - मेमोरी चिप्स
  - इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम
  - माइक्रोकंट्रोलर
  - लॉजिक डिवाइसेस
  - डिस्क्रीट डिवाइसेस

वैश्विक चिप की कमी के पीछे क्या है?

- चिप, या सेमीकंडक्टर, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मस्तिष्क-केंद्र है, ने स्वयं को कोविड पश्चात युग में दुर्लभ पाया है, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान जैसे स्थानों पर अनेक बड़े कारखाने बंद हो गए हैं। इसने मांग में एक कोलाहल उत्पन्न कर दिया है कि ये संधानशालाएं एक बार खुलने के बाद मांग की पूर्ति नहीं कर पाएंगे।
- एक ओर, महामारी कंप्यूटर, लैपटॉप एवं स्मार्टफोन इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग में वृद्धि का कारण बना।
- विनिर्माण तथा रसद बाधाओं का अर्थ था कि स्थिति केवल विकट थी।

- पिछले वर्ष प्रारंभ हुई यह कमी 2022 तक जारी रहने की संभावना है एवं भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, कई कंपनियां मात्र कुछ बड़े कारखानों पर अपनी निर्भरता कम करने की योजना बना रही हैं जो संपूर्ण विश्व को आपूर्ति करती हैं।

भारत के लिए एक अवसर

- वैश्विक अर्धचालक बाजार 2015 में 340 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 650 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें 6.7% सीएजीआर है।
- ताइवान अर्धचालकों का विश्व का सर्वाधिक वृहद निर्माता है, जिसकी बाजार में हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है।
- आज, भारत की अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) मांग लगभग 24 अरब डॉलर है एवं 2025 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में देश की अर्धचालक मांग पूर्ण रूप से आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
- तकनीक में हो रही वृद्धि एवं भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा 5 जी तकनीक के आगमन के साथ, सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग में भी वृद्धि हो रही रही है।
- भारत 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उत्पादों तथा डेटा सेंटर केंद्रों द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण मांग में स्पष्ट वृद्धि देखने के लिए तैयार है।
- महामारी में अर्धचालक की कमी तथा अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखलाओं की नई भू-राजनीतिक वास्तविकताएं अर्धचालकों के लिए भरोसेमंद एवं विश्वसनीय स्रोत विकसित करने की आवश्यकता को और बढ़ा देती हैं।

सरकारी पहल

- केंद्रीय बजट 2017-18 में, अर्धचालक के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (मॉडिफाइड- स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम/एम-एसआईपीएस) एवं इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष (इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड/ईडीएफ) जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर 745 करोड़ रुपये (111 मिलियन अमेरिकी डॉलर) कर दिया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश को और प्रोत्साहित करने, रोजगार उत्पन्न करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) में संशोधन करके निवेशकों के लिए 10,000 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने नीतिगत ढांचे को संशोधित करने की योजना बना रहा है, जिसमें सरकार अधिक निजी प्रतिभागियों को आकर्षित करके एवं भारत को वैश्विक अर्धचालक केंद्र के रूप में निर्मित करने के लिए प्रारंभिक पूंजी प्रदान करके इस क्षेत्र के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी।

रक्षा उपकरणों में एम-चिप्स: आगे की राह

- चिप निर्माण भी एक दिन में कई गैलन अति शुद्ध (अल्ट्रा प्योर) जल की आवश्यकता होती है, जो विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के लिए कारखानों को प्रदान करना एक कठिन कार्य हो सकता है, जो देश के बड़े हिस्से में प्रायः सूखे की स्थिति से भी संयुक्त होता है।
- इसके अलावा, विद्युत की एक निर्बाध आपूर्ति इसके निर्माण के लिए केंद्रीय है, मात्र कुछ सेकंड के उतार-चढ़ाव या मांग में तीव्र वृद्धि के कारण लाखों का नुकसान होता है।
- सरकार के लिए एक अन्य कार्य अर्धचालक उद्योग में उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना है ताकि ऐसी स्थिति में समाप्त न हो जहां ये उद्यम मात्र तब तक सफल रहें जब तक करदाताओं को आवश्यक सब्सिडी के लिए निधि प्रदान करने हेतु बाध्य न किया जाए।

रक्षा उपकरणों में एम-चिप्स: निष्कर्ष

रक्षा निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं देश में अर्धचालकों का निर्माण आरंभ करने के लिए सरकार की नीतियों के साथ, यह भारत के राष्ट्रीय हित में दोनों के संगम का समय है।

पाकिस्तान को FATF की 'ग्रे लिस्ट' से हटाया

21 अक्टूबर, 2022 को वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग वॉचडॉग ने पाकिस्तान को चार साल बाद "बढ़ी हुई निगरानी" के तहत देशों की सूची से हटा दिया।

FATF की 'ग्रे लिस्ट' से पाकिस्तान का हटाया जाना: पृष्ठभूमि

- पाकिस्तान 2018 से "रणनीतिक आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण-संबंधी कमियों" के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की "ग्रे लिस्ट" में है।
- पाकिस्तान को सूची से हटाने की घोषणा भारत सहित सभी 39 सदस्यों के सर्वसम्मति के फैसले के बाद की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) तंत्र का मुकाबला करने के प्रयासों की समीक्षा को स्वीकार करने के लिए स्वीकार किया गया था।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) क्या है?
• FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है।
• एफएटीएफ की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में जी -7 शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी, शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास करने के लिए।
• 9/11 के हमलों के बाद, अक्टूबर 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया।
• अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा।

- FATF ने FATF अनुशंसाएँ, या FATF मानक विकसित किए हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।

क्या है FATF की ग्रे लिस्ट?

- FATF उन देशों की "ग्रे लिस्ट" रखता है जिन पर वह बारीकी से नजर रखता है।
- संक्षेप में, ये वे देश हैं, जो FATF के आकलन में, अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने में विफल रहे हैं, और इसलिए, बुरे व्यवहार के लिए वैश्विक निगरानी सूची में हैं।
- 21 अक्टूबर तक, पाकिस्तान सूची में सबसे महत्वपूर्ण देश था। इसके (निकारागुआ के साथ) को सूची से हटा दिए जाने के बाद, 23 देश निगरानी में हैं।
- इन देशों में फिलीपींस, सीरिया, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, मोरक्को, जमैका, कंबोडिया, बुर्किना फासो और दक्षिण सूडान और बारबाडोस, केमैन आइलैंड्स और पनामा के टैक्स हेवन हैं।

मुख्य कार्य योजना कार्य

- कार्य योजना के कार्यों में यह था कि पाकिस्तान अपने कानूनों को एएमएल/सीएफटी पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बनाता है और यूएनएससी प्रतिबंधित आतंकवादियों का पीछा करता है, जिसमें लश्कर ए तैयबा (एलईटी) के हाफिज सईद, 26/11 हैंडलर सहित कई आतंकवादी समूहों और नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। साजिद मीर, कमांडर जकी उर रहमान लखवी और अन्य।
- जबकि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को कैद करने में विफल रहा, अधिकारियों ने उसके खिलाफ मामले दर्ज किए, उसे "लापता" घोषित किया।

एपीजी के बारे में (एशिया/पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग)

- 1995 में एक एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय जिसे "एफएटीएफ-एशिया सचिवालय" कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित किया गया था।
- अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के सहयोग से, उस सचिवालय ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों और पहलों को लागू करने के लिए व्यापक क्षेत्रीय प्रतिबद्धता उत्पन्न करने के लिए एशिया-प्रशांत के देशों के साथ काम किया और एक अधिक स्थायी क्षेत्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निकाय स्थापित करने के लिए सुरक्षित समझौता किया।
- मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें 41 सदस्य क्षेत्राधिकार शामिल हैं।
- एपीजी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित प्रसार वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करें।

क्या होगा अगर FATF किसी देश को ब्लैकलिस्ट कर दे?

- पाकिस्तान को 2018 में "रणनीतिक आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण-संबंधी कमियों" के कारण सूचीबद्ध किया गया था।
- एक और एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट का मतलब है कि संबंधित देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में "असहयोगी" है।
- यदि FATF किसी राष्ट्र को ब्लैकलिस्ट करता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ जैसे ऋणदाताओं द्वारा देश को डाउनग्रेड किया जा सकता है।

आगे का रास्ता

- भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा, FATF की जांच के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान को जाने-माने आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसमें 26/11 को मुंबई में हुए हमले शामिल हैं।
- यह वैश्विक हित में है कि दुनिया स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई करना जारी रखना चाहिए।

यूएनएससी आतंकवाद निरोधी समिति

2015 के बाद पहली बार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति 28 और 29 अक्टूबर को भारत के मुंबई और नई दिल्ली में मुख्यालय से दूर एक विशेष बैठक आयोजित करेगी।

- बैठक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगी।

उद्देश्य क्या हैं?

इन प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- सदस्य देशों द्वारा आतंकवादी आख्यानों और कृत्यों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए और उनके मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप, आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए नए और उभरते तकनीकी विकास को तैनात करने के तरीकों का एक सिंहावलोकन प्रदान करें;
- सदस्य राज्यों को हाल के घटनाक्रमों और खतरों पर नवीनतम साक्ष्य-आधारित अनुसंधान पर अद्यतन करें;
- सतत चुनौतियों की पहचान करना; तथा
- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, उद्योग कार्रवाई, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और विधायी, नीति और नियामक प्रतिक्रियाओं के अनुपालन में अच्छी प्रथाओं को साझा करें।

प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन से हैं?

- विशेष बैठक तीन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी - इंटरनेट और सोशल मीडिया; आतंकवाद वित्तपोषण; और मानव रहित हवाई प्रणाली (यूएएस) - जहां उभरती हुई प्रौद्योगिकियां तेजी से विकास का अनुभव कर रही हैं, सदस्य राज्यों द्वारा बढ़ते उपयोग (सुरक्षा और

आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों सहित), और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग के बढ़ते खतरे।

- आतंकवाद विरोधी समिति को इसके कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसने विशेष बैठक और उसके परिणाम दस्तावेज को सूचित करने के लिए 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित छह तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया।
- आतंकवाद के संकट का मुकाबला करना दशकों से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में रहा है।
- 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 11 सितंबर के हमलों के बाद, सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से संकल्प 1373 (2001) को अपनाया, जिसने पहली बार परिषद की एक समर्पित आतंकवाद-विरोधी समिति (सीटीसी) की स्थापना की।
- CTC को एक कार्यकारी निदेशालय (CTED) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो अपने नीतिगत निर्णयों को पूरा करता है और 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के विशेषज्ञ मूल्यांकन करता है।

यूएनएससी काउंटर-टेररिज्म कमेटी (सीटीसी) के सदस्य

समिति 15 सदस्य राज्यों से बनी है:

1. अल्बानिया
2. ब्राज़िल
3. चीन
4. फ्रांस
5. गैबॉन
6. घाना
7. भारत
8. आयरलैंड
9. केन्या
10. मेक्सिको
11. नॉर्वे
12. रूसी संघ
13. संयुक्त अरब अमीरात
14. यूनाइटेड किंगडम
15. संयुक्त राज्य अमेरिका

देश का दौरा

- सीटीईडी सदस्य देशों के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का आकलन करने के लिए आतंकवाद विरोधी समिति की ओर से देश का दौरा करता है, जिसमें प्रगति, शेष कमी, और तकनीकी सहायता आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ-साथ आतंकवाद से संबंधित प्रवृत्तियों और चुनौतियों और अच्छी प्रथाओं की पहचान करना शामिल है। प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में कार्यरत।
- सदस्य राज्यों में सीटीईडी की यात्रा, समिति की ओर से आयोजित, सीटीसी द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रचार और सुविधा के लिए अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सीटीसी द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है।

यूएनएससी के बारे में जानें
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों की स्थापना की।
• यह सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी देता है, जो कि जब भी शांति को खतरा हो, मिल सकती है।
• संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने के लिए सहमत हैं।
• जबकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों को सिफारिशें करते हैं, केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति है कि सदस्य राज्यों को चार्टर के तहत लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है।
• UNSC में 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए अस्थायी सदस्य।
• UNSC के पांच स्थायी सदस्य हैं- यूएस, यूके, फ्रांस, रूस और चीन।

ऑपरेशन पवन

ऑपरेशन पवन 24 मार्च 1990 को समाप्त हो गया, जब आईपीकेएफ की अंतिम टुकड़ी पूर्वी बेड़े के बोर्ड जहाजों पर त्रिंकोमाली से रवाना हुई।

- आज, जो सैनिक उस भयंकर युद्ध में शामिल थे, वे सवाल कर रहे हैं कि ऑपरेशन पवन के दौरान आईपीकेएफ की बहादुरी को मनाने के लिए कोई निर्धारित दिन क्यों नहीं है।

परिचय
• **1972** में, सिंहली ने देश का नाम सीलोन से श्रीलंका में बदल दिया और बौद्ध धर्म को देश का प्राथमिक धर्म बना दिया।
• जैसे-जैसे जातीय तनाव बढ़ता गया, **1976** में, वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में लिट्टे का गठन किया गया, और इसने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में एक तमिल मातृभूमि के लिए अभियान शुरू किया, जहाँ द्वीप के अधिकांश तमिल रहते हैं।
• जैसे-जैसे सिंहल बहुसंख्यक और तमिलों के बीच विभाजन गहराता गया, लंका में, द्वीप राष्ट्र धीरे-धीरे गृहयुद्ध में उतर गया।

ऑपरेशन पवन के बारे में

- हिंद महासागर के मुख्य नौवहन मार्गों पर श्रीलंका का स्थान और भारतीय मुख्य भूमि से इसकी निकटता का भारत के दक्षिणी समुद्री तट की सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व है।

- ऑपरेशन पवन 30 जुलाई 1987 को IPKF के शामिल होने के साथ शुरू हुआ।
- अगस्त 1989 में डी-इंडक्शन शुरू हुआ और अक्टूबर 1989 तक, IPKF का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया गया था।
- ऑपरेशन पवन 24 मार्च 1990 को समाप्त हो गया, जब आईपीकेएफ की अंतिम टुकड़ी पूर्वी बेड़े के बोर्ड जहाजों पर त्रिंकोमाली से रवाना हुई।
- जब अंतिम तत्व पीछे हट गए, तब भी उस राजनीतिक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ था जिसके लिए इसे शामिल करना आवश्यक था, और न ही आज प्रकाशन की तारीख तक कोई समाधान सामने आया है।
- गोल आंकड़ों में, 1200 से अधिक मौतें और 3500 घायल भारत के शांति सेना के अधिकारियों और पुरुषों ने संकट में एक पड़ोसी की मदद करने के लिए भुगतान किया था।
- हालांकि अक्सर आलोचना की जाती है, ऑपरेशन पवन ने उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जो भारत के प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने को अपने पत्र में सूचीबद्ध किया था जब 29 जुलाई 1987 को भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका की जनसांख्यिकी

- उस समय, श्रीलंका की लगभग 21 मिलियन जनसंख्या में 75% सिंहली, 18% तमिल (12% श्रीलंकाई तमिल और 6% बागान तमिल) और 7% तमिल भाषी मुसलमान शामिल थे।
- तमिल मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में स्थित थे, बागान तमिलों को छोड़कर जो मध्य प्रांत में उच्चभूमि में केंद्रित थे।
- उत्तरी प्रांत में 80% तमिल आबादी शामिल थी, जो मुख्य रूप से जाफना शहर के आसपास केंद्रित थी जो प्रांतीय राजधानी थी।
- तमिलों ने एक तिहाई सिंहली और एक तिहाई मुसलमानों (मूर) के साथ पूर्वी प्रांत की एक तिहाई आबादी का गठन किया।

क्या था मुद्दा?

- श्रीलंका में तमिलों को विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से समान अधिकारों से वंचित किया जा रहा था।
- श्रीलंका में तमिलों को भारत और दुनिया भर में तमिल डायस्पोरा का समर्थन प्राप्त है।
- चूंकि शांतिपूर्ण विरोध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया था, प्रमुख विद्रोही समूह लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम (LTTE) था, जिन्हें भारत में प्रशिक्षित किया गया था, और वे आगे अपने युद्ध कौशल को सुधारने के लिए फिलिस्तीनियों तक पहुंचे।
- अप्रैल 1987 में भारत सरकार ने सशस्त्र हस्तक्षेप से श्रीलंका के तमिलों की सहायता करने का निर्णय लिया।
- हालाँकि, राजनयिक वार्ताओं द्वारा 29 जुलाई 1987 को भारत-श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- लिट्टे इस शांति समझौते से खुश नहीं था क्योंकि इसने उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में पूर्ण स्वतंत्रता के उनके उद्देश्य से समझौता किया था।

ऑपरेशन पवन से पांच प्रमुख सबक

श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप भविष्य के क्षेत्रीय स्थिरता कार्यों के लिए पांच प्रमुख सबक देता है।

- सबसे पहले, मिशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और एक स्पष्ट जनादेश स्थापित करना अनिवार्य है।
- दूसरे, एक मजबूत सैन्य आकस्मिक योजना प्रक्रिया के साथ-साथ योजनाओं को परिष्कृत करने और संभावित घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त बल प्रदान करने के लिए प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की आवश्यकता है।
- तीसरा, स्पष्ट कमान और नियंत्रण को शुरुआत में स्थापित करने की आवश्यकता है और उपयुक्त क्षेत्र गठन को मुख्यालय के रूप में नामित किया जाना चाहिए।
- चौथा, खुफिया योजना और समन्वय को व्यापक बनाने की जरूरत है, और पर्याप्त विशेषज्ञता और क्षमताओं का निर्माण पहले से ही किया जाना चाहिए।
- अंत में, नागरिक मामलों के कार्यों में संलग्न होने के महत्व को नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक डेटा को एकत्रित किया जाना चाहिए और योजना तैयार की जानी चाहिए।

इतिहास, कला और संस्कृति

काशी-तमिल संगमम

केंद्र ने माह भर चलने वाले काशी तमिल संगमम की घोषणा की है।

- काशी-तमिल संगमम का उद्देश्य दो प्राचीन ज्ञान, संस्कृति एवं विरासत केंद्रों के मध्य संबंधों की पुनर्खोज करना है।
- काशी-तमिल संगमम 16 नवंबर से प्रारंभ होगा।

काशी तमिल संगमम: यह क्या है?
• 16 नवंबर से 19 दिसंबर तक वाराणसी में एक माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जाएगा।
• इस काशी तमिल संगमम के दौरान, भारतीय संस्कृति की दो प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों तथा विद्वानों के मध्य अकादमिक आदान प्रदान सेमिनार, चर्चा इत्यादि का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दोनों के मध्य संबंधों एवं साझा मूल्यों को सामने लाने पर ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय भाषा समिति (बीबीएस) की क्या भूमिका होगी?

- चामू कृष्ण शास्त्री की अध्यक्षता वाली भारतीय भाषा समिति (बीबीएस) नामक भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने तमिल संस्कृति एवं काशी के मध्य सदियों से मौजूद संबंधों की पुनर्खोज करने, पुष्टि करने तथा उत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा है।
- समिति का गठन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- इसका व्यापक उद्देश्य दो ज्ञान एवं सांस्कृतिक परंपराओं को समीप लाना, हमारी साझा विरासत की समझ निर्मित करना एवं क्षेत्रों के मध्य लोगों से लोगों के बीच के बंधन को और गहन करना है।

काशी-तमिल संगमम: "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" का अनुभव करने हेतु एक आदर्श मंच

- संगमम ज्ञान एवं संस्कृति के दो ऐतिहासिक केंद्रों के माध्यम से भारत की सभ्यतागत संपत्ति में एकता को समझने के लिए एक आदर्श मंच होगा।
- संगमम, जो शुभ कार्तिगई तमिल माह में आयोजित किया जाएगा, "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की समग्र रूपरेखा एवं भावना के तहत आयोजित किया गया है।
- विचार प्राचीन भारत एवं वर्तमान पीढ़ी के मध्य एक सेतु का निर्माण करना है।
- यह लोगों एवं भाषाओं को जोड़ने में भी सहायता करेगा।

काशी-तमिल संगमम: कार्तिगई तमिल माह का क्या महत्व है?

- तमिल कैलेंडर के अनुसार कार्तिगई मासम, कार्तिकाई मासम, आठवां महीना है।
- कार्तिकाई मासम भगवान मुरुगा, भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का प्रिय माह है।
- तमिलनाडु में कार्तिक के महीने में अनेक प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं।
- कार्तिकाई दीपम तथा महा भरणी महत्वपूर्ण कार्तिकई त्योहार हैं।
- कार्तिकई दीपम कार्तिकाई महीने में पूर्णिमा या पूर्णामी को पड़ता है।
- कार्तिगई मासम हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु एवं कन्नड़ कैलेंडर में कार्तिक माह के साथ मेल खाता है।

काशी-तमिल संगमम: प्रमुख विषय

- संगमम ज्ञान के विभिन्न पहलुओं - साहित्य, प्राचीन ग्रंथों, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आयुर्वेद, हस्तकरघा, हस्तशिल्प एवं आधुनिक नवाचारों, व्यापार आदान-प्रदान, एडुटेक तथा अन्य आगामी पीढ़ी की तकनीकी)जेन-नेक्स्ट टेक्नोलॉजी) को कवर करने वाले विषयों पर केंद्रित होगा।
- यह भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पद्धतियों, कला एवं संस्कृति, भाषा, साहित्य इत्यादि के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों, विद्वानों, शिक्षाविदों, अभ्यास करने वाले पेशेवरों इत्यादि के लिए सीखने का एक विशिष्ट अनुभव होगा।

काशी-तमिल संगमम: उत्तर-दक्षिण संपर्क

- यह प्रस्तावित है कि तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से इन ज्ञान धाराओं के कलाकारों को वाराणसी एवं उसके पड़ोसी क्षेत्रों की आठ दिवसीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- यह प्रस्तावित है कि चेन्नई, रामेश्वरम एवं कोयंबटूर सहित तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों के लगभग 210 लोगों को आठ दिनों की अवधि के लिए एक समूह में लिया जाएगा।
- ऐसे 12 समूह, जिनमें लगभग 2500 लोग शामिल हैं, एक माह में यात्रा कर सकते हैं।
- इन समूहों की पहचान की गई है, जिनमें छात्र, शिक्षक, साहित्यकार (लेखक, कवि, प्रकाशक), सांस्कृतिक विशेषज्ञ, पेशेवर (अभ्यास कला, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, योग, आयुर्वेद), उद्यमी (लघु मध्यम उद्यम, स्टार्टअप) व्यवसायी, (सामुदायिक व्यवसाय समूह, होटल व्यवसायी,) कारीगर, विरासत संबंधी विशेषज्ञ (पुरातत्वविद, टूर गाइड, ब्लॉगर) इत्यादि।
- संगमम के अंत में, तमिलनाडु के लोगों को वाराणसी का एक व्यापक अनुभव प्राप्त होगा एवं काशी के लोगों को ज्ञान-साझा करने के अनुभवों के स्वस्थ आदान-प्रदान - घटनाओं, यात्राओं एवं संवाद के माध्यम से तमिलनाडु की सांस्कृतिक समृद्धि का भी पता चलेगा।

मौसम परियोजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन

हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया/एएसआई) ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में मौसम परियोजना पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

मौसम परियोजना 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- **परियोजना मौसम पर राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में:** मौसम परियोजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अनुसंधान को आगे और प्रोत्साहित करने एवं इस बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- **थीम:** परियोजना मौसम 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन "जलधिपुरयात्रा: हिंद महासागर रिम देशों के साथ पार-सांस्कृतिक संबंधों की खोज" के विषय पर आयोजित किया जा रहा है।
- **संबद्ध मंत्रालय:** संस्कृति मंत्रालय मौसम परियोजना 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
- **भागीदारी:** भारत के विभिन्न हिस्सों से बीस से अधिक विद्वानों ने सम्मेलन के शैक्षणिक सत्रों में भाग लिया।
  - इनमें मौसम विज्ञानी, पुरातत्वविद, इतिहासकार एवं जलवायु परिवर्तन, जल के भीतर की खोज तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञ शामिल हैं।

मौसम परियोजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख सत्र

सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र सम्मिलित है जिसके बाद छह शैक्षणिक सत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत की समुद्री अंत:क्रिया के एक विशेष पहलू से संबंधित है।

- एक सत्र विशेष रूप से विश्व विरासत संपत्तियों से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, निम्नलिखित के विशेष संदर्भ के साथ-
  - हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों में स्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं संरचनाओं की पहचान तथा
  - अंतर्देशीय संबंधों का उदाहरण, इस प्रकार यूनेस्को की विश्व विरासत प्रमाणन के लिए अंतरराष्ट्रीय नामांकन के लिए अर्हता प्राप्त करना।
- इसके बाद एक विशिष्ट सत्र आयोजित हुआ जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों एवं राजदूतों ने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की-
  - क्षेत्र के अंतर-देशीय संबंधों के विभिन्न पहलू एवं
  - विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थलों का राष्ट्रीय नामांकन।

'मौसम' परियोजना

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2014 में दोहा, कतर में आयोजित यूनेस्को की 38वीं विश्व विरासत समिति की बैठक में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मौसम' परियोजना प्रारंभ की गई थी।
  - वर्तमान में, परियोजना का संचालन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किया जा रहा है।
- **मौसम परियोजना के बारे में:** मानसून प्रतिरूप, सांस्कृतिक मार्गों एवं समुद्री परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 'मौसम' परियोजना प्रमुख प्रक्रियाओं तथा घटनाओं का परीक्षण कर रहा है जो हिंद महासागर के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ तटीय केंद्रों को उनके आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ते हैं।
- **क्रियान्वयन:** 'मौसम' परियोजना संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है।
  - इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स/आईजीएनसीए), नई दिल्ली द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय संग्रहालय के सहयोगी निकायों के समर्थन के साथ नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया जाना है।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ड्रोन की सहायता से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के स्थल पर कार्य की प्रगति प्रगति की समीक्षा की।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

- **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)के बारे में:** लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) को भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने हेतु अपनी तरह की एक विशिष्ट परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  - राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी एवं मार्च 2019 में महायोजना (मास्टर प्लान) के लिए सहमति दी गई थी।
- **संबद्ध मंत्रालय:** राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल को बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में निर्मित किया जा रहा है।
  - यह लोथल को विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में भी सहायता प्रदान करेगा।
- **लागत:** राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कुल 3500 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

- **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर** में अनेक नवीन तथा अनूठी विशेषताएं होंगी जैसे-
  - हड़प्पा वास्तुकला एवं जीवन शैली को पुनर्निर्मित करने हेतु लोथल लघु पुनर्निर्माण,

- **चार थीम पार्क -**
  - मेमोरियल थीम पार्क,
  - समुद्री एवं नौसेना थीम पार्क,
  - जलवायु थीम पार्क, तथा
  - साहसिक एवं मनोरंजन थीम पार्क।
- यह अन्य के साथ निम्नलिखित को भी आश्रय प्रदान करेगा- खोल
  - विश्व का सर्वाधिक ऊंचा लाइटहाउस संग्रहालय,
  - चौदह दीर्घाएं जो हड़प्पा काल से वर्तमान समय तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रकाशित करती हैं,
  - राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक तटीय राज्य मंडप।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का महत्व

- राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल को विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उदय होने में सहायता प्रदान करेगा।
- लोथल में एक समुद्री विरासत परिसर शहर की ऐतिहासिक परंपरा एवं विरासत के लिए एक उपयुक्त सम्मान है।
- लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के विविध समुद्री इतिहास के अध्ययन तथा समझने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- इस परियोजना के माध्यम से पर्यटन क्षमता को प्रोत्साहित करने से क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोथल- एक हड़प्पा सभ्यता स्थल

- **पृष्ठभूमि:** लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी स्थलों में से एक था, जो आधुनिक राज्य गुजरात में अवस्थित है।
  - माना जाता है कि शहर का निर्माण 2200 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ था।
  - प्राचीन शहर का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया/एएसआई) द्वारा 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था।
  - पुरातत्वविदों का मानना है कि यह शहर सिंध से गुजरात में सौराष्ट्र तक के प्राचीन व्यापार मार्ग पर एक प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा था।
- **लोथल के बारे में:** लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था तथा सर्वाधिक प्राचीन मानव निर्मित गोदी की खोज के लिए जाना जाता है।
- **अवस्थिति:** लोथल गुजरात में; खंभात की खाड़ी के समीप भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है।
- **मुख्य खोज:** लोथल हड़प्पा साइट से प्रमुख खोज निम्नलिखित हैं-
  - बंदरगाह नगर
  - कब्रिस्तान
  - हाथी दांत के बने तराजू
  - ताम्र निर्मित कुत्ता
  - मानव निर्मित प्रथम बंदरगाह
  - गोदी
  - चावल की भूसी
  - आग
  - शतरंज का खेल
- **महत्व:** कलाकृतियों से ज्ञात होता है कि लोथल से व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र तथा फारस के साथ किया गया हो सकता है।
  - यहां उत्खनन द्वारा बाजार एवं गोदी के साथ एक पूरी बस्ती का पता चला है।

पर्यटन पर्व 2022

हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में पर्यटन पर्व - 2022 का उद्घाटन किया।

- केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने सभी राज्यों से देश में फिल्म पर्यटन एवं देश में आयोजित होने वाले आगामी जी 20 की अध्यक्षता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

पर्यटन पर्व 2022 (पर्यटन महोत्सव)

- **पर्यटन पर्व के बारे में:** 'पर्यटन पर्व' माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित एक पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
  - पर्यटन मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में 'पर्यटन पर्व - 2022' (पर्यटन महोत्सव) का आयोजन कर रहा है।
- **स्थान:** पर्यटन महोत्सव 2022 का आयोजन मुंबई में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2022 तक किया जा रहा है।
- **आयोजन मंत्रालय:** पर्यटन मंत्रालय को 'पर्यटन पर्व - 2022' (पर्यटन महोत्सव) आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- **अधिदेश:** पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की विविध संस्कृति, कला, शिल्प एवं व्यंजनों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है–
  - महाराष्ट्र,
  - गुजरात,
  - गोवा,
  - मध्य प्रदेश,
  - छत्तीसगढ़ एवं
  - दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन तथा दीव के केंद्र शासित प्रदेश ।
- **प्रमुख उद्देश्य:** पर्यटन पर्व विशेष रूप से युवाओं को जागरूक करने के लिए घरेलू पर्यटकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - इस वर्ष पर्यटन पर्व में भाग लेने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है।

- यह मुंबईकरों के बीच क्षेत्र की विरासत एवं संस्कृति की बेहतर समझ भी लाएगा।
- इस आयोजन को भारत के विभिन्न पर्यटन उत्पाद, भोजन, विरासत एवं संस्कृति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जाता है।

पर्यटन पर्व 2022 की मुख्य विशेषताएं

- पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के 8 राज्य पर्यटन विभागों के पर्यटन मंडप तथा मुंबई में मौजूद अन्य राज्य पर्यटन कार्यालय।
- केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी
- किचन स्टूडियो - होटल प्रबंधन संस्थान, मुंबई द्वारा 'पश्चिम - मध्य मिलाप' विषय के तहत क्षेत्र के व्यंजनों का प्रदर्शन
- विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, कपड़ा मंत्रालय द्वारा आमंत्रित पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र में 5 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के कारीगरों द्वारा 15 हस्तशिल्प स्टालों के साथ शिल्प बाजार।
- केंद्रीय मंच पर सांस्कृतिक प्रदर्शन संपूर्ण भारत से लोक कलाओं का प्रदर्शन।
- आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद @2047 विषय पर स्टॉल लगाया।
- अग्निपथ योजना को प्रोत्साहित करने वाले भारतीय वायु सेना के भर्ती कार्यालय, मुंबई द्वारा स्टाल।
- छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय तथा उसके आसपास के आकर्षणों को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइडों द्वारा निशुल्क निर्देशित पैदल यात्राएं।
- विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए कला एवं प्रतियोगिताओं पर कार्यशाला
- आगंतुकों को व्यस्त रखने के लिए अन्य संवादात्मक गतिविधियाँ।

सूरसंहारम 2022

तमिलनाडु राज्य के मुरुगन मंदिरों में चल रहे कांडा षष्ठी उत्सव, 'सूरसंहारम अनुष्ठान' (भगवान द्वारा राक्षस सुरपद्मन का विनाश) का आयोजन किया जा रहा है।

- चंद्र कैलेंडर के अनुसार, स्कंद षष्ठी कार्तिक मास के छठे दिन आती है।

सूरसंहारम 2022: स्कंद षष्ठी के बारे में जानें

- स्कंद षष्ठी या कुमार षष्ठी एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है जो देवी पार्वती एवं भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है।
- भगवान कार्तिकेय को उनके भक्तों द्वारा अनेक नामों से जाना जाता है जैसे कुमार, मुरुगा, सुब्रमण्यम इत्यादि।
- अतः, स्कंद षष्ठी को कुमार षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है।
- **स्कंद षष्ठी का महत्व**
  - स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय या सुब्रमण्यम के जन्म के दिन से मेल खाती है जिसे तमिल में मुरुगा भी कहा जाता है।
  - स्कंद षष्ठी कार्तिक (अक्टूबर-नवंबर) के महीने में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि (षष्ठी तिथि) है।
  - भगवान स्कंद सुब्रमण्य के लोकप्रिय नामों में से एक है एवं इसलिए इस घटना को स्कंद षष्ठी कहा जाता है।
  - स्कंद षष्ठी पर लोग भगवान सुब्रमण्यम को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं।
  - तमिलनाडु में मुरुगा के मंदिरों में भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं।
- **स्कंद षष्ठी का त्यौहार**
  - स्कंद षष्ठी का त्योहार तमिलनाडु एवं कुछ अन्य राज्यों में दस दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है।
  - तिरुचेंदूर में स्थित भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में, इन दिनों एक भव्य उत्सव मनाया जाता है एवं त्योहार के समापन के लिए भगवान स्कंद द्वारा सुर संहार या राक्षसों की हत्या की घटना को आज तक अभिनीत किया जाता है।
  - भक्त इस भव्य आयोजन को देखने एवं भगवान स्कंद का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं।

कैसे मनाया गया सूरसंहारम उत्सव?

- स्कंद षष्ठी के दौरान, अनुयायी छह दिवसीय उपवास का पालन करते हैं जो चंद्र मास कार्तिक के प्रथम दिन पिराथमई से आरंभ होता है एवं छठे दिन सूरसंहारम पर समाप्त होता है।
- छह दिवसीय उत्सव का अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन सूर्य संहारम के नाम से जाना जाता है।
- प्रत्येक वर्ष, बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में सूरसंहारम का त्योहार आयोजित किया जाता है, क्योंकि भगवान मुरुगन ने इस दिन राक्षस सुरपद्मन को मार डाला था, जिससे विश्व में शांति आई थी।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पंचमी तिथि एवं षष्ठी तिथि को सूरसंहारम व्रतम के लिए दिन का चयन करते समय संयुग्मित किया जाता है।
- अतः, यदि पंचमी तिथि को सूर्यास्त से पूर्व षष्ठी तिथि आरंभ हो जाती है, तो सभी मंदिर कांड षष्ठी का पालन करते हैं।

तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के छह धाम

- भगवान मुरुगा के छह महलों को अरुपड़ाई वीदु कहा जाता है जिसका अनुवाद में अर्थ "भगवान के छह युद्ध गृह" होता है। ये छह महल संपूर्ण विश्व से हजारों अनुयायियों को आकर्षित करते हैं, हालांकि मुरुगा को समर्पित अनगिनत मंदिर हैं, जो भगवान शिव एवं मां पार्वती के पुत्र हैं। मुरुगा को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे कार्तिकेय, सुब्रमण्यम, कुमारन, इत्यादि।
- तमिलनाडु में, इन छह विशिष्ट मंदिरों को भक्तों के बीच अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

- मुरुगन के छह सबसे पवित्र महलों का उल्लेख, थिरुमुरुगत्रुपदाई, नक्कीरर द्वारा लिखित एवं थिरुप्पुगज़ में, अरुणगिरिनाथर द्वारा लिखित तमिल संगम साहित्य में किया गया था।
- **मुरुगन के छह सर्वाधिक पवित्र महल (निवास) हैं:**
  - तिरुपरणकुंद्रम में अरुल्मिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर
  - पझामुदिर चौलाई में अरुलमिगु सोलैमलाई मुरुगन मंदिर
  - पलानी में अरुल्मिगु धनदायूंथापनी स्वामी मंदिर
  - स्वामीनाथ स्वामी मंदिर, स्वामीमलाई
  - तिरुचेंदूर, तूतीकोरिन
  - तिरुचेंदूर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर।

थिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर में सूरसंहारम उत्सव 2022

- जबकि सूरसंहारम मनाने के कई तरीके हैं, तिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार अत्यंत भव्य है।
- तिरुचेंदूर मंदिर, भगवान मुरुगा (अरुपदाई वेदु) के छह महलों में से दूसरा होने के कारण प्रसिद्ध है कि विभिन्न स्थलों से पांच से सात लाख से अधिक भक्तों ने यहां 'सूरसंहारम' देखा।
- यह त्यौहार मंदिर द्वारा छह दिनों के दौरान मनाया जाता है, जो सूरसंहारम के दिन समाप्त होता है।
- इस वर्ष भी, छह दिवसीय 'कांडा षष्ठी' उत्सव के एक भाग के रूप में, समारोह 25 अक्टूबर को यज्ञ शाला पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। मंदिर को प्रकाशित (रोशन) किया गया था एवं 'सूरसंहारम' इस छह दिवसीय उत्सव का मुख्य आकर्षण था। थिरु कल्याणम सूरसंहारम के अगले दिन मनाया जाता है।
- प्रत्येक दिन, गर्भगृह को प्रातः 3 बजे खोला जाता था एवं 'विश्वरूप' दर्शन के बाद, पीठासीन देवताओं के लिए उदय मर्थंद अभिषेकम किया जाता था।
- लगभग 50 मिनट का कार्यक्रम (सूरार वधम) सुरपद्मन के नेतृत्व में राक्षसों के वध का प्रतिबिंब था, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक था।
- 'सूरसंहारम' के बाद, अनेक भक्तों ने समुद्र में पवित्र डुबकी लगाई।
- देवताओं - वल्ली दीवानई एवं जयंतीनाथर को 'सूरसंहारम' समाप्त होने के पश्चात 'संतोष' मंडपम में लाया गया था।
- 'कांडा षष्ठी' का अंतिम दिन - 31 अक्टूबर - मंदिर में होने वाली दिव्य विवाह का साक्षी बनेगा।

विविध

होमी जहांगीर भाभा

30 अक्टूबर को डॉ. होमी जे. भाभा की जयंती थी।

होमी जहांगीर भाभा कौन हैं?

- होमी जहांगीर भाभा (30 अक्टूबर, 1909 - 24 जनवरी, 1966) का जन्म बॉम्बे के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था।
- भाभा के परिवार में शिक्षा के क्षेत्र में सीखने तथा सेवा करने की एक लंबी परंपरा रही है।
- होमी जहांगीर भाभा को अधिकांशतः भारत के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है।
- यद्यपि, भारत के विकास में उनका योगदान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से कहीं अधिक आगे तक जाता है।
- उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) एवं परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्रॉम्बे (जिसे भाभा की मृत्यु के पश्चात भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर/BARC) के रूप में नाम दिया गया था) नामक दो महान अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की थी।

प्रमुख कार्य

- उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भाभा एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं एक शानदार अभियंता थे।
- उन्होंने इलेक्ट्रॉनों द्वारा पॉज़िट्रॉन के प्रकीर्णन की संभाव्यता के लिए एक सही अभिव्यक्ति प्राप्त की, एक प्रक्रिया जिसे अब भाभा प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है।
- 1937 में प्रकाशित डब्ल्यू. हेइटलर के साथ संयुक्त रूप से उनके उत्कृष्ट शोध पत्र (क्लासिक पेपर) ने वर्णन किया कि कैसे अंतरिक्ष से प्राथमिक ब्रह्मांडीय किरणें ऊपरी वायुमंडल के साथ अंतः क्रिया करके जमीनी स्तर पर देखे गए कणों का उत्पादन करती हैं।
- भाभा एवं डब्ल्यू. हेइटलर ने गामा किरणों के सोपानी उत्पादन और धनात्मक एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा ब्रह्मांडीय किरण बौछार के निर्माण की व्याख्या की।
- 1938 में भाभा ने प्रथम बार यह निष्कर्ष निकाला था कि ऐसे कणों के गुणों के अवलोकन से अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का सीधा प्रायोगिक सत्यापन होगा।
- भाभा के पास उच्चतम कोटि के संवेदनशील तथा प्रशिक्षित कलात्मक उपहार थे। जिस वातावरण में उनका पालन-पोषण हुआ, उसने निश्चित रूप से इन सभी उत्तम गुणों को विकसित करने में उनकी सहायता की।

भाभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान

- सापेक्षवादी विनिमय प्रकीर्णन अथवा रिलेटिविस्टिक एक्सचेंज स्कैटरिंग (भाभा स्कैटरिंग) की व्याख्या।
- ब्रह्मांडीय किरणों में इलेक्ट्रॉन एवं पॉज़िट्रॉन वर्षण के उत्पादन का सिद्धांत (भाभा-हेइटलर सिद्धांत)।
- युकावा कण के बारे में हनुमान जिससे संबंधित मेसन नाम का उनका सुझाव था।
- मेसन के क्षय में सापेक्षतावादी समय विस्फारण प्रभावों की भविष्यवाणी।

भाभा के शोध कार्य के महत्व के बारे में सेसिल फ्रैंक पॉवेल (1903-1969) जिन्हें भौतिकी के लिए 1950 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ने लिखा: "होमी भाभा ने हमारी समझ में निर्णायक योगदान दिया कि वे (वर्षण) विद्युत चुम्बकीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में कैसे विकसित हुए। वह इस समय उन प्राथमिक कणों को ध्यान में रखने के अपने प्रयासों के लिए भी जाने जाते थे, जिन्हें तब समूह सिद्धांत (ग्रुप थ्योरी) का उपयोग करके एक विधि द्वारा अस्तित्व में जाना जाता था। इस प्रकार वह गेल-मान एवं अन्य द्वारा इसी तरह के उद्देश्य के लिए अनेक वर्षों बाद उपयोग की जाने वाली उन विधियों के अत्यंत आरंभिक प्रतिपादक थे। मेरे मित्र, लियोपोल्ड इन्फेल्ड का कहना है कि वह एक प्रतिष्ठित एवं सुरुचिपूर्ण सिद्धांतकार थे तथा उनके शोध पत्र सदैव पूर्ण रूप से स्वीकार्य रूप में लिखे गए थे।"

- भाभा ने ही 'मेसन' नाम का सुझाव दिया था जो अब प्राथमिक कणों के एक वर्ग के लिए उपयोग किया जाता है। जब कार्ल डेविड एंडरसन (1905-91) ने ब्रह्मांडीय विकिरण में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान के साथ एक नए कण की खोज की, तो उन्होंने इसे 'मेसोटोन' नाम दिया, जिसे बाद में मिलिकन के परामर्श पर उनके द्वारा मेसोट्रॉन में बदल दिया गया। भाभा ने अपनी रचना 'ए शॉर्ट नोट टू नेचर' में (फरवरी 1939) 'मेसन' नाम का प्रस्ताव दिया।

होमी जहांगीर भाभा: एक बहुआयामी व्यक्तित्व

- उन्हें संगीत एवं नृत्य में रुचि थी। उन्हें भारतीय एवं पश्चिमी संगीत दोनों का अत्यधिक ज्ञान था।
- उन्होंने चित्रांकन एवं स्केच भी किया। उन्होंने नाटकीय प्रस्तुतियों का एक समूह तैयार किया। वह बिना किसी क्षमता के एक वास्तुकार थे। भाभा एक पूर्णतावादी थे।
- वह वृक्षों के एक वास्तविक प्रेमी थे तथा उन्होंने अपनी क्षमता के तहत उनकी रक्षा के लिए सब कुछ किया।

होमी जहांगीर भाभा: एक शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं संस्कृतिविद्

- एक के बाद एक यूनेस्को सम्मेलन में, वह भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य विशिष्ट सदस्यों के मध्य भी विशिष्ट

दिखते थे, एक विश्व नागरिक के रूप में जो तीनों विषयों - शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति में योग्य थे - सम्मेलन का संभवतः ही कोई अन्य सदस्य था।
- वह वास्तव में संगठन के नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट विकल्प थे यदि वह उस तरह से प्रवृत्त अनुभव करते थे।

होमी जहांगीर भाभा: भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक

- डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। डॉ. भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान अनुसंधान करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की।
- राष्ट्र के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को और गहन करने के लिए, डॉ. भाभा ने जनवरी 1954 में भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक एक बहु-विषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्रॉम्बे (एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, ट्रॉम्बे AEET) की स्थापना की।
- 1966 में भाभा के दुखद निधन के बाद, AEET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) कर दिया गया।
- डॉ. भाभा ने परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के विस्तार की कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीएआरसी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की।

भाभा के अपने शब्दों में "जब परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक अनुप्रयुक्त किया गया है, तो अब से कुछ दशकों के बाद, भारत को अपने विशेषज्ञों के लिए विदेशों में नहीं देखना होगा, किंतु उन्हें पास में तैयार करना होगा"।

- डॉ. भाभा ने परमाणु विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर बल दिया।
- BARC अनुसंधान एवं विकास संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च/IGCAR), राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (RRCAT), वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (VECC) इत्यादि की जननी है, जो अग्रणी कार्य का संपादन करते हैं।

भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या आवश्यक समझा?

भारत के परमाणु कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए भाभा ने जिन पहली तीन चीजों को आवश्यक समझा, वे थीं:

- प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए रुचि की सामग्री जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट इत्यादि। इसे प्राप्त करने के लिए एक विशेष इकाई दाराशॉ नौशेरवान वाडिया (1883-1969) की मदद से दिल्ली में दुर्लभ खनिज प्रभाग बनाया गया था।
- उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान वैज्ञानिकों को सुविधाएं प्रदान करके तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर आधारिक विज्ञान विशेष रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में मजबूत अनुसंधान स्कूलों का विकास।
- विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में यंत्र विन्यास (इंस्ट्रूमेंटेशन) के लिए एक कार्यक्रम का विकास। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन एकक नामक एक इकाई प्रारंभ की गई थी, जिसने बाद में हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के नाम से जाने जाने वाले बड़े निगम का केंद्र बनाया।

होमी जहांगीर भाभा: प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

- 1941 में भाभा को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया।
- 1943 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा कॉस्मिक किरणों पर उनके शोध कार्य के लिए एडम्स पुरस्कार एवं 1948 में कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी के हॉपकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 1963 में उन्हें यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का विदेशी सहयोगी तथा न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज का मानद आजीवन सदस्य चुना गया।
- 1964 में उन्हें रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, मैड्रिड का विदेशी तत्स्थानी अकादमिक सदस्य बनाया गया।
- 1960 से 1963 तक वह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स के अध्यक्ष थे।
- वे अगस्त, 1955 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे।
- भाभा 1963 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष एवं 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया।

जतिंद्र नाथ दास

जतिंद्र नाथ दास, जिन्हें व्यापक रूप से जतिन दास के नाम से जाना जाता है, बंगाल के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 1904 में इसी दिन (27 अक्टूबर) हुआ था।

जतिंद्र नाथ दास: जतिंद्र नाथ दास कौन थे?

- जतिंद्र नाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक बंदियों के लिए अल्पायु में काम किया।

- एक प्रेरणादायक स्वतंत्रता सेनानी, मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा एक उत्कट क्रांतिकारी होने के नाते, वह अनुशीलन समिति (20वीं सदी का भारतीय क्रांतिकारी संगठन) में सम्मिलित हो गए थे।
- उन्होंने भगत सिंह एवं हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन (एचआरएसए) के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग किया।
- जब वे 17 वर्ष के थे, तब वे गांधीजी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए थे।

जतिंद्र नाथ दास: प्रारंभिक जीवन

- जतिंद्रनाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में हुआ था।
- दास जब 9 वर्ष के थे तब उनकी माता सुहासिनी देवी का स्वर्गवास हो गया था।
- जतिंद्र का पालन-पोषण उनके पिता ने किया था। इनके अध्ययन काल के दौरान गांधीजी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तथा जतिंद्र भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया।
- जब आंदोलन मंद पड़ गया, तो दास को अन्य क्रांतिकारियों के साथ रिहा कर दिया गया। इसके बाद जतिंद्र ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। हालांकि उस दौरान भी देश को स्वतंत्र कराने का जोश एवं जुनून कम नहीं हुआ था.

जतिंद्र नाथ दास: क्रांतिकारी विचारधारा से अत्यंत प्रभावित

- जतिन नाथ दास क्रांतिकारी नेता शचींद्रनाथ सान्याल से मिले जिन्होंने जतिंद्रनाथ दास को अत्यधिक प्रभावित किया।
- वह उनसे निरंतर संपर्क में रहे। जब शचींद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, तो दास ने इसके गठन तथा इसे सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- शीघ्र ही जतिंद्र ने अपने बलिदान एवं अदम्य साहस से संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया।
- शचींद्रनाथ सान्याल के अतिरिक्त वे अनेक अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए।
- उस दौरान उसने बम बनाना सीखा। इसके अलावा, 1925 में, उन्हें काकोरी कांड के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया।

जतिंद्र नाथ दास: भगत सिंह के सहायक

- जतिंद्र नाथ दास भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के करीबी मित्रों में से एक थे।
- सुभाष चंद्र बोस से भी अत्यंत समीपता से संबंधित थे। 1928 में, जतिंद्र नाथ दास ने कोलकाता में कांग्रेस में रहते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताजी के साथ काम किया।
- भगत सिंह ब्रिटिश शासन को अस्थिर करने की योजना बना रहे थे। वह सभा में बम फेंक कर बहरी सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने जतिंद्रनाथ दास को चुना जिन्हें बम बनाने के लिए आगरा में आमंत्रित किया गया था।
- भगत सिंह के आमंत्रण को मानकर जतिन्द्र कोलकाता से आगरा आ गए। उनके द्वारा बनाए गए बम का इस्तेमाल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 के असेंबली बम मामले में किया था।

जतिंद्र नाथ दास: 63 दिन का उपवास

- 14 जून, 1929 को, जतिन को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था एवं लाहौर जेल में भगत सिंह तथा अन्य लोगों के साथ पूरक लाहौर षड्यंत्र मामले के तहत मुकदमा चलाने के लिए कैद किया गया था।
- लाहौर जेल में, दास ने 15 जून, 1929 को, यूरोप के लोगों के साथ भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए समानता की मांग करते हुए अन्य क्रांतिकारी सेनानियों के साथ भूख हड़ताल प्रारंभ की।
- भगत सिंह एवं अन्य कैद स्वतंत्रता सेनानियों ने भी लाहौर सेंट्रल जेल में यह भूख हड़ताल की। जतिंद्र दास को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए अनेक अमानवीय अत्याचारों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन अत्याचारों के कारण उसके फेफड़े खराब हो गए तथा लकवा उसके शरीर के अंगों में फैलने लगा। फिर भी उन्होंने अनशन जारी रखा।
- उनकी स्थिति तथा लोगों के बीच अपार लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए एक जेल समिति का गठन किया गया था। उनकी रिहाई के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया था किंतु समिति ने इसे खारिज कर दिया था।
- जतिंद्र नाथ दास ने 1929 में 25 वर्ष की छोटी आयु में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 63 दिनों के लंबे अनशन के बाद अंतिम सांस ली।
- सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्र का 'युवा दधीचि' कहा (प्राचीन भारतीय ऋषि, जिन्होंने एक नेक कार्य के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दिया था)।

मानव विकास पर शोध कार्य के लिए चिकित्सा का नोबेल

स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पाबो ने मानव विकास पर अपनी खोजों के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता, जिसने हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की एवं जो हमें हमारे विलुप्त पूर्वजों की तुलना में विशिष्ट बनाती है।

स्वांते पाबो: उनका शोध कार्य, व्याख्यायित

- स्वांते पाबो की मौलिक एवं प्रभावी खोजें हमें यह पता लगाने का आधार प्रदान करती हैं कि हमें विशिष्ट रूप से मानव क्या बनाता है।
- होमिनिन वानरों की वर्तमान में-विलुप्त प्रजातियों का उल्लेख करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आधुनिक मनुष्यों से संबंधित थे, साथ-ही-साथ स्वयं आधुनिक मनुष्य भी उनसे संबंधित हैं।

- पाबो ने पाया कि लगभग 70,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से बाहर प्रवास के पश्चात इन अब विलुप्त होमिनिन्स से होमो सेपियन्स में जीन स्थानांतरण हुआ था।
- आज के मनुष्यों के लिए जीन के इस प्राचीन प्रवाह की आज शरीर क्रियात्मक प्रासंगिकता है, उदाहरण के लिए कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमणों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है।
- पाबो ने एक पूर्ण रूप से एक नवीन वैज्ञानिक विधा की स्थापना की, जिसे पुरा-जेनोमिक्स (पैलियोजेनोमिक्स) कहा जाता है जो पुनर्निर्माण के माध्यम से विलुप्त होमिनिन के डीएनए एवं आनुवंशिक सूचनाओं का अध्ययन करने पर केंद्रित है।

उद्विकास एवं जीव विज्ञान के बीच क्या संबंध है?
• पाबो की खोजों ने एक विशिष्ट संसाधन स्थापित किया है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक समुदाय द्वारा मानव उद्विकास तथा प्रवास को बेहतर ढंग से समझने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।
• अब हम समझते हैं कि हमारे विलुप्त संबंधियों से पुरातन जीन अनुक्रम वर्तमान मनुष्यों के शरीर क्रिया विज्ञान को प्रभावित करते हैं।

पाबो ने संबंध कैसे स्थापित किया?

- पाबो ने जर्मनी के डेनिसोवा गुफाओं में निएंडरथल के अवशेषों से विलुप्त होमिनिन्स से अस्थि के नमूनों से डीएनए का निष्कर्षण किया।
- अस्थि में असाधारण रूप से उचित प्रकार से से संरक्षित डीएनए मौजूद था, जिसे उनके दल ने अनुक्रमित किया था।
- यह पाया गया कि निएंडरथल मानव एवं वर्तमान मनुष्यों के सभी ज्ञात अनुक्रमों की तुलना में यह डीएनए अनुक्रम विशिष्ट था।
- विश्व के विभिन्न हिस्सों से समकालीन मनुष्यों के अनुक्रमों की तुलना से ज्ञात होता है कि जीन प्रवाह, या प्रजातियों के मध्य अनुवांशिक सूचना का मिश्रण, डेनिसोवा एवं होमो सेपियंस - आधुनिक मानवों की प्रजातियों के मध्य भी हुआ था।
- यह संबंध प्रथम बार मेलनेशिया (ऑस्ट्रेलिया के पास) तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में आबादी में देखा गया था, जहां व्यक्ति 6% डेनिसोवा डीएनए तक धारण करते हैं।
- EPAS1 जीन का डेनिसोवन संस्करण उच्च ऊंचाई पर जीवित रहने के लिए एक लाभ प्रदान करता है एवं वर्तमान तिब्बतियों में आम है।

इस तरह के शोध को क्रियान्वित करने में क्या चुनौतियां हैं?

- इस तरह के शोध को क्रियान्वित करने में अत्यधिक तकनीकी चुनौतियां हैं क्योंकि समय के साथ डीएनए रासायनिक रूप से रूपांतरित हो जाता है एवं छोटे खंडों में अवक्रमित हो जाता है।
- मुख्य मुद्दा यह है कि हजारों वर्षों के पश्चात डीएनए की केवल थोड़ी मात्रा ही शेष होती है एवं प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आने से डीएनए संदूषित हो जाता है।
- निएंडरथल हमारे जैसे मानव थे, किंतु वे होमो निएंडर थेलेंसिस नामक एक पृथक प्रजाति थे।
- डेनिसोवन्स के नाम से जाने जाने वाले एशियाई लोगों के साथ, निएंडरथल हमारे सर्वाधिक करीबी प्राचीन मानव संबंधी हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि हमारी दो प्रजातियों का पूर्वज एक समान थे।
- जीवाश्म तथा डीएनए दोनों के वर्तमान साक्ष्य बताते हैं कि निएंडरथल एवं आधुनिक मानव वंश कम से कम 500,000 साल पूर्व अलग हो गए थे। कुछ अनुवांशिक अंशशोधन लगभग 650, 000 वर्ष पूर्व अपना विचलन रखते हैं।
- सर्वाधिक प्रसिद्ध निएंडरथल लगभग 130,000 एवं 40,000 साल पूर्व अस्तित्व में थे, जिसके बाद उनके सभी भौतिक प्रमाण विलुप्त हो जाते हैं।
- वे यूरोप एवं एशिया में विकसित हुए जबकि आधुनिक मानव - हमारी प्रजाति, होमो सेपियन्स - अफ्रीका में विकसित हो रहे थे।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022

हाल ही में, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, MyGov.in के साथ साझेदारी में आयुर्वेद दिवस 2022 समारोह के एक भाग के रूप में एक लघु वीडियो बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।

- प्रतिभागी थीम पर हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में 03 मिनट से अधिक का वीडियो सबमिट कर सकते हैं।

आयुर्वेद दिवस 2022

- **आयुर्वेद दिवस 2022 के बारे में:** आयुष मंत्रालय, भारत सरकार 2016 से प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि जयंती (धनतेरस) के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाती है।
- **आयुर्वेद दिवस की तिथि:** इस वर्ष आयुर्वेद दिवस 2022, 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा।
- **थीम:** आयुर्वेद दिवस, 2022 के उत्सव का विषय 'हर दिन हर घर आयुर्वेद' है। आयुर्वेद दिवस 2022 के विभिन्न अन्य थीम
  - **थीम 1:** मेरे दिन में आयुर्वेद।
  - **थीम 2:** मेरी रसोई में आयुर्वेद।
  - **थीम 3:** मेरे बगीचे में आयुर्वेद।
  - **थीम 4:** मेरे खेतों में आयुर्वेद।
  - **थीम 5:** मेरे भोजन/आहार में आयुर्वेद।
- **उद्देश्य:** देश के लोगों के मध्य इस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने हेतु आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है।
- **भागीदारी:** आयुष मंत्रालय भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मंत्रालयों तथा विभागों के सहयोग से इस वर्ष का उत्सव मना रहा है।
- **विजेता:** प्रत्येक थीम से शीर्ष 3 विजेताओं का चयन किया जाएगा।
  - **प्रथम पुरस्कार:** 75,000/- रुपए
  - **द्वितीय पुरस्कार:** 50,000/- रुपए
  - **तृतीय पुरस्कार:** 25,000/- रुपए

आयुर्वेद दिवस 2022- समय सारिणी

प्रारंभ तिथि	30 सितंबर 2022
समापन तिथि	10 अक्टूबर 2022

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022

कार्यक्रम	**राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022**
दिनांक	23 अक्टूबर, 2022
दिवस	रविवार
घोषित करने वाला निकाय	आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
मनाया जाएगा	भारत के नागरिकों द्वारा
उत्सव का उद्देश्य	देश के लोगों के मध्य इस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने हेतु।

साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022

साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में फ्रांसीसी लेखक एनी अर्नाक्स को प्रदान किया गया, जो वर्ग एवं लिंग के व्यक्तिगत अनुभव पर अपने भ्रामक सरल उपन्यासों के लिए जानी जाती हैं।

- साहित्य 2022 में नोबेल पुरस्कार अर्नाक्स को "साहस तथा नैदानिक तीक्ष्णता के लिए प्रदान किया गया था जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की बुनियादों, व्यवस्थाओं एवं सामूहिक प्रतिबंधों को अनावरित करती है"।

कौन हैं एनी अर्नाक्स?

- एनी अर्नाक्स एक फ्रांसीसी नागरिक हैं। एनी अर्नाक्स 82 वर्ष की हैं। अर्नाक्स का जन्म 1940 में हुआ था तथा वह नॉर्मंडी के एक छोटे से शहर यवेटोट में एक मजदूर वर्ग के कैथोलिक परिवार में पली-बढ़ी थी, जहाँ उसके माता-पिता की किराने की दुकान एवं कैफे था।
- उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से अनेक पुस्तकें, दशकों से फ्रांस में विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें हैं।
- उनके लेखन आधुनिक फ्रांस के सामाजिक जीवन में सर्वाधिक सूक्ष्म, अंतर्दृष्टि पूर्ण झरोखों में से एक प्रदान करते हैं।
- व्यक्तिगत अनुभव सुश्री अर्नाक्स की सभी रचनाएं का स्रोत हैं एवं वह फ्रांस की "ऑटोफिक्शन" शैली की अग्रणी हैं, जो वास्तविक जीवन के अनुभव को कथात्मक रूप प्रदान करती हैं।
- 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने जिन अनुभवों के बारे में लिखा- एक अवांछित गर्भावस्था एवं गर्भपात, उनके प्रेम संबंध, विवाह तथा मातृत्व के बारे में उनकी महत्वाकांक्षा- कुछ सामाजिक रूढ़िवादियों द्वारा चौंकाने वाले माने जाते थे, किंतु पाठकों के एक व्यापक समूह के साथ गहराई से गूंजते थे।

साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार

- साहित्य में उत्कृष्ट रचना के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार।
- साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रथम बार 1901 में स्वीडिश विद्वान समाजों के सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया था।
  - यह प्रथम बार सुली प्रुधोम द्वारा जीता गया था, "उनकी काव्य रचना की विशेष मान्यता में, जो उच्च आदर्शवाद, कलात्मक पूर्णता तथा हृदय एवं प्रज्ञा दोनों के गुणों के दुर्लभ संयोजन का प्रमाण देता है"।
- दिलचस्प बात यह है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 114 बार 118 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 1901 एवं 2021 के मध्य उनकी पूरी रचनाओं के लिए प्रदान किया गया है, न कि मात्र उनकी एक रचना के लिए।

साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के विगत विजेताओं की सूची

- **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021:** यह तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुलराजाक गुरनाह को "संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के मध्य की खाई में उपनिवेशवाद के प्रभावों तथा शरणार्थी के भाग्य के उनके अडिग एवं करुणामय प्रवेश के लिए" से सम्मानित किया गया था।
- **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020:** अमेरिकी कवि लुईस ग्लक ने साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता।
  - जूरी के अनुसार, लुईस ग्लक ने इसे "अपनी अचूक काव्य स्वर के लिए जीता है जो कि आडंबरहीन सुंदरता के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है"।
- **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019:** साहित्य के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को "एक प्रभावशाली रचना के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें भाषाई सरलता के साथ उपांत एवं मानव अनुभव की विशिष्टता का पता लगाया गया है"।
- **साहित्य के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार:** यह पोलैंड के (पोलिश) लेखक ओल्गा टोकारजुक को "एक कथात्मक कल्पना के लिए दिया गया था कि अतिव्यापक मनोभाव के साथ जीवन के एक रूप के रूप में सीमाओं को पार करने का प्रतिनिधित्व करता है"।
- **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017:** यह जापानी-अमेरिकी लेखक काजुओ इशिगुरो द्वारा जीता गया था।
  - जूरी ने कहा कि उनकी रचना "एक महान भावनात्मक शक्ति बन गई है एवं विश्व के साथ संबंध की हमारी भ्रामक भावना के नीचे रसातल को उजागर किया है"।
- **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2016:** यह अमेरिकी गायक-गीतकार बॉब डायलन को "महान अमेरिकी गीत परंपरा के भीतर नई काव्य अभिव्यक्ति के निर्माण हेतु" प्रदान किया गया था।

- **साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2015:** स्वेतलाना अलेक्सिएविच ने साहित्य में 2015 का नोबेल पुरस्कार "उनके बहुस्वर (पॉलीफोनिक) लेखन, हमारे समय में पीड़ा एवं साहस के लिए एक स्मारक" के लिए जीता।
- **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2014:** यह पैट्रिक मोदियानो को "स्मृति की कला के लिए प्रदान किया गया था, जिसके साथ उन्होंने सर्वाधिक अगोचर मानव नियति उत्पन्न की एवं व्यवसाय की जीवन-दुनिया को अनावरित किया"।
- **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2013:** यह एलिस मुनरो द्वारा जीता गया था। जूरी के वक्तव्य में कहा गया है कि वह "समकालीन लघु कहानी की मास्टर" हैं।
- **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2012:** चीनी लेखक मो यान ने साहित्य 2012 में नोबेल पुरस्कार जीता। स्वीडिश अकादमी के अनुसार, लेखक "मतिभ्रम यथार्थवाद के साथ लोक कथाओं, इतिहास एवं समसामयिक को संयोजित करता है"।

स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार 2022

10 अक्टूबर को, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अल्फ्रेड नोबेल 2022 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार के विजेताओं के नामों का अनावरण किया।

- अल्फ्रेड नोबेल 2022 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार बेन एस बर्नान्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच. डायविग को "बैंकों एवं वित्तीय संकटों पर शोध के लिए" प्रदान किया गया था।
- 1930 के दशक की महामंदी ने अनेक वर्षों तक संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना दिया तथा इसके व्यापक सामाजिक दुष्परिणाम हुए। हालांकि, इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं से अनुसंधान अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद, हमने उत्तरवर्ती वित्तीय संकटों को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया है। उन्होंने व्यापक बैंक पतन को रोकने के महत्व का प्रदर्शन किया है।

स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार: Sveriges Riksbank Prize क्या है?

- 1968 में अपने शताब्दी समारोह के संयोजन में, स्वेरिग्स रिक्सबैंक (स्वीडन के केंद्रीय बैंक) ने बैंक द्वारा एक आर्थिक प्रतिबद्धता के आधार पर एक नवीन पुरस्कार, "अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार" की स्थापना की।
- यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार प्रदान किया जाता है, जो 1901 से दिए गए नोबेल पुरस्कारों के लिए निर्धारित हैं।

बैंकों एवं वित्तीय संकटों पर शोध को नोबेल क्यों प्रदान किया गया?

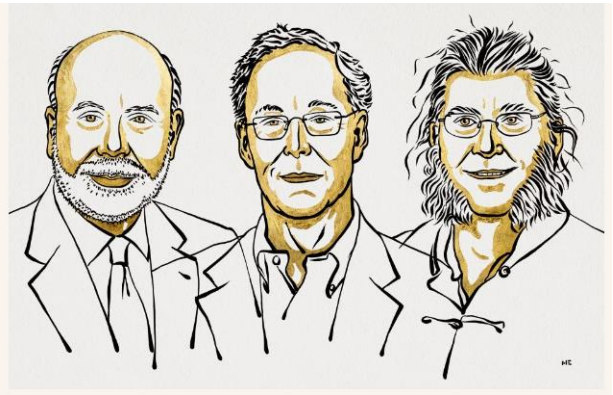

- इस वर्ष अर्थशास्त्र में सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार/नोबेल बर्नान्के, डायमंड एवं डायविग को उनके "बैंकों तथा वित्तीय संकटों पर शोध" के लिए प्रदान किया गया है, जो 1980 के दशक की शुरुआत में किए गए थे, जिन्होंने आधुनिकतम बैंकिंग अनुसंधान की नींव रखी है।
- लगभग चार दशक पूर्व के उनके विश्लेषण, अभी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु बैंकों की जीवन शक्ति पर बल देने के प्रयासों को सूचित करते हैं, संकट की अवधि के दौरान उन्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए संभावित तंत्र तथा बैंकों का धराशायी होना किस तरह एक बड़े वित्तीय संकट को बढ़ावा दे सकता है जो अर्थव्यवस्थाओं को परेशान कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, उनका कार्य युक्तिसंगत सिद्धांत के दायरे से परे चला गया और वित्तीय बाजारों को विनियमित करने तथा संकट को रोकने अथवा निपटने में महत्वपूर्ण व्यावहारिक सिद्ध हुआ है।

स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार: उन्हें अब क्यों चयनित किया गया है?

- विश्व अर्थव्यवस्था एक नवीन संकट के दौर से गुजर रही है, ठीक वैसे ही जैसे वह कोविड-19 महामारी से प्रेरित निर्गम से उभर रही थी।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मोनेटरी फंड/IMF) ने चेतावनी दी है कि 'सर्वाधिक खराब स्थिति अभी शेष है' तथा अनेक देशों के लिए मंदी की स्थिति है, क्योंकि यूरोप में युद्ध भोजन तथा ऊर्जा की चिंताओं से उत्पन्न 'जीवन निर्वाह' संकट के मध्य फैला हुआ है।
- इन अर्थशास्त्रियों के निष्कर्ष 'नीति निर्माताओं के लिए अत्याधिक मूल्यवान' सिद्ध हुए हैं, जैसा कि केंद्रीय बैंकों एवं वित्तीय नियामकों द्वारा हाल के दो प्रमुख संकटों- महान मंदी [2007-09 के मध्य वैश्विक वित्तीय संकट से प्रेरित जब छाया बैंक जैसे लेहमैन ब्रदर्स का पतन हुआ था] एवं आर्थिक मंदी जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई थी, का सामना करने में की गई कार्रवाइयों से स्पष्ट है, 'यह रेखांकित किया।

भारत के लिए बैंकों एवं वित्तीय संकटों पर शोध का महत्व?

- भारतीय परिवारों के साथ-साथ नीति निर्माता सभी, हाल के दिनों में बैंक की विफलताओं, निजी तौर पर संचालित किए जा रहे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की परेशानी से लेकर कई सहकारी बैंकों में निकासी पर रोक तक से परिचित हैं।
- बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार तथा नियामक अंतःक्षेपों में उच्च जमा बीमा कवर, कमजोर उधारदाताओं के अधिग्रहण की सुविधा एवं डूबे हुए ऋणों पर लगाम लगाने के कदम सम्मिलित हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं के कार्य से प्राप्त प्रमुख सीख को भारतीय अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है।
- किंतु जैसा कि सरकार बड़े निवेश एवं उच्च विकास के वित्तपोषण के लिए वृहत संस्थाओं का निर्माण करने हेतु उधारदाताओं को समेकित करने के उद्देश्य से बैंकों के निजीकरण का प्रयास करती है, वित्तीय क्षेत्र में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए अत्यधिक नियामक एवं विधायी सतर्कता आवश्यक है।

संपादकीय विश्लेषण

ए न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन

लाइफ (LIFE) का दृष्टिकोण श्री मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ आरंभ किए गए वैश्विक मिशन के रूप में उड़ान भर रहा है, जो अपना समर्थन प्रदर्शित करने हेतु भारत आए हैं।

- प्रधानमंत्री एवं संयुक्त राष्ट्र महासचिव संपूर्ण विश्व के समस्त उपभोक्ताओं से 2027 तक "प्रो प्लेनेट पीपल" बनने का आह्वान कर रहे हैं, साधारण जीवन शैली में बदलाव को अपनाते हुए जो सामूहिक रूप से परिवर्तनकारी परिवर्तन ला सकते हैं।

आज विश्व किन संकटों का सामना कर रहा है?

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि विगत दो वर्षों में अधिकांश देशों में वैश्विक मानव विकास उपायों में गिरावट आई है।
- **विभिन्न चुनौतियाँ:** हमारा विश्व आज उथल-पुथल में है, अनेक, परस्पर प्रबल संकटों का सामना कर रहा है।
  - यहां तक कि जब हम कोविड-19 महामारी से एक नाजुक पुनर्प्राप्ति से गुजर रहे हैं, युद्ध ऊर्जा, भोजन एवं जीवन निर्वाह के लिए एक विनाशकारी संकट उत्पन्न करता है।
- **तिहरा पार्थिव संकट/ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस:** विश्व आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता की हानि के ट्रिपल प्लेनेटरी संकट का सामना कर रहा है।
- **मौसम की चरम घटनाओं में वृद्धि:** रिकॉर्ड पर सर्वाधिक गर्म वर्षों में से नौ पिछले एक दशक में ही आए हैं।
  - इस वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें, बाढ़, सूखा तथा मौसम के अन्य चरम रूपों ने हमें इन तीव्र विनाशकारी प्रभावों का सामना करने हेतु बाध्य किया है।
- जलवायु परिवर्तन एक बाधित विश्व में एक व्यवधान गुणक है, जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति को कम कर रहा है।
- **गैर-धारणीय उत्पादन पद्धति/अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड:** जबकि सरकारें एवं उद्योग जगत संकट का प्रत्युत्तर देने हेतु व्यापक हिस्से की जिम्मेदारी लेते हैं, हम उपभोक्ताओं के रूप में अ- सतत उत्पादन विधियों को संचालित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन- एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करना

- **LIFE के बारे में:** नवंबर 2021 में कॉप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित LIFE, या पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट), एक नवीन तथा अत्यंत आवश्यक परिप्रेक्ष्य लाता है।
- **विशिष्टता:** जलवायु परिवर्तन को 'जीवन से बड़ी' (लार्जर दैन लाइफ) चुनौती के रूप में तैयार करने के स्थान पर, LIFE यह मानता है कि छोटी-छोटी व्यक्तिगत क्रियाएं ग्रह के पक्ष में संतुलन बना सकती हैं।
- **प्रमुख व्यक्तिगत क्रियाएँ:** जीवन द्वारा विकसित किए गए सचेत विकल्प इस भावना को चेतन करते हैं - जैसे निम्नलिखित कार्रवाईयां-
  - घर पर ऊर्जा की बचत;
  - साइकिल चलाना एवं ड्राइविंग के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना;
  - अधिक पौधे आधारित खाद्य पदार्थ खाना एवं कम बर्बाद करना; तथा
  - ग्राहकों एवं कर्मचारियों के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए जलवायु के अनुकूल विकल्पों की मांग करना।
- **नज सिद्धांत का उपयोग:** जीवन के अनेक लक्ष्यों को सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए 'नज', सौम्य धारणा तकनीकों को नियोजित करके प्राप्त किया जा सकता है।
- LIFE मिशन यह भी मानता है कि उत्तरदायित्व योगदान के सापेक्ष है।
  - विश्व की सर्वाधिक निर्धन आधी आबादी में उत्सर्जन अभी भी सर्वाधिक समृद्ध लोगों के 1% से भी कम है।
  - प्रत्येक 'प्रो प्लैनेट' हितधारक को विभेदित दृष्टिकोणों के अनुसार प्रेरित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी): जलवायु परिवर्तन का मुकाबला

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम/यूएनईपी) सिद्ध प्रेरण तकनीकों को नियोजित करता है जैसे-
  - कैफेटेरिया में छोटी प्लेटों की पेशकश करके भोजन को व्यर्थ किए जाने को हतोत्साहित करना;
  - कोष्ठ आच्छादन (बिन लिड्स) को आकर्षक बनाकर पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को प्रोत्साहित करना; तथा
  - साइकिल पथ निर्मित कर साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करना।
- यूएनईपी के अनुसार, दो-तिहाई से अधिक हरितगृह गैस उत्सर्जन को घरेलू उपभोग एवं जीवन शैली के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
  - ये वैश्विक उत्सर्ज न में तत्काल कटौती हैं जिनकी हमें आवश्यकता है केवल हरित खपत व्यवहार को व्यापक रूप से अपनाने के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

लाइफ (LIFE) आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु भारत का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है?

- LIFE वैश्विक जलवायु न्याय के साथ प्रतिध्वनित होता है, भारत ने सबसे अधिक प्रभावित, फिर भी निम्न उत्तरदायी व्यक्तियों के

लिए जलवायु अनुकूलन एवं शमन का समर्थन करने हेतु विकसित देशों में उन बढ़े हुए दायित्वों को प्रकट करने का आह्वान किया है।

- एक उच्च आय वाले देश में एक व्यक्ति का औसत कार्बन फुटप्रिंट अल्पविकसित देश के एक व्यक्ति की तुलना में 80 गुना अधिक है।
  - यह सामान्य बोध है तथा विकसित विश्व से इस संक्रमण के आनुपातिक हिस्से का उत्तरदायित्व ग्रहण करने का आह्वान करना उचित है।
  - महात्मा गांधी के शब्दों में, " विश्व के पास सभी की आवश्यकताएं के लिए पर्याप्त है, किंतु सभी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है।"
- भारत के पास राष्ट्रीय मिशनों की आकांक्षाओं को संपूर्ण समाज के प्रयासों में रूपांतरित करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है।
  - स्वच्छ भारत मिशन की सफलता, जिसने सामाजिक-आर्थिक स्तर के व्यक्तियों एवं समुदायों को सामूहिक उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के चालक बनने हेतु प्रेरित किया, एक उदाहरण है।

वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व

वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व को मजबूत करने वाले कारक:

- कॉप 26 में श्री मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य,
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए समर्थन,
- आपदा प्रतिरोधी आधारिक संरचना के लिए गठबंधन एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग मंच
- नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत वाहनों (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) में भारी निवेश करने वाले जीवंत व्यवसायों के साथ विश्व की पांचवीं सर्वाधिक बृहद अर्थव्यवस्था,
- विश्व स्तरीय सार्वजनिक डिजिटल तकनीक का भंडार, भारत व्यापकता, विशेषज्ञता एवं वैधता लाता है;
- जी-20 एवं जी-77 के अंतराल को समाप्त करने वाला एक सुस्थापित संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य।

निष्कर्ष

- अगले महीने कॉप 27 के साथ एवं इसके सप्ताह के बाद भारत जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए तैयार है, इसके बाद आगामी वर्ष एजेंडा 2030 के बीच में, भारत जलवायु कार्रवाई के लिए LIFE का एक नया पट्टा देने के लिए तैयार है।

एन अनकाइंड हाइक

लघु बचत लिखतों में वृद्धि

भारत में बचत के लिए लघु बचत साधन महत्वपूर्ण साधन हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (भारतीय अर्थव्यवस्था) एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 3- भारतीय अर्थव्यवस्था-योजना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे) के लिए लघु बचत साधन महत्वपूर्ण हैं।

लघु बचत साधन चर्चा में क्यों है?

- हाल ही में, सरकार ने चालू अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए कुछ छोटे बचत साधनों पर प्रतिलाभ (रिटर्न) में 0.1 से 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि की है।
- यद्यपि, मध्यम वर्ग के लिए लोकप्रिय निवेश के मार्ग जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पब्लिक प्रोविडेंट फंड/पीपीएफ) तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र को सम्मिलित नहीं किया गया था।

लघु बचत लिखतों के साथ मुद्दे

- **बाजार दृढ़ता का अभाव:** कागज पर, इन उपकरणों पर प्रतिफल को बाजार-निर्धारित आधार पर, तुलनीय परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल पर 0 से 100 आधार अंक (एक आधार बिंदु 0.01% के बराबर) के प्रसार के साथ पुनः समायोजित (रीसेट) किया जाना है।
  - दर परिवर्तनों के मध्य लंबे विराम को देखते हुए, यह एक सरसरी दृष्टि में भी स्पष्ट है, इसका पालन नहीं किया गया है।
- **प्रतिभूतियों की प्रतिफल में वृद्धि:** मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु इस वर्ष ब्याज दरों में वृद्धि के पश्चात, सरकारी प्रतिभूतियों की प्रतिफल में वृद्धि हो रही है।
- **कम ब्याज दर:** इस महीने, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि चालू तिमाही में विभिन्न योजनाओं पर दी जाने वाली ब्याज दरें फॉर्मूला-अंतर्निहित दरों से 44 से 77 आधार अंक कम हैं।
  - उदाहरण के तौर पर पीपीएफ को इस तिमाही में 7.1 प्रतिशत के स्थान पर 7.72 प्रतिशत की कमाई होनी चाहिए थी।
- **बढ़ती मुद्रास्फीति के विरुद्ध अपर्याप्त उपाय:** जनवरी से 6% से अधिक मुद्रास्फीति से जूझ रहे परिवारों के लिए, कुछ महीनों में 7% से अधिक मूल्य वृद्धि के कारण, ये मामूली बढ़ोतरी भावना को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
  - 27 माह में इन योजनाओं की दरों में - अप्रैल 2020 में आरंभ की गई योजनाओं में 0.5 एवं 1.4 प्रतिशत अंकों की भारी कटौती के बाद यह प्रथम परिवर्तन था।
- **राजनीतिक रूप से प्रेरित:** पिछली बार दरों में बढ़ोतरी लोकसभा के निर्वाचन से ठीक पूर्व जनवरी 2019 में की गई थी। मार्च 2021 में, सरकार ने 0.4% से 1.1% तक की और कटौती की घोषणा की थी, किंतु पांच राज्यों के लिए एक चुनाव अभियान के मध्य एक 'जिम्मेदारी' का हवाला देते हुए, रातों रात निर्णय वापस ले लिया।
  - यद्यपि, आगामी चुनावों में मतदाताओं के लिए एक सांकेतिक संकेत के रूप में भी, लघु बचत दरों में यह नवीनतम परिवर्तन कटौती नहीं करता है।

निष्कर्ष

- जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व में ही चेतावनी दी थी, नकारात्मक प्रतिफल का अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम होता है, यदि परिवार, जो कि सबसे बड़े

ऋणदाता हैं, ऐसे निश्चित आय साधनों एवं बैंकों में अपनी बचत को रोकना बंद कर देते हैं।

- अगली तिमाही में घरेलू बचत पर मुद्रास्फीति की क्षति को निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिफलों का एक उचित एवं स्वस्थ पुनः समायोजन पर विचार करना चाहिए।

एक्सहुमिंग न्यू लाइट

इस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के आनुवंशिकीविद् एवं जर्मनी के लीपज़िग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के निदेशक स्वांते पाबो को दिया जाएगा।

चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022- स्वांते पाबो

- विज्ञान एक उत्तरोत्तर सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी प्रकृति का होने के कारण, नोबेल पुरस्कारों में हाल की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि आमतौर पर प्रत्येक पुरस्कार हेतु अनेक विजेता होते हैं।
- यह पाबो के शोध की मौलिकता एवं क्रांतिकारी प्रभावों के लिए एक श्रद्धांजलि है कि जीव विज्ञान में प्रगति के द्वारा शाश्वत रूप से नवीन आकार प्राप्त करने वाले विश्व में, उन्हें इस वर्ष चिकित्सा अथवा कार्यिकी (फिजियोलॉजी) पुरस्कार के एकमात्र विजेता के रूप में चयनित किया गया है।
  - यह कुछ ऐसा है जो 2016 के बाद से नहीं देखा गया है।

मानव विकास पर स्वांते पाबो के शोध

- पाबो ने निएंडरथल- माना गया कि यह अनेक मानव-सदृश प्रजातियों एवं विकासवादी दौड़ के हारे हुए लोगों में से एक, को मानव विकास के प्रश्न पर केंद्र में लाया।
- उनके कार्य के लिए धन्यवाद, अब यह ज्ञात है कि यूरोपीय एवं एशियाई निएंडरथल डीएनए के 1% -4% के मध्य कहीं धारण करते हैं।
- इस प्रकार, मानवता का एक बड़ा हिस्सा रोगों की प्रवृत्ति एवं परिस्थितियों के अनुकूल होने के मामले में प्रभावित होगा, जो कि अफ्रीका में, किंतु 1,00,000 वर्ष पूर्व मनुष्यों की भांति विकसित हुई थी।
- पाबो ने जीवाश्म अवशेषों से डीएनए के निष्कर्षण हेतु अग्रणी एवं सिद्ध तकनीकों द्वारा इसका प्रदर्शन किया, एक कठिन कार्य क्योंकि उनमें बहुत कम होते हैं एवं सरलता से संदूषित हो जाते हैं।
- इन विधियों पर निर्माण करके, पाबो तथा उनके सहयोगियों ने अंततः 2010 में पहला निएंडरथल जीनोम अनुक्रम प्रकाशित किया।
- इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, मानव जीनोम का पहला पूर्ण अनुक्रम 2003 में ही पूर्ण हुआ था।
- मानव जीनोम के साथ तुलनात्मक विश्लेषण ने प्रदर्शित किया कि निएंडरथल एवं होमो सेपियन्स के सर्वाधिक निकटतम सामान्य पूर्वज लगभग 8,00,000 साल पूर्व निवास करते थे;
  - यह कि दोनों प्रजातियां प्रायः सामीप्य में रहती हैं तथा इस सीमा तक परस्पर जुड़ी होती हैं कि निएंडरथल आनुवंशिक लक्षण पर निर्भर रहता है।
- 2008 में, उंगली की हड्डी से 40,000 वर्ष प्राचीन एक टुकड़े से डीएनए उत्पन्न हुआ, जो पाबो की प्रयोगशाला में, डेनिसोवा नामक होमिनिन की एक पूर्ण रूप से नवीन प्रजाति से निकला।
  - यह प्रथम अवसर था कि डीएनए विश्लेषण के आधार पर एक नवीन प्रजाति की खोज की गई थी।
- आगे के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इसने भी मनुष्यों के साथ संकरण (इंटरब्रेड) किया था एवं दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में 6% मानव जीनोम डेनिसोवन वंश के हैं।

निष्कर्ष

- इन खोजों से दार्शनिक प्रश्न उठते हैं कि 'प्रजाति' होने का क्या अर्थ है।
- पाबो के विजय से भारत में भविष्य के जीवविज्ञानियों को गंभीर प्रश्नों का अनुकरण करने तथा विज्ञान का उपयोग नई रोशनी डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि स्वयं को एक अकादमिक विकास में बाधक (स्ट्रेटजैकेट) के रूप में में विभाजक होना चाहिए।

सभी के लिए भोजन

इस वर्ष का विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुस्मारक रहा है कि हमारे समुदायों के सर्वाधिक कमजोर लोगों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन सरलता से प्राप्त हो सके।

- 2030 तक भूख को समाप्त करने का वादा कृषि-खाद्य प्रणालियों को सशक्त करने हेतु सामूहिक एवं परिवर्तनकारी कार्रवाई के माध्यम से ही संभव है; बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण तथा बेहतर जीवन।

सभी के लिए भोजन: प्रसंग

- वैश्विक स्तर पर, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति, संघर्ष एवं असमानता के प्रभावों से कमजोर किया जा रहा है।
- आज, संपूर्ण विश्व में लगभग 828 मिलियन लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तथा 50 मिलियन से अधिक लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं।

हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक (2022 23) खाद्य संकट के बारे में क्या कहता है?

- हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक (2022 23) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन/एफएओ) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम/डब्ल्यूएफपी) की एक रिपोर्ट बढ़ती भूख की भविष्यवाणी करती है, क्योंकि 45 देशों में 205 मिलियन से अधिक लोगों को जीवित रहने हेतु आपातकालीन खाद्य सहायता की आवश्यकता होगी।

एफएओ का महत्व एवं विश्व खाद्य दिवस

- 1948 से, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने धारणीय पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत की प्रगति में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाना जारी रखा है।
- विश्व खाद्य दिवस 'किसी को पीछे न छोड़ें' का एक अनुस्मारक है एवं - संभवतः हाल के इतिहास में सर्वाधिक आवश्यक - राष्ट्रों के लिए खाद्य सुरक्षा जाल को मजबूत करने, लाखों लोगों के लिए आवश्यक पोषण तक पहुंच प्रदान करने एवं कमजोर समुदायों के लिए आजीविका को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक अवसर है।

भारत के समक्ष खाद्य उत्पादन बढ़ाने की चुनौतियां?

- भारत अब सर्वाधिक वृहद कृषि उत्पाद निर्यातकों में से एक है।
- 2021-22 के दौरान, इसने 49.6 बिलियन डॉलर का कुल कृषि निर्यात दर्ज किया - 2020-21 से 20% की वृद्धि।
- यद्यपि, हाल के जलवायु आघातों ने अगले वर्ष भारत के गेहूं एवं चावल के उत्पादन के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
- 2030 तक, भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है। एक बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि-खाद्य प्रणालियों को भरण पोषण करने एवं स्थायी रूप से समर्थन करने की आवश्यकता होगी।

भोजन में समानता के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट/एनएफएसए) 2013, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टारगेट एंड पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम/टीपीडीएस), पीएम पोषण योजना (जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था) एवं एकीकृत बाल विकास सेवा (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज/आईसीडीएस) पर आधारित है।
- आज, भारत के खाद्य सुरक्षा जाल सामूहिक रूप से एक अरब से अधिक लोगों तक पहुँचते हैं।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम राज्य एवं राष्ट्रीय सरकारों के साथ कार्य करता है ताकि इन प्रणालियों को उन लोगों तक पहुँचाया जा सके जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है।
- सरकार इन कार्यक्रमों को डिजिटलीकरण तथा चावल का प्रबलीकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता जैसे उपायों के साथ बेहतर बनाने हेतु अनेक उपाय कर रही है।
- खाद्य सुरक्षा जाल तथा समावेश, सार्वजनिक अधिप्राप्ति एवं बफर स्टॉक नीति से जुड़े हुए हैं - वैश्विक खाद्य संकट (2008-12) तथा कोविड-19 महामारी के दौरान दिखाई देने वाले, जिससे भारत में कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक जीवन रेखा बन गई, द्वारा उभयरोधी (बफर) करना जारी रखा गया।
- 'महामारी, निर्धनता एवं असमानता: भारत से साक्ष्य' (पांडेमिक, पॉवर्टी एंड इनिक्वालिटी: एविडेंस फ्रॉम इंडिया) शीर्षक वाले एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शोध पत्र में कहा गया है कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के कारण 2020 में अत्यधिक निर्धनता को 1% से नीचे बनाए रखा गया था।

भारत ने बाजरा उत्पादन को पुनर्जीवित करने पर वैश्विक वार्ता का नेतृत्व कैसे किया?

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेहतर जीवन, पोषण एवं पर्यावरण हेतु बाजरा उत्पादन को पुनर्जीवित करने पर वैश्विक वार्ता का नेतृत्व किया है, जहां उसने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने की अपील की है।
- यह विश्व में बाजरा का प्रमुख उत्पादक है, जो 2020 में सकल उत्पादन का लगभग 41% उत्पादन करता है।
- राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के एक भाग के रूप में पोषक अनाज (बाजरा) पर एक उप-मिशन भी क्रियान्वित कर रही है।
- ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय मिशन इन स्वदेशी फसलों को पुनर्जीवित करने के भारत के संकल्प का प्रमाण हैं।

बाजरा का महत्व

- बाजरा संरक्षण एवं संवर्धन खाद्य सुरक्षा को हल करने, बेहतर पोषण तथा धारणीय कृषि में योगदान देता है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के एजेंडे के साथ संरेखित होता है।
- बाजरा उत्पादन जैव विविधता को बढ़ाने एवं ग्रामीण महिलाओं सहित छोटे किसानों के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रमाणित हुआ है।
- मध्य प्रदेश के साथ कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट/आईएफएडी) के तेजस्विनी कार्यक्रम ने प्रदर्शित किया कि बाजरा उत्पादन का तात्पर्य आय में लगभग 10 गुना वृद्धि (2013-14 में 1,800 रुपए प्रति माह से 2020-21 में 16,277 रुपए), बेहतर खाद्य सुरक्षा के साथ है क्योंकि अत्यधिक वर्षा से बाजरा की फसल प्रभावित नहीं हुई।
- भारत में बाजरा पर खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पोषण लाभ में वृद्धि करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर बल प्रदान किया गया है।

आगे की राह क्या है?

- जलवायु अनुकूलन एवं प्रतिरोधक क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
- पारंपरिक आदान-गहन कृषि से अधिक समावेशी, प्रभावी एवं धारणीय कृषि-खाद्य प्रणालियों की ओर बढ़ने की मान्यता बढ़ी है जो बेहतर उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगी।
- बेहतर उत्पादन एवं विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए खाद्य पहुंच में सुधार करने हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक पहल प्रारंभ किए गए हैं।
- रसायनों के अत्यधिक उपयोग, जल के गैर-विवेकपूर्ण उपयोग एवं खाद्य उत्पादों के घटते पोषण मूल्य से मृदा के क्षरण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

- भारत की आगामी जी-20 अध्यक्षता एक लोचशील एवं न्यायसंगत भविष्य के केंद्र में खाद्य तथा पोषण सुरक्षा लाने का एक अवसर है।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि बेहतर जीवन का मार्ग खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने में निहित है, जो उन्हें अधिक लोचशील एवं धारणीय बनाता है, जिसमें समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें आम लोगों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है; खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में वृद्धि करना, जिसमें गैर-विकृत आय सहायता प्रदान करना; पौष्टिक स्थानीय खाद्य पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ावा देना शामिल है।

गोइंग ग्रीन

गोइंग ग्रीन: परिचय

तमिलनाडु अभी तक एक अन्य राज्य है जिसने इस वर्ष घोषणाओं की एक श्रृंखला के साथ - सरकारी आदेशों के रूप में एवं बजट के माध्यम से भविष्य की ओर स्पष्ट रूप से आगे बढ़ा है, जो जलवायु के प्रति जागरूक एवं हरित होगा।

- सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अच्छे उद्देश्य तथा मौखिक प्रतिबद्धताओं से अधिक की आवश्यकता होती है एवं इस समय, प्रतिबद्धता वह महत्वपूर्ण पहला कदम है।

हरित अर्थव्यवस्था क्या है?
• जैसा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम/यूएनईपी) द्वारा परिकल्पित किया गया है, एक हरित अर्थव्यवस्था वह है जिसकी आय एवं रोजगार में वृद्धि सार्वजनिक तथा निजी निवेश द्वारा संचालित होती है जो कार्बन उत्सर्जन एवं प्रदूषण को कम करती है, ऊर्जा तथा संसाधन दक्षता में वृद्धि करती है एवं जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हानि को रोकती है ।
• इन निवेशों को लक्षित सार्वजनिक व्यय, नीतिगत सुधारों एवं विनियमन परिवर्तनों द्वारा उत्प्रेरित तथा समर्थित करने की आवश्यकता है।
• अतः हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में सम्मिलित प्रमुख मुद्दे हैं:
○ बेहतर मानव कल्याण
○ सामाजिक समानता,
○ पर्यावरणीय जोखिमों तथा पारिस्थितिक कमी को महत्वपूर्ण रूप से कम करना।

गोइंग ग्रीन: तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल

- एक सुनियोजित एवं कार्यान्वित पहल के रूप में रिकॉर्ड संख्या में पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए रामसर स्थल घोषणा प्राप्त करना।
- तमिलनाडु सरकार ने 100 गांवों में हरित पार्क निर्मित करने के अपने विचार की घोषणा की जो स्थानीय आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा।
- तमिल नाडु सरकार ने दक्षिण में अगस्तियार मलाई में एक हाथी रिजर्व, पालक खाड़ी में एक ड्यूगोंग संरक्षण पार्क, तिरुपुर में एक नवीन पक्षी अभ्यारण्य तथा डिंडीगुल एवं करूर जिले में छरहरे लोरियों के लिए भारत का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
- तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की नियुक्ति की है, जिसमें कई विशेषज्ञ हैं, जो कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक ठोस साधन के उपरांत उचित उद्देश्य का एक उदाहरण है।
- हरित जलवायु निधि संग्रह (ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉर्पस) की स्थापना प्रतिबद्धता का एक अन्य संकेत है।
- इसके अतिरिक्त, एक स्पेशल परपज व्हीकल (विशेष प्रयोज्य वाहन), तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, को तीन महत्वपूर्ण मिशनों - जलवायु परिवर्तन, तमिलनाडु ग्रीन एवं आद्रभूमियों (वेटलैंड्स) के प्रबंधन पर परामर्श देने के लिए स्थापित किया गया है।
- यह जलवायु परिवर्तन मिशन को नीति निर्देश प्रदान करेगा, जलवायु अनुकूलन एवं शमन संबंधी क्रियाकलापों पर परामर्श प्रदान करेगा, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना को मार्गदर्शन प्रदान करेगा तथा कार्यान्वयन के लिए रणनीति प्रदान करेगा।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज/एनएपीसीसी)

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान, हरित भारत एवं सतत कृषि के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशन सम्मिलित हैं।
- ये विशिष्ट क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुख्य मुद्दों से संबंधित हैं, भारत के विकास एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित-अनुकूलन तथा शमन के उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए कदमों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- एनएपीसीसी निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है - (i) जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील समावेशी एवं सतत विकास रणनीति के माध्यम से समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों की रक्षा करना; (ii) पारिस्थितिक धारणीयता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास प्राप्त करना (iii) अंतिम वर्ग मांग पक्ष प्रबंधन के उपयोग के लिए कुशल तथा लागत प्रभावी रणनीति तैयार करना (iv) हरितगृह गैस उत्सर्जन के अनुकूलन तथा शमन दोनों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को परिनियोजित करना (v) सतत विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बाजार, नियामक तथा स्वैच्छिक तंत्र के नवीन एवं अभिनव रूपों को अभियंत्रिकी करना

(vi) नागरिक समाज एवं स्थानीय सरकारी संस्थानों को समाविष्ट करके एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावित करना; तथा (vii) अनुसंधान, विकास, साझाकरण एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करना।

- एनएपीसीसी के तहत सरकार ने राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत अनेक क्रियाकलापों, योजनाओं, कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
- सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता एवं वानिकी क्षेत्र के क्रियाकलापों को कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ जोड़ा गया है। अन्य मिशन भी सह-लाभ के रूप में कार्बन उत्सर्जन में कमी का समर्थन करते हैं।

एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया/जीआईएम)
• हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आठ मिशनों में से एक है।
• इसका उद्देश्य भारत के वन क्षेत्र की रक्षा करना, उसे पुनर्स्थापित करना तथा संवर्धन करना एवं जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना है।
• मिशन के तहत वन/वृक्ष आवरण में वृद्धि करने एवं मौजूदा वन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वन तथा गैर-वन भूमि पर 10 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य है।

आगे की राह

- जलवायु परिवर्तन से निपटने का लक्ष्य सरल नहीं रहा, अभी नहीं, कभी नहीं।
- संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 193 में से मात्र 26 देश जो विगत वर्ष जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को बढ़ाने के लिए सहमत हुए थे, उन्होंने ठोस योजनाओं का अनुसरण किया है। क्योंकि वास्तव में चुनौतियां कठिन हैं।
- पर्यावरण इंजीलवाद को इन परियोजनाओं को संचालित करना होगा, ताकि मूल संस्था (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) के उत्साह, तात्कालिकता एवं गंभीरता को अन्य विभागों द्वारा आत्मसात किया जा सके।
- सभी आधुनिक राज्य ऊर्जा संक्रमण, गतिशीलता संक्रमण एवं कृषि संक्रमण के क्षेत्रों में चुनौतियों से घिरे हैं। अतः, स्थानीय समाधानों को तैयार करने में सक्षम क्षमता का निर्माण करना एवं यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से लागू किया जाए।

निष्कर्ष

यद्यपि ये एवं इसी तरह के वृद्धिशील प्रयास अनेक राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति से संभव हुए हैं, यदि उचित प्रकार से लागू किए जाते हैं, तो स्वयं को एक हरा भरा परिदृश्य प्रदान करेंगे।

हाउ टू डील विद चाइनाज ब्लॉकिंग एट द यूएन?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी शाहिद महमूद की सूची को अवरुद्ध करने के चीन के कदम को राजनीतिक करार दिया।

क्या है मुद्दा?
• लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के शीघ्र पश्चात, चीन ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को ब्लैकलिस्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत एवं अमेरिका के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी।
• दो दिनों से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब बीजिंग ने भारत एवं अमेरिका द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए प्रस्तुत बोली पर रोक लगा दी है।

चीन की नाकाबंदी भारत एवं अमेरिका के विरुद्ध एक राजनीतिक रणनीति है

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आतंकवादी सूची में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडरों को सूचीबद्ध करने के लिए भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दो प्रस्तावों को अवरुद्ध करने का चीन का निर्णय अब एक घिसे पिटे पैटर्न का हिस्सा है।
- जून के बाद से, नई दिल्ली एवं वाशिंगटन ने ऐसे पांच प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें चीन ने प्रत्येक पर रोक लगा दी है।
- इसमें जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर तथा लश्कर-ए-तैयबा का नेता अब्दुर रहमान मक्की (हाफिज सईद का बहनोई), 26/11 आतंकवादी हमले का हैंडलर साजिद मीर एवं तल्हा सईद (हाफिज सईद के बेटे) तथा शाहिद महमूद के लिए नवीनतम लिस्टिंग अनुरोध शामिल हैं, जिस पर आतंकी समूह के लिए भर्ती और धन एकत्र करने का आरोप है।
- संबंधित देशों (भारत एवं चीन) के अनुरोधों पर चीन की प्रतिक्रिया लगातार अड़ियल रही है, किए गए प्रस्तावों पर पकड़ बनाए हुए है, भले ही वह वैश्विक आतंकवाद-विरोधी अंतराल में कटौती के आंकड़े की परवाह किए बिना प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पाकिस्तान के प्रति "राजनीतिक पूर्वाग्रह" का उपयोग करता है, जिसकी नई दिल्ली ने जबरदस्त आलोचना की है।

भारत को क्या करना चाहिए?

वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारत के पास तीन स्पष्ट विकल्प हैं:

विकल्प 1

सरकार प्रयास को तब तक छोड़ सकती है जब तक कि चीन को अपना रुख बदलने के लिए राजी नहीं किया जा सकता।

विकल्प 2

भारत संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की सूची के प्रस्तावों को लाना जारी रख सकता है, यह जानते हुए कि उन्हें चीन द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा, किंतु यह दर्शाता है कि चीन वास्तव में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।

विकल्प 3

तीसरा विकल्प चीन के साथ एक राजनयिक चैनल खोलना है जो आतंकवाद पर वैश्विक सहयोग के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है, अन्य द्विपक्षीय द्विपक्षीय मुद्दों से अलग है एवं बीजिंग को अपनी अस्थिर स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

राजनयिक चैनल खोलना उचित दृष्टिकोण होना चाहिए

जबकि अंतिम विकल्प सबसे कठिन प्रतीत होता है, यदि असंभव नहीं है, तो यह स्मरण रखना चाहिए कि चीन को 2012-2015 एवं 2018 से वर्तमान तक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स/FATF) में पाकिस्तान को "ग्रे लिस्ट" करने के लिए राजी किया गया था तथा अपनी पकड़ को समाप्त करने एवं 2009 से इस तरह के प्रयासों को अवरुद्ध करने के बाद, 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर की आतंकवादी सूची में डालने की अनुमति प्रदान करता है।

आगे की राह

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खतरे से स्पष्ट रूप से एवं दृढ़ता से निपटने का आह्वान किया है क्योंकि चीन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो और गुर्गों को बचा लिया है।
- भारत सरकार 28 एवं 29 अक्टूबर को मुंबई तथा नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक की मेजबानी करेगी।
- इस बैठक में भारत द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध आरोपित करने के कदमों को रोकने के लिए चीन पर चुप्पी साधे जाने की संभावना है।

निष्कर्ष

यह भारत के लिए चीन के साथ अपने सभी विकल्पों पर विचार करने का समय है ताकि सीमा पार आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके, जिसने देश पर गहरा एवं स्थायी प्रभाव डाला है।

सीक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ईडब्ल्यूएस कोटा आउटकम्स

भारत में आरक्षण प्रणाली दो रूप ग्रहण करती है:

- लंबवत आरक्षण (वर्टिकल रिजर्वेशन/वीआर), जिसे 2019 तक कलंकित एवं हाशिए पर पड़े सामाजिक समूहों (एससी, एसटी एवं ओबीसी) के लिए परिभाषित किया गया था; तथा
- क्षैतिज आरक्षण (होरिजेंटल रिजर्वेशन/एचआर), क्रॉस-कटिंग श्रेणियों जैसे महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), अधिवास इत्यादि पर लागू होता है।
- जब तक लंबवत आरक्षण प्रणाली सामाजिक समूह-आधारित थी, कोई भी व्यक्ति लंबवत आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्र नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनेक जातियों अथवा जनजातीय समूहों से संबंधित नहीं हो सकता है।

भारत में ईडब्ल्यूएस कोटा तक कोटा प्रणाली का विकास

- नव स्वतंत्र भारत में आरक्षण नीति का मूल उद्देश्य सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों के लिए प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र को समान करना था, जो विशिष्ट जाति एवं जनजातीय समूहों में उनके जन्म के कारण कलंकित एवं भेदभाव से ग्रसित थे। .
- जबकि ये समूह आर्थिक रूप से भी वंचित थे, इन समूहों के पक्ष में प्रतिपूरक विभेद स्थापित करने का यह मुख्य तर्क नहीं था।
- दशकों से, आरक्षण के साधन का विस्तार, और अधिक समूहों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए किया गया है, जिससे सकारात्मक कार्रवाई के सामान्य सिद्धांत एवं इस बारे में तीखी बहस छिड़ गई है कि कौन से समूह लाभार्थी होने के योग्य हैं।
- इन विवादों के परिणामस्वरूप जटिल कानूनी मामले सामने आए हैं, जिसमें व्यवहारिक (नट-एंड-बोल्ट) यांत्रिकी प्रदान करने वाले नियम हैं जो वास्तविक रूप में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं।

2019 में 103 वां संविधान संशोधन अधिनियम

भारत की संसद ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाने के लिए 103 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया।

- **अनुच्छेद 15 (6):** इसे भारत के संविधान में निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त, जिन्हें अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित किया गया था।
- **103वें संविधान संशोधन अधिनियम** का उद्देश्य उन लोगों को आरक्षण प्रदान करना है जो अनुच्छेद 15 (5) एवं 15 (4) के दायरे में नहीं आते हैं।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) एवं 15(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 16 (6):** इसे संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी पदों पर आरक्षण प्रदान करने के लिए समाविष्ट किया गया था।
- **ईडब्ल्यूएस कोटा लाभार्थियों के निर्धारण हेतु मानदंड:** 103वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान में कहा गया है कि- "आर्थिक दुर्बलता" का निर्णय "पारिवारिक आय" एवं अन्य "आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों के संकेतक" के आधार पर किया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ संबद्ध चिंताएं

- 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उन समूहों के लिए क्षैतिज आरक्षण खोलकर आरक्षण के मूल कारण को मौलिक रूप से बदल दिया जो वंशानुगत सामाजिक समूह पहचान (जाति या जनजाति) के संदर्भ में परिभाषित नहीं हैं।

- ईडब्ल्यूएस स्थिति क्षणिक है (जिसमें व्यक्ति गिर सकते हैं या बच सकते हैं), तो सामाजिक समूह पहचान के स्थायी चिह्न हैं।

- यद्यपि इसका अर्थ यह था कि सिद्धांत रूप में, एक व्यक्ति दो लंबवत आरक्षण श्रेणियों (जैसे, एससी एवं ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हो सकता है, संशोधन ने उन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से हटा दिया जो पहले से ही एक लंबवत आरक्षण (एससी, एसटी अथवा ओबीसी) के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से पात्र हैं।
  - इस अपवर्जन के परिणामस्वरूप, एक व्यक्ति अभी भी अधिकतम एक लंबवत श्रेणी के लिए ही अर्ह हो सकता है।
- एससी, एसटी, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर करने को शीघ्र इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी गई कि यह व्यक्तिगत समानता के अधिकार का उल्लंघन है (जो मोटे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 से मेल खाती है)।

अतिव्यापित लंबवत आरक्षण श्रेणियों के निहितार्थ एवं अस्पष्टता

- जब लंबवत आरक्षण श्रेणियां परस्पर अनन्य होती हैं, अर्थात, कोई भी व्यक्ति विभिन्न लंबवत श्रेणियों का सदस्य नहीं हो सकता है, तो यह पूर्ण रूप से महत्वहीन है कि किस क्रम में लंबवत श्रेणियों को एक दूसरे के संबंध में संसाधित किया जाता है।
- यद्यपि, यदि व्यक्ति दो लंबवत श्रेणियों से संबंधित हो सकते हैं, तो लंबवत श्रेणियों का सापेक्ष प्रक्रमण अनुक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **ईडब्ल्यूएस-प्रथम:** ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए वर्तमान आय सीमा के तहत, 98% से अधिक आबादी अर्ह है, अर्थात लगभग सभी लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र हैं।
  - यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले भरा जाता है, तो परिणाम ईडब्ल्यूएस पदों को मुक्त पदों के रूप में मानने के समान होगा।
  - यह प्रभावी रूप से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को निरर्थक बना देगा।
  - चूंकि सर्वाधिक समृद्ध आवेदक ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं हैं, वास्तविक परिणाम थोड़ा अलग होगा, किंतु पूर्ण रूप से नहीं क्योंकि सर्वाधिक समृद्ध 2% सार्वजनिक संस्थानों पर भी लागू नहीं हो सकते हैं जहां कोटा लागू है।
- **ईडब्ल्यूएस-अंतिम:** यदि अन्य सभी लंबवत आरक्षण पदों को भरने के बाद ईडब्ल्यूएस पदों का आवंटन किया जाता है, तो यह मुद्दा नहीं उठेगा।
  - अब, जबकि ईडब्ल्यूएस सीमा से कम आय वाले सभी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस पदों के लिए समान रूप से पात्र हैं (जो अभी भी प्रभावी रूप से सभी व्यक्ति हैं), सिस्टम उन अर्ह व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस पद प्रदान करता है जिनके पास उच्चतम मेधा सूची स्कोर हैं।
  - किंतु चूंकि एससी, एसटी एवं ओबीसी के कुछ उच्च स्कोर वाले व्यक्तियों को उनके संबंधित कोटा के तहत भर्ती किया जाएगा, इसलिए यह अनुक्रमण ईडब्ल्यूएस पदों को अगड़ी जातियों के सदस्यों के लिए अधिक सुलभ बना देगा।

निष्कर्ष

- बेरोजगारी की स्थिति की व्यापकता के साथ-साथ सामाजिक दरारों को दूर करने के महत्व को देखते हुए, एक इष्टतम कार्यान्वयन रणनीति निर्मित करने की तात्कालिकता को अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता है।

यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म

2015 के पश्चात प्रथम बार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति ने 28 एवं 29 अक्टूबर को मुख्यालय से दूर मुंबई एवं नई दिल्ली, भारत में एक विशेष बैठक की।

- बैठक में ऑनलाइन कट्टरपंथ तथा आतंक भर्ती, क्रिप्टो-मुद्रा एवं आभासी परिसंपत्तियों के माध्यम से आतंक वित्तपोषण, मानव रहित हवाई प्रणाली एवं अन्य उदीयमान प्रौद्योगिकियों से समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति का गठन कैसे हुआ?

- आतंकवाद के संकट का मुकाबला करना दशकों से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में रहा है।
- 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध 11 सितंबर के हमलों के बाद, सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से संकल्प 1373 (2001) को अंगीकृत किया, जिसने प्रथम बार परिषद की एक समर्पित आतंकवाद-रोधी समिति (काउंटर टेररिज्म कमिटी/सीटीसी) की स्थापना की।
- आतंकवाद रोधी समिति को एक कार्यकारी निदेशालय (CTED) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो अपने नीतिगत निर्णयों को कार्यान्वित करता है एवं 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन करता है।

यूएनएससी आतंकवाद रोधी समिति (सीटीसी) के सदस्य

समिति 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है:

1. अल्बानिया
2. ब्राजील
3. चीन
4. फ्रांस
5. गैबॉन
6. घाना
7. भारत
8. आयरलैंड
9. केन्या
10. मेक्सिको
11. नॉर्वे
12. रूसी संघ
13. संयुक्त अरब अमीरात
14. यूनाइटेड किंगडम
15. संयुक्त राज्य अमेरिका

यूएनएससी-सीटीसी के विचार हेतु भारत द्वारा सूचीबद्ध पाँच बिंदु कौन से हैं?

- आतंक-वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए प्रभावी एवं निरंतर प्रयास।
- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य प्रयासों को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स/एफएटीएफ) जैसे अन्य मंचों के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता है।
- सुनिश्चित करें कि सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्था राजनीतिक कारणों से अप्रभावी नहीं है।
- आतंकवादियों तथा उनके प्रायोजकों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं ठोस कार्रवाई, जिसमें आतंकवादी सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना इत्यादि सहित महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं हैं।
- इन संबंधों को पहचानें एवं हथियारों तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जैसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के साथ आतंकवाद की सांठगांठ को तोड़ने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करें।

भारत के लिए यूएनएससी-सीटीसी बैठक की मेजबानी करना कितना महत्वपूर्ण था?

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति (सीटीसी) की मेजबानी करने का भारत का निर्णय, ऐसे समय में आतंकवाद के मुद्दों को उजागर करने के लिए सरकार के जारी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण चिह्नक (मार्कर) है, जब वैश्विक निकाय यूक्रेन युद्ध पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- मुंबई तथा दिल्ली में आयोजित, यह संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों एवं सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल/यूएनएससी) के सभी सदस्यों के मंत्रियों एवं राजनयिकों को वैश्विक आतंकवाद-रोधी संरचना की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए लाया।
- यूएनएससी सम्मेलन के दौरान, उपस्थित लोगों ने न केवल हमलों के पीड़ितों से सुना, बल्कि हमलों के दौरान आतंकवादियों को निर्देशित करने वाले लश्कर के भर्ती कर्ता साजिद मीर के आवाज के नमूने भी सुने।
- **भारत ने 26/11 के मामले पर प्रकाश डाला**
  - मुंबई में, महत्वपूर्ण ध्यान 26/11 के हमलों पर था। आतंकी ठिकानों की वैश्विक प्रकृति के बावजूद, मामले को आगे बढ़ाने के लिए तथा एक पूर्ण सुनवाई एवं फांसी की सजा के माध्यम से, एकमात्र जीवित हमलावर, अजमल कसाब को लाने के लिए, भारत ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक कठिन लड़ाई लड़ी है।
- **26/11 पर पक्षकारों ने कैसे प्रतिक्रिया दी?**
  - **पाकिस्तान**
    - सूचना साझा करने की एक संक्षिप्त अवधि के पश्चात, पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी तथा अन्य पर मुकदमा चलाने पर अपने पैर खींच लिए हैं, जिन्हें इसकी संघीय जांच एजेंसी ने हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
    - वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की अनिवार्य कार्रवाई में पाकिस्तान की ग्रे-लिस्टिंग के पश्चात, मीर, जो अब आतंकी वित्तपोषण के आरोपों में एक पाकिस्तानी जेल में बंद है, से पूछताछ नहीं की गई है।
  - **अमेरिका**
    - आतंकवाद पर भारत के साथ कई अन्य तरीकों से सहयोग करने वाले अमेरिका ने हमलों के लिए साजिशकर्ता डेविड हेडली एवं तहव्वुर राणा को दोषी ठहराया, किंतु उन्हें प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया।
  - **चीन**
    - चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 आतंकी सूची में लश्कर-ए-तैयबा के नेताओं को नामित करने से रोक रहा है, एक समस्या जिसका विदेश मंत्री एस. जयशंकर एवं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सम्मेलन में विशेष रूप से उल्लेख किया।

यूएनएससी सीटीसी के प्रमुख फोकस क्षेत्र
• दिल्ली में, सीटीसी का ध्यान ऑनलाइन कट्टरपंथ एवं आतंक भर्ती, क्रिप्टो मुद्रा तथा आभासी आस्तियों के माध्यम से आतंक वित्तपोषण एवं मानव रहित हवाई प्रणाली के उपयोग पर था, जिसमें आतंकी हमलों के लिए ड्रोन, मादक द्रव्य एवं हथियारों का परिवहन शामिल था।
• विचार विमर्श के कारण **"आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नवीन एवं उदीयमान प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर दिल्ली घोषणा" हुई।**

UNSC-CTC बैठक के दौरान दिल्ली की घोषणा क्या है?

- आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली समिति ने दो दिवसीय विशेष सम्मेलन के अंत में "दिल्ली घोषणा" को अंगीकृत किया।
- इसने सदस्य देशों से आतंकवादी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने का आह्वान किया तथा इस खतरे से और अधिक सख्ती से निपटने की प्रतिज्ञा ली।
- घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रस्तावों के पूर्ण तथा प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए "तत्काल कार्रवाई" का आह्वान किया गया एवं इस बात की पुष्टि की गई कि सभी रूपों में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए "सर्वाधिक गंभीर खतरों में से एक" है।
- यह किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह के साथ आतंकवाद को जोड़ने के विरुद्ध था एवं सदस्य राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया।

- इसने आईएसआईएस, अलकायदा, उनके सहयोगियों तथा संबंधित व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य हथियारों, सैन्य उपकरणों, ड्रोन तथा आईईडी के निरंतर प्रवाह की कड़ी निंदा की। साथ ही, समिति ने महसूस किया कि आतंकवाद से लड़ने की आड़ में मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का दमन नहीं किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- जबकि भारत के पास यूएनएससी में अपने वर्तमान निर्वाचित कार्यकाल में मात्र दो महीने शेष हैं, सरकार सीटीसी बैठक से गति बनाए रखने के प्रयास कर रही है; यह एक अंतरराष्ट्रीय **"नो मनी फॉर टेरर" सम्मेलन (18-19 नवंबर) एवं वैश्विक आतंकवाद रोधी प्रयासों (15-16 दिसंबर) के लिए चुनौतियों पर एक यूएनएससी विशेष विनिर्देशन** की मेजबानी करेगा।
- जैसा कि 26/11 की घटना के साथ भारतीय अनुभव ने दिखाया है, वैश्विक समुदाय प्रायः बयानों पर लंबे समय तक बना रहा है किंतु सहकारी कार्रवाई पर कम है तथा नई दिल्ली को इस बात पर बल देना होगा कि आतंकवाद अभी शेष है।

निष्कर्ष

आतंकवाद "मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा" है एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए तथा भारत को आतंकवाद की चुनौती को समाप्त करने हेतु अनवरत नेतृत्व प्रदान करना चाहिए एवं विश्व को आगे बढ़ाना चाहिए।

वी नीड ए फॉरेस्ट लेड कॉप 27

सितंबर में, साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि पृथ्वी अब तक मानवता के कारण वैश्विक ताप के 1.1 डिग्री सेल्सियस के कारण पांच हानिकारक टिपिंग बिंदुओं से गुजर चुकी है।

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका

प्रौद्योगिकी

- **प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की मांग:** जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास एवं हस्तांतरण की मांग संपूर्ण विश्व में तीव्र हो गई है।
- **प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता:** प्रौद्योगिकी हमारी प्रजातियों के लिए एक जीवित रहने की रणनीति बन गई है, किंतु जलवायु परिवर्तन को प्रतिलोमित करने की रणनीति में मौजूद तकनीकी-निश्चयवाद की मात्रा खतरनाक है।
  - अकेले प्रौद्योगिकी चुनौती से निपटने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए सामाजिक सुधार एवं शून्य उत्सर्जन रणनीति की आवश्यकता है।
- इतिहास तकनीकी नवाचार के पक्ष में है। उदाहरण के लिए, नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसने अरबों लोगों को पोषित किया तथा पैदावार में वृद्धि की।
  - किंतु हमें अपनी ओर केंद्रीभूत समस्याओं से निपटने के लिए कुछ मिलियन जलवायु बोरलॉग की आवश्यकता हो सकती है।

यूएनएफसीसीसी सीओपी 26 में तकनीकी आशावाद

- ग्लासगो में COP26 ने भी तकनीकी आशावाद को प्रेरित किया है। एक अवलोकन था कि COP26 में चर्चा किए गए प्रत्येक तकनीकी समाधान मात्र तीन संसाधनों पर निर्भर करते हैं:
  - विद्युत (जलविद्युत, नवीकरणीय या परमाणु विखंडन द्वारा उत्पन्न गैर-उत्सर्जक विद्युत),
  - कार्बन प्रग्रहण एवं भंडारण (कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज/सीसीएस) अथवा
  - बायोमास
- **विद्युत:** वर्तमान में हमारे पास प्रति व्यक्ति 4 किलो वाट घंटा/दिन विद्युत उपलब्ध है। किंतु COP26 योजनाओं के लिए 32 (परिसर 16-48) की आवश्यकता होती है।
- **कार्बन प्रग्रहण एवं भंडारण (कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज/सीसीएस):** वर्तमान में हमारे पास प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 6 किलोग्राम कार्बन प्रग्रहण एवं भंडारण उपलब्ध है, किंतु COP26 योजनाओं के लिए 3,600 (परिसर 1,400-5,700) की आवश्यकता है।
- **बायोमास:** हम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 100 किलो पादप आधारित भोजन खाते हैं, किंतु वर्तमान स्तर पर पहुंचने के लिए पर्याप्त जैव-केरोसिन का उत्पादन करने हेतु 200 किलो अतिरिक्त फसल की आवश्यकता है।

तकनीकी आशावाद के साथ संबद्ध सरोकार

- प्रौद्योगिकी-केंद्रित शमन वार्तालाप वन आधारित अर्थव्यवस्थाओं एवं संरक्षण तथा वनों जैसे विषयों को छोड़ देते हैं, जो कि जलवायु वार्तालाप के वैचारिक उपांत पर कार्बन हटाने के सर्वोत्तम उपकरण हैं।
- COP26 में चर्चा की गई योजनाओं के लिए आवश्यक उन संसाधनों की कुल मांग को 2050 तक पूरा नहीं किया जा सकता है।
  - इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इनकी आपूर्ति सीओपी 26 में चर्चा की गई योजनाओं के लिए आवश्यक स्तरों के करीब होगी।

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में वनों की भूमिका

- वन 80% स्थलीय वन्यजीवों का आवास हैं। वे जलवायु परिवर्तन संकट एवं जैव विविधता संकट के चौराहे पर हैं।
  - अतः, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी लड़ाई का मुकाबला करने में सहायता करने हेतु वन सर्वाधिक उपयुक्त हैं।
- वन एक वर्ष में 7.6 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध अवशोषण करते हैं। एक नवीन अध्ययन में पाया गया

है कि उनके जैव-भौतिक पहलुओं में पृथ्वी को अतिरिक्त 0.5% शीतल करने की प्रवृत्ति है।

- वनों का संरक्षण, अन्य प्रकृति-आधारित समाधानों के साथ, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में 37% तक की कटौती प्रदान कर सकता है।
- दासगुप्ता रिव्यू-इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी सूचित करती है कि हरित अवसंरचना या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (नमक के दलदल एवं मैंग्रोव) धूसर अवसंरचना अथवा ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर (ब्रेकवाटर) की तुलना में 2-5 गुना सस्ता है। .
- एक अन्य अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2015 एवं 2017 के मध्य उष्णकटिबंधीय वनावरण क्षति (ट्री कवर लॉस) से वार्षिक सकल कार्बन उत्सर्जन 4.8 बिलियन टन के समतुल्य था।
  - यह प्रत्येक वर्ष 85 मिलियन कारों द्वारा अपने जीवन काल में किए गए उत्सर्जन की तुलना में अधिक उत्सर्जन करता है।
- 2019 में, कुल शुद्ध मानव जनित हरित गृह गैस उत्सर्जन का लगभग 34% ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र से, 24% उद्योग से, 22% कृषि, वानिकी एवं अन्य भूमि उपयोग से, 15% परिवहन से तथा 6% भवनों से आया।

आगे की राह

- आईपीसीसी भूमि रिपोर्ट का अनुमान है कि भूमि एक व्यापक कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के रूप में कार्य करती है।
- इस बात के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं कि प्राकृतिक सिंक के संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण में सुधार एवं पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करके आवश्यक निष्कासन का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया जा सकता है।
- स्थानीय लोगों के नेतृत्व में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक सिंक तथा रूपांतरणकारी कृषि पद्धतियों की रक्षा करके पृथ्वी की चक्रीय प्रक्रियाओं को संरक्षित करना।
  - स्थानीय समुदाय जलवायु संकट से निपटने के लिए वर्तमान की तुलना में कहीं अधिक न्यायसंगत एवं लागत प्रभावी तरीका हैं।

निष्कर्ष

- हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जलवायु संकट मात्र एक लक्षण है; हमारी वास्तविक समस्या यह है कि मानव उपभोग एवं क्रियाकलाप हमारे ग्रह की पुनर्योजी क्षमता से अधिक हो गए हैं।
- प्रौद्योगिकी, सर्वोत्तम रूप से, एक स्थायी, पुनर्योजी एवं न्यायसंगत विश्व के मार्ग पर हमारी सहायता कर सकती है, न कि हमें आगे बढ़ा सकती है।

क्या भारत को जनसंख्या नीति की आवश्यकता है?

इस साल की शुरुआत में, संयुक्त राष्ट्र ने यह डेटा प्रकाशित किया कि भारत 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा।

- 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होगा, जब कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा 59% तक पहुंचने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावनाएँ (WPP), 2022 भारत के बारे में क्या बताती हैं?

- संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावनाएँ (WPP), 2022 का अनुमान है कि भारत 2023 तक 140 करोड़ की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
- यह 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का चार गुना (34 करोड़) है।
- अब, जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण में, और लगातार कम मृत्यु दर और तेजी से घटती प्रजनन क्षमता के कारण धीमी विकास दर का अनुभव करते हुए, भारत में दुनिया की आबादी का 17.5% हिस्सा है।
- नवीनतम WPP के अनुसार, भारत 2030 तक 150 करोड़ और 2050 तक 166 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
- 1960 के दशक में, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2% से अधिक थी।
- विकास की वर्तमान दर पर, यह 2025 तक गिरकर 1% होने की उम्मीद है।
- हालांकि, जनसंख्या में स्थिरता हासिल करने के लिए देश को अभी लंबा रास्ता तय करना है। यह उम्मीद की जाती है कि 2064 में इसे हासिल किया जाएगा और 170 करोड़ जनसंख्या के साथ। (जैसा कि डब्ल्यूपीपी 2022 में उल्लेख किया गया है)।

क्या हमें जनसंख्या नीति की आवश्यकता है?

- भारत की जनसंख्या नीति बहुत अच्छी है, जिसे 2000 में डिजाइन किया गया था। और राज्यों की अपनी जनसंख्या नीतियां भी हैं।
- हमें बस इनमें सुधार करने और अपनी जनसंख्या नीति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- हमें परिवार नियोजन में अधिक निवेश की आवश्यकता है और जनसंख्या के बारे में अधिक व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है?
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है "आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकती

है, मुख्यतः जब कामकाजी उम्र की आबादी (15 से 64) का हिस्सा गैर-कामकाजी उम्र की आबादी (14 और उससे कम, और 65 और उससे अधिक) के हिस्से से ज्यादा हो।"

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि

- पिछले सात दशकों में, कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा 50% से बढ़कर 65% हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्भरता अनुपात (प्रति कामकाजी उम्र की आबादी में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या) में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

डब्ल्यूपीपी 2022 रिपोर्ट
• WPP 2022 की तरह, भारत में विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कार्यबल होगा, यानी अगले 25 वर्षों में, पांच कार्य-आयु वर्ग के व्यक्तियों में से एक भारत में रहेगा।
• यह कार्य-आयु का उभार 2050 के दशक के मध्य तक बढ़ता रहेगा और भारत को इसका उपयोग करना चाहिए।

भारत को बुजुर्गों और उम्रदराज़ लोगों के लिए योजना क्यों बनानी चाहिए?

- बुढ़ापा हमारे लिए एक समस्या होने जा रहा है। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि बदलते परिवारों और भारत में राज्य के समर्थन की प्रकृति के संदर्भ में उम्र बढ़ने को कैसे संबोधित किया जाए और ऐसी स्थिति बनाई जाए जिसमें बुजुर्ग आबादी स्वस्थ और सुखी जीवन जी सके।
- बुजुर्गों के मामले में, अनुमान बताते हैं कि 2025 तक भारत की कुल आबादी का 12% बुजुर्ग होने वाला है।
- 2050 तक हर पांचवां भारतीय 65 वर्ष से अधिक आयु का होगा।
- इसलिए इन खंडों के लिए योजना बनाना समान रूप से विचार करने योग्य है।

हमें किस प्रकार की जनसंख्या नीति की आवश्यकता है?

- हमें ऐसी नीति की आवश्यकता है जो व्यक्तियों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करे।
- हमें प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य चुनौतियों पर भी ध्यान देना शुरू करना होगा, जो कि केवल परिवार नियोजन सेवाओं का प्रावधान नहीं है।
- हमें जनसंख्या नीति के इर्द-गिर्द अपने विमर्श को बदलने की जरूरत है। यद्यपि हम जनसंख्या नीति शब्द का उपयोग करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण अभी भी हमारे संवाद का एक हिस्सा है।
- हमें शायद इसे ऐसी नीति कहने की ज़रूरत है जो भारत के विकास के लिए जनसंख्या को संसाधनों के रूप में बढ़ाती है, और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिकता बदलती है कि जनसंख्या एक खुशहाल, स्वस्थ, उत्पादक है।
- शायद यह समय जनसंख्या नियंत्रण के आसपास की कुछ पुरातन धारणाओं से छुटकारा पाने के बारे में सोचने का है, जो अभी भी कायम हैं।

निष्कर्ष

जनसंख्या के मुद्दों को लेकर बहुत सारे मिथक और भ्रांतियां हैं, जो इस प्रवचन की ओर ले जाती हैं, जो सभी आवश्यक चीजों को करने से ध्यान हटा देता है। हमें उन्हें बड़े परिप्रेक्ष्य में संबोधित करने की जरूरत है।

अभ्यास प्रश्नावली

प्रश्न सेट 01

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. भारत विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है।
2. वर्तमान में, भारत चीन के बाद दुनिया में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

2. ऑपरेशन "सेवा", "ऑपरेशन मातृशक्ति" और "ऑपरेशन डिग्निटी" निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किए गए थे?
(a) भारतीय तट रक्षक (b) रेलवे सुरक्षा बल
(c) सीबीआई (d) प्रवर्तन निदेशालय

3. सिविल सेवा क्षमता निर्माण (एनपीसीएससीबी) या मिशन कर्मयोगी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके उद्देश्य से शुरू किया गया था?
(a) सिविल सेवाओं के लिए यूपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम को बदलना।
(b) सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाना।
(c) उच्च नौकरशाही में पार्श्व प्रविष्टि की प्रणाली को बदलना।
(d) नए नियुक्त नौकरशाहों के लिए स्थानीय शासन पर विशेष ध्यान देना।

4. हाल ही में शोध कार्य के लिए 2022 के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है-
(a) एक सौर-प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट की खोज।
(b) क्वांटम यांत्रिकी के सहयोग से बेल असमानताएं।
(c) ब्लैक होल गठन और सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की मजबूत भविष्यवाणी"।
(d) लेजर भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व आविष्कार"।

5. रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(a) लाल चंदन भारत के लिए देशी और स्थानिक है और केवल आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र के शेषचलम पहाड़ियों में पाया जा सकता है।
(b) इसे आईयूसीएन द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
(c) विदेश व्यापार नीति के अनुसार भारत से लाल चंदन का निर्यात प्रतिबंधित है।
(d) सभी सही हैं।

6. हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है?
(a) महात्मा गांधी (b) डॉ. बीआर अम्बेडकर
(c) गोपाल कृष्ण गोखले (d) अरबिंदो घोष

7. समर्थ मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इसका उद्देश्य पराली जलाने को कम करना और ताप विद्युत संयंत्रों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।
2. वर्तमान में, देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ-साथ 5 से 10% बायोमास का उपयोग करना अनिवार्य है।
3. समर्थ मिशन अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

8. भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस निम्नलिखित में से किस विभाग/संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
(a) नीति आयोग
(b) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसरो
(c) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
(d) एमओईएफसीसी

9. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. योजना की लाभार्थियों में अधिकांश महिलाएं हैं।
2. यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक सागर से घिरा है?
1. एस्टोनिया 2. रूस
3. पोलैंड 4. जर्मनी

निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए:
(a) 1,2 और 3 (b) 2,3 और 4
(c) 2 और 3 (d) 1,2,3 और 4

उत्तर

1.	**(a)**	**2.**	**(b)**	**3.**	**(b)**	**4.**	**(b)**	**5.**	**(d)**
6.	**(a)**	**7.**	**(a)**	**8.**	**(b)**	**9.**	**(c)**	**10.**	**(d)**

प्रश्न सेट 02

1. मोढेरा सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है।
2. इसे चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था।
3. सभी मंदिरों को पश्चिममुखी होने के लिए तैयार किया गया है।
4. मंदिर परिसर मारू-गुर्जर शैली में बनाया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a)1 और 2 (b)2 और 4
(c)1,2 और 4 (d)2,3 और 4

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. भारत में राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 29 के तहत पंजीकृत हैं।
2. चुनाव चिह्न आदेश, 1968 किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी के रूप में वर्गीकृत करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a)केवल 1 (b)केवल 2
(c)दोनों 1 और 2 (d)न तो 1 और न ही 2

3. मानेसर आतंकवाद विरोधी अभ्यास, 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह क्वाड नेशंस के ढांचे के तहत आयोजित किया जाता है।
2. इसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा किया जा रहा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a)केवल 1 (b)केवल 2
(c)दोनों 1 और 2 (d)न तो 1 और न ही 2

4. सबका विश्वास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह दिवाला से संबंधित पिछले विवादों के परिसमापन के लिए एकमुश्त उपाय है।
2. इसे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a)केवल 1 (b)केवल 2
(c)दोनों 1 और 2 (d)न तो 1 और न ही 2

5. कार्बन डॉट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह नैनोमटेरियल्स हैं जो अच्छे इलेक्ट्रॉन दाता और स्वीकर्ता हैं।
2. सीडी में क्वांटम डॉट्स के बजाय उपयोग किए जाने की क्षमता होती है, जो अधिक विषैले और कम जैव-संगत होते हैं।
3. वे पर्यावरण के अनुकूल हैं लेकिन महंगी तकनीक हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a)1 और 2 (b)2 और 3
(c)1 और 3 (d)1,2 और 3

6. ई-रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. ई-रुपया एक प्रत्ययी मुद्रा के समान है।
2. यह केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देगा।
3. इससे वास्तविक नकदी प्रबंधन में शामिल आरबीआई की परिचालन लागत में कमी आएगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a)1 और 2 (b)2 और 3
(c)1 और 3 (d)1,2 और 3

7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. एनसीएसटी 2003 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्थापना की गई थी।
3. कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a)1 और 2 (b)2 और 3
(c)1 और 3 (d)1,2 और 3

8. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और बलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह शांति अभियान विभाग और परिचालन सहायता विभाग के बीच एक संयुक्त प्रयास है।
2. वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में बलों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
3. बांग्लादेश ने लाइबेरिया में पहली महिला शांति टुकड़ी तैनात की।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a)1 और 2 (b)2 और 3
(c)केवल 1 (d)1,2 और 3

9. आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इसे 1968 में नोबेल पुरस्कार की श्रेणियों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था।
2. नवीनतम 2022 स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a)केवल 1 (b)केवल 2
(c)दोनों 1 और 2 (d)न तो 1 और न ही 2

10. इस वर्ष फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार स्वंते पाबो को उनके क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए प्रदान किया गया है?

(a)पैलियोन्टोलॉजी (b)पैलियोजेनोमिक्स
(c)बायोस्ट्रेटिग्राफी (d)बायोलुमिनसेंस

उत्तर

1.	**(c)**	**2.**	**(b)**	**3.**	**(b)**	**4.**	**(d)**	**5.**	**(a)**
6.	**(b)**	**7.**	**(c)**	**8.**	**(c)**	**9.**	**(b)**	**10.**	**(b)**

प्रश्न सेट 03

1. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसकी स्थापना 1997 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाली राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत करने के लिए की गई थी।
2. भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
3. इसके सभी सदस्य एशिया महाद्वीप के हैं और इसकी अध्यक्षता हमेशा आसियान सदस्य करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1,2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यहाँ की भूमि में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती और मिश्रित वन तक की ऊँचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन शामिल हैं
2. इस पार्क के भीतर लिसू जनजाति की बस्तियां हैं।
3. तीन तेंदुआ प्रजातियां तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), बाघ (पी.टाइग्रिस) और मेघयुक्त तेंदुआ पार्क में पाए जाते हैं:

उपरोक्त राष्ट्रीय उद्यान की पहचान कीजिए:

(a) नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान
(b) कमलांग वन्यजीव अभयारण्य
(c) पखुई
(d) जिमकॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

3. ग्रामीण उद्यमी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य समावेशी और सतत विकास के लिए आदिवासी समुदायों में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना है।
2. यह परियोजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
3. इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू किया जा रहा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1,2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवित और निर्जीव चीजों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
2. ध्रुवीय क्षेत्रों में आइस कोर की आयु निर्धारित करने के लिए कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइड डेटिंग का उपयोग किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

5. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में एक वैधानिक निकाय है।
2. इसमें छह सदस्य और एक अध्यक्ष शामिल हैं।
3. यह अधिग्रहण, नियंत्रण प्राप्त करने और विलय और अधिग्रहण को नियंत्रित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1,2 और 3

6. हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चंदपुरा झील को बनाए रखने में विफलता के लिए राज्य सरकार पर पर्यावरण मुआवजा लगाया है। चंदपुरा झील कहाँ स्थित है?

(a) आंध्र प्रदेश (b) कर्नाटक
(c) तमिलनाडु (d) केरल

7. विश्व हरित शहर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है।
2. हैदराबाद ने लैंडस्केपिंग, पौधों और फूलों की खेती में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए 2022 के लिए वर्ल्ड ग्रीन सिटीज पुरस्कार जीता।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

8. ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह चार घटक संकेतकों पर आधारित है - अल्पपोषण, बाल स्टंटिंग, बाल बर्बादी और बाल मृत्यु दर।

2. भारत ने वर्तमान में 2021 की तुलना में 2022 में अपनी रैंक खराब कर 107 कर ली है।
3. जीएचआई विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

9. गैलापागोस द्वीपसमूह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है?

(a) हिंद महासागर
(b) उत्तरी अटलांटिक महासागर
(c) दक्षिण अटलांटिक महासागर
(d) प्रशांत महासागर

10. आईएनएस अरिहंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह भारत की पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है।
2. इसने भारत के परमाणु त्रय को पूरा किया जो कि भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता है।
3. इसे प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1,2 और 3

उत्तर

1.	**(c)**	**2.**	**(a)**	**3.**	**(a)**	**4.**	**(b)**	**5.**	**(b)**
6.	**(b)**	**7.**	**(b)**	**8.**	**(a)**	**9.**	**(d)**	**10.**	**(a)**

प्रश्न सेट 04

1. हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द "ASTERX"(एस्टरएक्स) है-

(a) नासा द्वारा अंतरिक्ष मलबा समाशोधन मिशन।
(b) निमोनिया के लिए नया टीका।
(c) क्रिप्टोकीजिएसी
(d) अंतरिक्ष में पहला फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास।

2. पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
2. यह योजना उन राज्यों के लिए खुली होगी जो एनईपी 2020 को पूरी तरह से लागू करने के लिए सहमत हैं।
3. यह योजना केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के लिए खुली है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(a) एनसीएपी 2019 में लॉन्च किया गया था।
(b) इसका लक्ष्य 2024 तक पीएम2.5 और पीएम10 कणों से प्रदूषण के स्तर में 20% 30% की कमी लाना है।
(c) इसे एक गैर-प्राप्ति शहर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी वायु गुणवत्ता 2011 से 2015 तक राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती है।
(d) एकाग्रता की तुलना के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में लेता है।

4. निपुन भारत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह योजना सुनिश्चित करती है कि कक्षा 1 से 3 तक का प्रत्येक बच्चा 2025 के अंत तक भारत में एफएलएन (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी) कौशल हासिल कर सकता है।
2. यह योजना 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर जोर देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

5. राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह एक वन-स्टॉप-शॉप पोर्टल है जो निवेशकों को सरकार-से-व्यवसाय (जी2बी) सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें लागू करने की अनुमति देता है।
2. इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

6. निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे (एफएलएस) जारी किया है?

(a) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)
(b) नीति आयोग
(c) शिक्षा मंत्रालय
(d) सीबीएसई

7. मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है।
2. इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
3. ग्रेट बाथ और गारनरी मोहनजोदड़ो में स्थापित महत्वपूर्ण निर्माण थे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

8. वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता की पहली औपचारिक स्वीकृति थी। द्वारा स्थापित किया गया था-
(a) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
(b) रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992
(c) 2013 में यूएनएफसीसीसी जलवायु वार्ता
(d) क्योटो प्रोटोकॉल

9. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजी योजना) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए शुरू किया गया था।
2. ईसीएलजी योजना के तहत ऋण पर सरकारी गारंटी होती है और ऋण खातों के खराब होने की स्थिति में कुल ऋण राशि का 75 प्रतिशत तुरंत बैंकों को भुगतान किया जाता है।
3. नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) – आरबीआई द्वारा स्थापित एक कंपनी इन ऋणों का प्रबंधन और गारंटी प्रदान करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

10. अनिवार्यता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इसका आविष्कार सुप्रीम कोर्ट ने 'शिरूर मठ मामले में 1954 में किया था।
2. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "धर्म" शब्द में एक धर्म के लिए "अभिन्न" सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को शामिल किया जाएगा, और स्वयं एक धर्म की आवश्यक और गैर-आवश्यक प्रथाओं का निर्धारण करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर

1.	**(d)**	**2.**	**(b)**	**3.**	**(d)**	**4.**	**(b)**	**5.**	**(a)**
6.	**(c)**	**7.**	**(b)**	**8.**	**(c)**	**9.**	**(a)**	**10.**	**(c)**

प्रश्न सेट 05

1. समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
2. इसे अपने आप कार्यवाही शुरू करने और अपने नियमों के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कार्रवाई करने की शक्ति है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

2. सीएआर टी इम्यूनोथेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. सीएआर टी इम्यूनोथेरेपी का आधार कैंसर कोशिकाओं को पहचानने के लिए टी कोशिकाओं को संशोधित करना है ताकि उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित और नष्ट किया जा सके।
2. इसमें सीएआर टी कोशिकाएं या तो रोगी के अपने रक्त (ऑटोलॉगस) में टी कोशिकाओं से प्राप्त होती हैं या किसी अन्य स्वस्थ दाता (एलोजेनिक) की टी कोशिकाओं से प्राप्त होती हैं।
3. सीएआर टी कोशिकाएं एपोप्टोसिस के तंत्र पर काम करती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

3. सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह संविधान के अनुच्छेद 323 (b) के तहत एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
2. इसे पाटनरोधी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
3. सीईएसटीएटी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर मुकदमेबाजी के क्षेत्रों में न्याय देने में एक बुल व्हेक के रूप में कार्य करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि का उपयोग किया था।
2. उपमहाद्वीप में कुषाण पहले राजवंश थे जिन्होंने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए।
3. कुषाण सिक्कों पर आमतौर पर अग्रभाग पर शासक की आकृति, नाम और उपाधि और पीछे की ओर देवताओं की आकृति होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

5. हाल ही में वायु सेना का द्विपक्षीय अभ्यास गरुड़ भारत और किसके बीच किया गया था?

1. फ्रांस
2. यूके
3. यूएसए

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1,2 और 3

6. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 'समान काम के लिए समान वेतन' की बात करता है?

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 21
(c) अनुच्छेद 39 (d) अनुच्छेद 14

7. कभी-कभी खबरों में दिखने वाले बोलगार्ड-I और बोलगार्ड-II हैं-

(a) कपास की कीट प्रतिरोधी आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्में
(b) फसलों को कीट संक्रमण से मुक्त रखने के लिए एक फ्यूमिसाइड
(c) कृत्रिम बुद्धि का एक प्रयोग
(d) इपर बेल्ट के लिए एक नया मिशन

8. 'टैम्बो आर्ट' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह धान के खेतों का उपयोग कैनवास के रूप में विभिन्न रंगीन पत्तियों और अनाज के सिर के साथ चावल लगाकर डिजाइन कार्यों को बनाने के लिए करता है।
2. इस कला की उत्पत्ति जापान में हुई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

9. वायरल स्पिल ओवर रिस्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह एक नए मेजबान में स्थायी रूप से संचारित करने में सक्षम होने के कारण एक जलाशय मेजबान से एक नए मेजबान को संक्रमित करने वाले वायरस की एक प्रक्रिया है।
2. जलवायु परिवर्तन के साथ वायरल पुलओवर का खतरा बढ़ जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

10. लोक भविष्य निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

1. पीपीएफ छोटी बचत योजनाओं के अंतर्गत आता है
2. प्रति वित्तीय वर्ष खाते में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये है और यह 1.5 लाख रुपये तक जा सकती है।
3. ईपीएफओ द्वारा पीपीएफ खाते की दरों में संशोधन किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

उत्तर

1.	**(b)**	**2.**	**(d)**	**3.**	**(a)**	**4.**	**(d)**	**5.**	**(c)**
6.	**(c)**	**7.**	**(a)**	**8.**	**(c)**	**9.**	**(c)**	**10.**	**(a)**

BILINGUAL
UPSC
UPSC CSE
KA MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
24 Months Validity

BILINGUAL
TARGET 28th May
UPSC CSE 2023 Prelims
(Paper I + II)
Complete Batch
Start Dec 19, 2022
7 PM

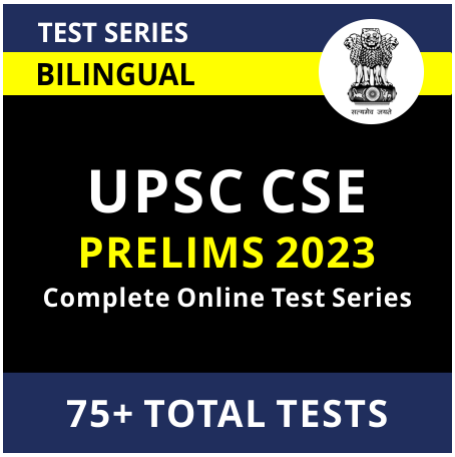
TEST SERIES
BILINGUAL
UPSC CSE
PRELIMS 2023
Complete Online Test Series
75+ TOTAL TESTS

BILINGUAL
NCERT
• Live Course
FOR UPSC & STATE PSC
Start Dec 15, 2022
12 PM to 2 PM

BILINGUAL
CSAT
Foundation Batch
for UPSC &
State PSC
• Live Classes
Starts Dec 20, 2022
12 PM to 2 PM

BILINGUAL
MPPSC ka
MahaPack
Live Classes | Recorded Videos
Test Series | e-books
12 Months Validity

BPSC
KA MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
12 Months Validity

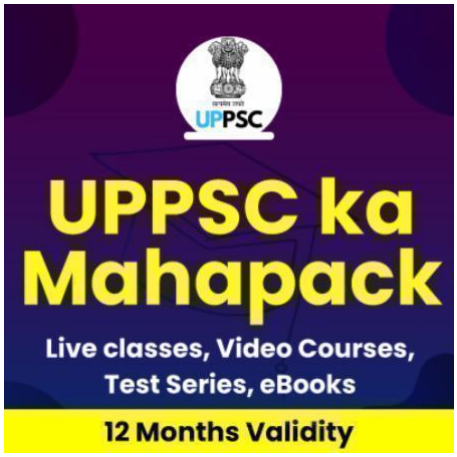
UPPSC
UPPSC ka
Mahapack
Live classes, Video Courses,
Test Series, eBooks
12 Months Validity

Hinglish
HPSC HCS
KA MAHAPACK
Live Classes, Test Series,
eBooks

RPSC RAS
MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
12 Months Validity

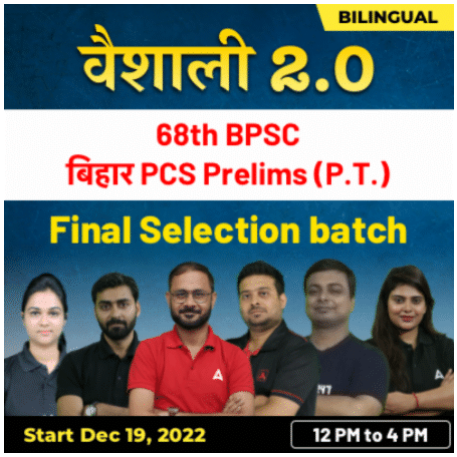
BILINGUAL
वैशाली 2.0
68th BPSC
बिहार PCS Prelims (P.T.)
Final Selection batch
Start Dec 19, 2022
12 PM to 4 PM

TEST SERIES
BILINGUAL
68th BPSC 2023
Combined Competitive
Examination (CCE)
PRELIMS
70+ TOTAL TESTS